खण्ड-290, अंक-3
बुधवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1893
(28 जुलाई, 1971 ई0)

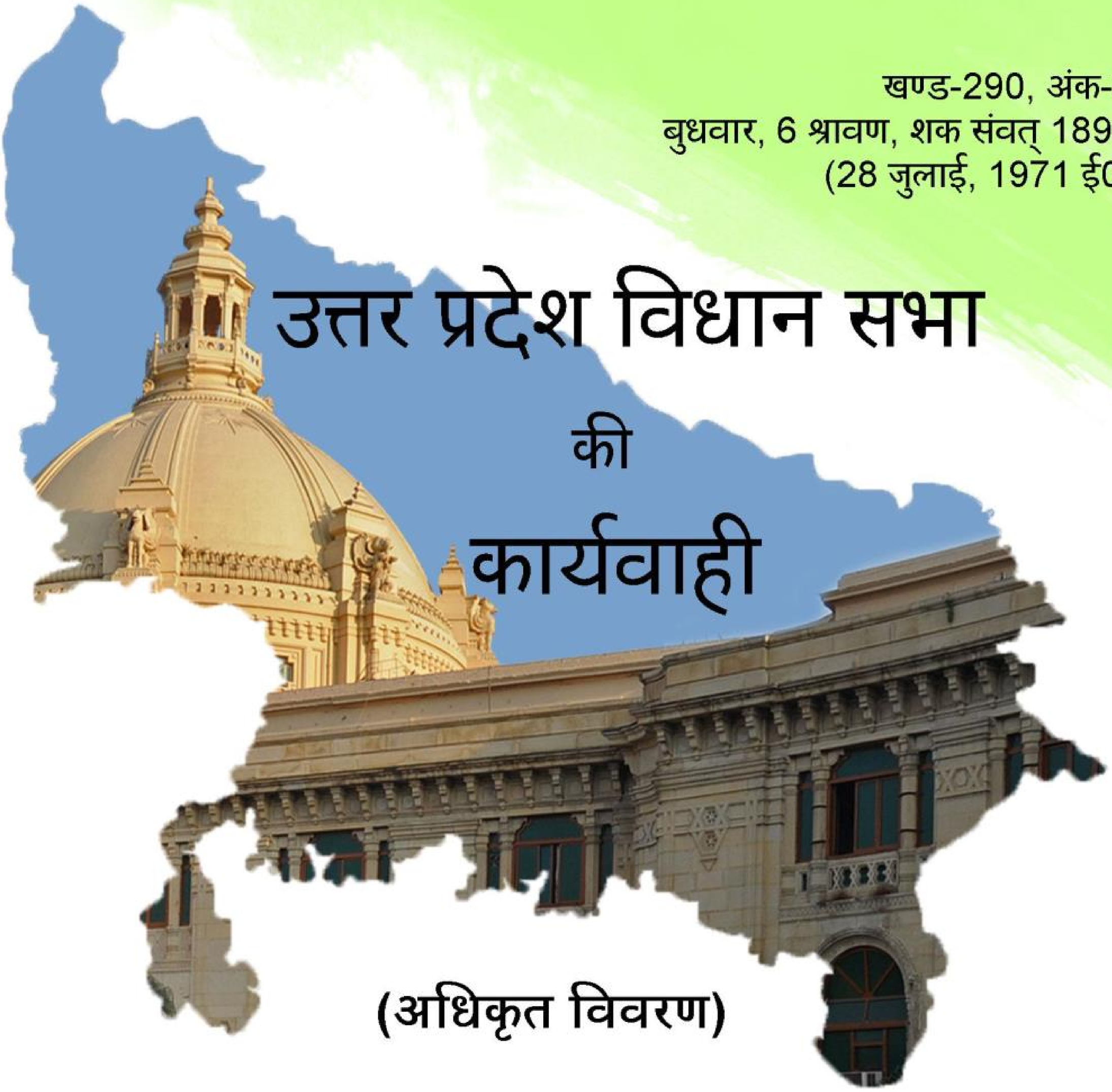

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२२३–२२७
प्रश्नोत्तर	२२७–२५५
व्यवस्था का प्रश्न	२५६
सदन को भंग करने के कथित प्रयत्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	२५६–२५८
प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति	२५८
२७ जुलाई, १९७१ को सदन को स्थगित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	२५९–२६१
सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर देने की मांग	२६१–२६२
प्रेस मान्यता समिति के सम्बन्ध में सूचना राज्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में श्री चरण सिंह का स्पष्टीकरण	२६२
विविध विषय	२६२
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का १९६९–७० का प्रतिवेदन (सदन की पटल पर रखा गया)	२६३
परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर के विकास तथा उसमें सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	२६३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	२६३
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२६३–२६४
२७ जुलाई, १९७१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२६५
मिर्जापुर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सीमा के पत्थर अनियमित रूप से लगाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६५–२६७
कानपुर जिले के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत कल्यानपुर सेटलमेन्ट (हाबुड़ों की बस्ती) पर पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	२६७–२७१
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५—पुलिस (जारी) ..	२७१–३१४
नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना	३१५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	३१५–३१६
मेरठ शहर में गढ़रोड के निकट रोडवेज स्टेशन हेतु ली गयी भूमि को राज्य मंत्री, श्री उमादत्त शर्मा, द्वारा कथित रिश्वत लेकर छुड़वाने के प्रयास तथा एक हजार रुपया भेंट लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	३१६–३४७
नस्थियां	३४८–३५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २८ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुलसलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भय्या जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राहस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगासिंह यादव, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह राजा, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जंग बहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीमद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगीप्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय,
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन यादव, श्री
रामकरन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री

रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथसिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरुप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लल्लन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
ललता प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसुदेव, श्री
वसुदेव सिंह बैस, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जैसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति बरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री
शिव कुमार पांडे, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरु लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री

श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिद्धादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबक्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २८ जुलाई, १९७१

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्कूटरों का राजकीय कोटे से सदस्यों को आवंटन

*१—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६९ से १ मार्च, १९७१ तक लैम्बेटा एवं वेस्पा स्कूटरों का प्रत्येक तिमाही में राजकीय कोटा कितना-कितना था और उस कोटे के वितरण में से कितने स्कूटरों का आवंटन किस-किस विधायक के लिये किया गया तथा कितने स्कूटरों का आवंटन किस-किस अधिकारी को किया गया ?

परिवहन उप-मंत्री (श्री आबिद अली)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, प्रश्नों के बाद उठायें।

श्री नौनिहाल सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसमें जिलों से सूचना नहीं मंगानी है, केवल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के यहां से सूचना आनी थी। पौने दो महीने इस प्रश्न को दिये हुये हो गये हैं। क्या कारण है कि अभी तक सूचना नहीं आ सकी ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक महीने से ज्यादा हो गया है। माननीय मंत्री जी, क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

यह प्रश्न माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है। जो भी सूचना सदन में दी जाय वह करेक्ट हो और सही हो, उसमें कोई गलती न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

वजह क्या है, अभी तक सूचना नहीं आयी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर—)—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह विवरण कहीं दूसरी जगह से नहीं मंगाना है, यह आपके आफिस में ही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसा होता है कि विभाग से माननीय सदस्यों के नाम परमिट इश्यू होते हैं। ऐसा भी कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा मालूम हुआ कि उनके नाम दो-दो परमिट्स इश्यू हुए। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्होंने डेलिवरी एक ही की ली या नहीं ली। इस सारी सूचना के लिये जो डीलर्स हैं जिलों में या कवाल टाउन्स में उन सबसे सूचना मंगाने की आवश्यकता है। इस वजह से इसमें समय लगेगा और जैसे ही सूचना एकत्र हो जायगी वह इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कितना-कितना कोटा था और उसमें से .....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे भी प्रश्न करने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्पष्ट कर रहा हूं। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा विधायकों से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न का पहला हिस्सा है कि राजकीय कोटा कितना-कितना था और उस कोटे के वितरण में से कितने स्कूटरों का आवंटन किस-किस विधायक के लिये किया गया ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री ने विधान परिषद् में इसी सत्र में जवाब दे दिया है और यहां कहा है कि सूचना नहीं है। क्या यह सदन का अपमान नहीं है कि विधान परिषद् में उन्होंने जवाब दे दिया और यहां कहते हैं कि सूचना नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह सवाल नहीं था, वह दूसरा सवाल था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपकी आज्ञा से मैं परिवहन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने डिलीवरी ली और जब तक कलाल टाउन्स से इंफार्मेशन मंगायें तब तक क्या वे यह संख्या बता सकेंगे कि विधायक और गैर-विधायक दोनों को कितना-कितना एलाटमेंट किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सारी सूचना इकट्ठी की जायगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो ब्योरेवार सूचना मांगी गयी है उसके एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जल्दी ही कोशिश की जा रही है। लिखा-पढ़ी शुरू हो गयी है और प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी सूचना एकत्र की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस सदन के चालू सत्र में ही वह इस प्रकार की सूचना सदन को दे देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि जल्दी सूचना आ जाय।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह प्रश्न तो केवल इतना है कि आंवटन कितना अधिकारियों को हुआ और कितना विधायकों को, तो यह सूचना तो ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के दफ्तर से तुरन्त मंगायी जा सकती है, मैं चाहता हूं कि आप उसे आज शाम तक दिलवाने की कृपा करें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दूसरी भी सूचना उसी से जुड़ी हुई है, इसलिए जैसे ही सारी सूचना आ जायगी, वह दे दी जायगी। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—]

श्रीमन्, हमारे यहां चन्द ४–५ कम्पनीज स्कूटर की हैं, दो महीने हो गये अभी तक सूचना नहीं मंगायी जा सकी। मंत्री जी मुझे इजाजत दें दें तो मैं २४ घंटे में यह सूचना मंगा सकता हूं। जिलाधीशों से यह सूचना मंगायी जा सकती है। तो आप इसका जवाब दिलवायें वरना यह शासन चौपट हो जायगा।

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राइवेट कम्पनीज हमारे मातहत तो हैं नहीं, उनको शीघ्र सूचना भेजने के लिये लिखा गया है।

श्री नौनिहाल सिंह—

मैंने जो सूचना मांगी है वह तो दफ्तर के रिकार्ड में होगी और वह हर वक्त अवेलेबिल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दो माह का समय लग जाय। तो आज शाम तक आप यह सूचना दिलवाने की कृपा करें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं पहले ही प्रार्थना कर चुका हूं कि यह सूचना साथी जब एकत्र हो जायगी तो मैं दे दूंगा।

श्री रामभूति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय जो वितरण की प्रणाली अपनायी गयी है वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है। इससे संबंधित नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैंने ढाई वर्ष पूर्व स्कूटर के लिये एप्लाई किया था मगर मुझे आज तक वह नहीं मिला। विधान परिषद् में यह उत्तर दिया गया कि ३१ जनवरी तक की जो एप्लीकेशन्स थीं उनको दे दिया गया। तो क्या वे जो पुरानी एप्लीकेशन्स हैं उनको प्राथमिकता देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरा प्रश्न है।

आप इसकी सूचना मांग सकते हैं, यह अलग का प्रश्न है। जो सूचना एकत्र करने की यह बात कर रहे हैं, उसमें यह नहीं आता है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कब तक हाउस में रखे जाएंगे ?

श्री रामकुमार दीक्षित—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न उपस्थित है वह बहुत साफ है। लोगों ने स्कूटर्स के लिये अप्लाई किया, उसकी मंजूरी हुई और उन्हें परमिट मिला, जो एलाटमेन्ट आदेश करते हैं वे डी० सी० के यहां से होता है, तो यह तो सूचना ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर आफिस में अवेलेबल है, क्या उसको मंगा लेने की कोशिश करेंगे ? सबके साथ जोड़ने का मतलब यह है कि आप हाउस में तथ्य नहीं देना चाहते हैं, असलियत छिपाना चाहते हैं। क्या इसको बतलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसका मैं जवाब दे चुका हूं पहले ही।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ३ अंग हैं—तिमाही में कितना कोटा था और कितना मिला है? उसमें से अधिकारियों और विधायकों को कितना-कितना दिया गया है? मैं समझता हूं मंत्री जी जानबूझ कर इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर भी यह तो बता दें कि आपके विभाग में स्कूटर्स वितरण की क्या प्रणाली बनी है? जो अप्लीकेशंस आती हैं उनको कोई नम्बर दिया जाता है अर्थात् उसको किसी रजिस्टर पर क्रम से चढ़ाया जाता है? उनकी कोई लिस्ट बनाई जाती है? या यह कुछ नहीं होता है बल्कि केवल मंत्री जी जिसे चाहते हैं उसे दे दिया जाता है?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्बन्ध तो है।

श्री बलराम सिंह यादव—

जो दरख्वास्तें आती हैं, उन्हें रजिस्टर पर लिखा जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अब मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछा जा रहा है किस-किस को एलाट हुआ? यह नहीं पूछा जा रहा है कि किसने-किसने लिया और किसने नहीं लिया। हमारे प्रश्न का कम्पनी से कोई ताल्लुक नहीं है, टी० सी० के यहां से मालूम करके बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्कूटर्स और वेस्पा के वितरण के लिये क्या कोई कमेटी है? यदि है तो उसके सदस्य कौन हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

पहले कमेटी थी, लेकिन संविद सरकार के समय में कमेटी भंग कर दी गई थी, तब से मंत्री वितरण ही करते आ रहे हैं।

गंगा नहर की सफाई में खर्च

*२—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपर गंगा कैनाल की जिसमें पिछले वर्ष अलकनन्दा दरिया में बाढ़ आने के कारण जो बहाव के कटाव का रेत आ गया था, सफाई करने में कितना धन खर्च करना पड़ा और यह कार्य शेड्यूल रेट्स से कितने अधिक रेट पर कराया गया?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्रश्न का प्रथम भाग—अपर गंगा नहर में वर्ष १९७०-७१ में अलकनन्दा नदी में बाढ़ आने का कारण जो बहाव से कटाव का रेत आ गया था, उसकी सफाई करने में जून, १९७१ के अन्त तक ८६.१३ लाख रुपया व्यय हो चुका है।

प्रश्न का द्वितीय भाग---मुख्य गंगा नहर के रेत की सफाई के लिए कोई शेड्यूल रेट स्वीकृत नहीं है।

इस कार्य के लिए निविदायें मांगी गई थीं। अतः मामूली रखरखाव के कार्यों के शेड्यूल रेट्स से तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराज सिंह---]

क्या अपर गंगा नहर के प्रश्न पर रेत की सफाई पूर्ण हो चुकी है या अभी शेष है? यदि शेष है तो उसकी सफाई में अभी कितना धन और खर्च होने का अनुमान है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसकी पूरी सफाई हो चुकी है। इस साल नहर ठीक से चल रही है। देखा जा रहा है कि इस तरह की समस्या उपस्थित न होने पाये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इस नहर के रखरखाव के संबंध में भी कोई शेड्यूल्ड रेट्स हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह---

हां। इसके रखरखाव के शेड्यूल रेट बने हुए हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इतना रेत आ गया था कि सारी कैनाल पट गयी थी और इस कार्य की गरिमा को देखते हुए रेत निकालने में ढिलाई हुई है और किसानों को उतना लाभ नहीं हो सका जितना होना चाहिए था।

श्री वीर बहादुर सिंह---

१९६ वर्ष के इतिहास में पहली बार यह घटना घटी है, इस तरह की सम्भावना नहीं थी। अब इसकी देखभाल की जा रही है।

श्री शिवराज सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताएंगे कि शेड्यूल्ड रेट्स से कितना अधिक व्यय इस रेत की सफाई पर सरकार को करना पड़ा?

सिंचाई मंत्री (श्री रामसजन)---

पहले इसका शेड्यूल रेट नहीं था।

श्री शिवराज सिंह---

अभी यह स्वीकार किया है कि नहर की रखरखाव के शेड्यूल्ड रेट्स हैं। हर साल में कंटिनेंस में सफाई करवाते हैं, तो जो शेड्यूल्ड रेट्स हैं उससे कितना अधिक सरकार को व्यय करना पड़ा?

श्री रामसजन---

रखरखाव के लिए शेड्यूल्ड रेट हैं। उसकी जानकारी के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि हरिद्वार में जो रेत इकट्ठी हो गयी थी उसके लिए टेंडर काल किये गये या वैसे ही ठेका दे दिया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

टेंडर काल किये गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में मायापुर के डाक बंगले के पास जो गेट बना हुआ है, वह हाथ से आपरेट होता है उसको बदलने के लिए वह मशीन से आपरेट होने लगे और बिजली से आपरेट होने लगे और भविष्य में इस प्रकार का अकरेन्स न हो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं ?

श्री रामलखन---

उसको बिजली से आपरेट करने के लिए योजना बना दी गयी है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बताएंगे कि यह रेत निकालने में १ करोड़ ८३ लाख रुपया खर्च हुआ है। लगभग इतना रुपया गंगा कैनाल को बनाने में खर्च हुआ था, सरकार ने कोई कमेटी बैठायी थी रेत आने के कारण पर, उस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री रामलखन---

तत्कालीन मंत्री ने रेट डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनायी थी। उसकी रेकमेंडेशन के अनुसार रेट डिसाइड किया गया। माननीय सदन चाहेगा तो उसकी रेकमेंडेशन रख कर दी जायगी।

इलाहाबाद की हंडिया तहसील के गांवों में नलकूप लगाने की व्यवस्था

३---श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की हंडिया तहसील में हरिहरपुर, बाहरपुर खुर्दी का पुरा, बहुपुर, नाहरपुर, महन्दबाद, दयालापुर, भगोतीपुर, कनौरा, मूसलपुर, देवाकुसारी, चका, घनसोपुर झिरोही, उमरी, मनोहरपुर, बिठूलपुर उर्फ बरामपुर आदि गांवों में सिंचाई व पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार वहां पर नलकूप लगवायेगी यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां, प्रश्नगत ग्रामों में इस समय सिंचाई की तथा नलों द्वारा पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के लिए प्रश्नगत ग्रामों में से कवल दो ग्रामों हरिहरपुर व भगोतीपुर में वर्ष १९७१-७२ के लिए नये नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव है।

पेय जल की व्यवस्था विषयक सूचना संलग्नक में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४८ पर)

श्री राजितराम पांडेय---

सिंचाई मंत्री जी बताएंगे कि केवल दो गांवों में नलकूप की योजना कर रहे हैं, दयालापुर, कनौरा, मूसलपुर, देवाकुसारी, चका, घनसोपुर, झिरोही, उमरी, मनोहरपुर, बिठूलपुर, यह सब गांव जो हैं, जहां पर न पीने का पानी है, न कुएं का पानी है, न सिंचाई का साधन है, न तालाब और दरिया है, आज तक वहां का किसान जब भगवान पानी बरसाता है तब वहां सिंचाई

होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने दो गांवों में यह योजना चालू की है तो क्या जल्दी से जल्दी बाकी जो गांव हैं उनमें भी यह योजना लागू की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

चयन समिति ने जिन गांव को चयन किया है उनमें से दो गांव हैं और गांव चयन नहीं किये गये। अब जब चयन समिति की ओर से सुझाव आयेगा तो बाद में देखा जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री---

पेयजल की जो व्यवस्था की गयी है उसका क्या ब्यौरा है और किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

पेयजल की व्यवस्था नलकूप लगा कर गांवों में की जा रही है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

जिन गांवों को चयन समिति ने नलकूप लगाने के लिये स्वीकृत किया है उसका क्या आधार है और जिनको वंचित किया है उसका क्या आधार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जिन गांवों को चयन समिति ने चुना है उनको मान लिया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुए कि गांवों में पेयजल की योजना लागू करने के लिये स्वायत्त शासन विभाग कार्यवाही करता है तो क्या सिंचाई मंत्री स्वायत्त शासन मंत्री जी से बातचीत करेंगे कि इन गांवों में स्वायत्त शासन की ओर से नलकूप लगवा कर पानी दे दिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूखे के समय में इस प्रकार की समस्या के लिये योजना गांवों के लिये बना दी गयी है। स्वायत्त शासन विभाग इसको करता है।

विधायकों को मोटर कार व स्कूटर के परमिट

*४---श्री मोतीलाल वेहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक किन-किन विधायकों को एक से ज्यादा मोटरकार या स्कूटर के परमिट दिये गये और किन-किन को मोटरकार व स्कूटर दोनों के परमिट दिये गये ?

श्री आबिद अली---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह सूचना जानबूझ कर नहीं दी जा रही है कि किन-किन को परमिट दिये गये...

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न २५-५-७१ को भेजा गया था। इसलिये कोई कारण नहीं है कि इसका समुचित उत्तर यहां न आये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, १४-३-७१ को एक बार यह स्थगित भी हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात मैं स्वयं ही कह रहा था। एक बार इसे स्थगन भी दिया जा चुका है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यह जो परमिट मंत्री महोदय ने दिये थे किसी दरख्वास्त पर दिये गये या यों ही दे दिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

परमिट जो हैं वे प्रार्थना-पत्र पर दिये जाते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। नियम यह है कि २० दिन पहले सूचना सदस्यों के द्वारा सचिव को दी जानी चाहिये और सचिव ५ दिन के अन्दर वह सूचना विभाग को अथवा संबंधित मंत्री को भेज दें और उसके बाद १५ दिन का मौका उत्तर के लिये दिया जाता है। २५-५-७१ को यह सवाल दिया गया है यानी तब तक विभाग के मंत्री को यह सूचना मिल गयी। बीच में यह प्रश्न एक दफा स्थगित भी किया गया और शायद इसलिये स्थगित किया गया था कि उस वक्त तक जवाब तैयार नहीं हो सका था।

इस बात पर सूचना एकत्रित की जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जवाब उचित है ? अगर नहीं है तो इसके लिये कल या परसों कोई भी तारीख निश्चित कर दें और तब वे जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैं कह चुका हूं कि यदि आप प्रश्न करेंगे तो मैं चर्चा का अवसर दे दूंगा किन्तु इसके लिये अलग से प्रश्न करना पड़ेगा। (व्यवधान) अभी माननीय जायसवाल जी बोल रहे हैं—आप बैठें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस सप्ताह के भीतर-भीतर इस सवाल का जवाब आ जायेगा।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने प्रार्थना की थी कि इसी सत्र में जो चल रहा है सूचना एकत्रित करके सदन को दे दी जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात को देखते हुये कि यह प्रश्न केवल विधायकों से ही संबंधित है, ३० फरवरी से लेकर ३० अप्रैल, १९७१ तक विधायकों की संख्या इस सदन में इस नम्बर के अन्तर्गत है। वह लिस्ट उनके पास मौजूद होते हुये भी वे नहीं देते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस सूचना को २४ घंटे के अन्दर एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं तो क्या कारण है कि उसे इस समय के अन्दर सदन में सूचना उपस्थित नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दोनों प्रश्नों को अगले हफ्ते के लिये रख देता हूं। इस समय के अन्दर उनको जवाब देना पड़ेगा।

[२८ जुलाई के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२—श्री रियासत हुसैन—

[इसरे बृहस्पतिवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय रोडवेज डिपो की वर्कशाप को सहायक महानिरीक्षक के अधीन रखना

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या यातायात मंत्री इस व्यवस्था पर विचार करेंगे कि प्रत्येक राजकीय रोडवेज डिपो की वर्कशाप को पूर्णतया सहायक महानिरीक्षक के अधीन रखा जाय ताकि वाहनों की यान्त्रिक खराबी के विषय में सहायक महा प्रबन्धक उत्तरदायी हो सके ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में 'सहायक महानिरीक्षक' या 'सहायक महा प्रबन्धक' कोई पद नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य का आशय सहायक प्रधान प्रबन्धक से है।

राजकीय रोडवेज के डिपो वर्कशाप जूनियर, सीनियर फोरमैन के अधीन होते हैं तथा उन पर क्षेत्रीय सेवा प्रबन्धक जो प्राविधिक अधिकारी होते हैं, का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सहायक प्रधान प्रबन्धक रोडवेज की ट्रैफिक शाखा का कार्य देखते हैं और उनके अधीन डिपो वर्कशाप रखने से वर्कशाप की कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं इसमें प्रश्न पूछने से पहले पिछले प्रश्न के बारे में एक बात जानना चाहता हूं कि आज यह प्रश्न एजेन्डे में नम्बर २ पर है और अब इसे तीसरे गुरुवार में नम्बर ४४ पर स्थानान्तरित कर दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न संख्या ३ के बारे में सवाल पूछें..

श्री रियासत हुसैन—

क्या इस बात को देखते हुये कि बसों में जो घटनायें होती हैं वे ज्यादातर टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से होती हैं और जो ए० जी० एम० उस जगह पर होता है वह अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाता है और फोरमैन जो होता है वह कहता है कि मैं क्या करूं। क्योंकि फोरमैन ए० जी० एम० के अन्डर में नहीं होता है, तो इस बात को देखते हुये माननीय मंत्री जी नियमों में ऐसा प्राविधान करेंगे कि बस स्टैन्डों पर जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं फोरमैन वगैरह वे ए० जी० एम० के अन्डर में हों, और उसको उनकी कैरेक्टर रौल में एन्ट्री करने का भी अधिकार हो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ए० जी० एम० को भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने का अधिकार है..

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् मैं यह पूछा था कि ए० जी० एम० को टेक्निकल स्टाफ के कैरेक्टर रोल वगैरह में एन्ट्री करने का अधिकार हो...

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, शासन के इस तरह के आदेश हैं कि ए० जी० एम० अलग से जूनियर फोरमैन और फोरमैन की कैरेक्टर रोल एन्ट्री भेजा करें।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि एक ए० जी० एम० की कांटिजेंसी में खर्च करने के लिए साल भर में केवल साढ़े बारह रुपया मिलते हैं—मैं मुरादाबाद का उदाहरण दे रहा हूं और अगर एक बल्ब भी फ्यूज किसी गाड़ी का हो जाता है तो बरेली से सेन्कशन मिलती है। तो जब एक ए० जी० एम० २ लाख रुपया कमा कर देता है तो कम से कम एक साल में २०—२५ हजार रुपये के पुर्जे खरीद सके छोटी मोटी कमियों को दूर करने के लिए, इसके लिए उसे आथराइज करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे यहां सेंट्रल वर्कशाप है और वही सारे पुरजों की सप्लाई करती है, तुरन्त सप्लाई होती है और जो पुरजे इमरजेंसी में खरीदने पड़ते हैं उसके लिए लोकल परचेज करने का भी अधिकार दिया है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

जिले—जिले में छोटे-छोटे वर्कशाप हैं उनमें सामान की कमी की वजह से बसें ठीक से चल नहीं पाती हैं, यात्रियों को तकलीफ होती है, रास्ते में रह जाती है तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे वर्कशाप फोरमैन को अधिकृत किया जाय और सारे सामान का इंचार्ज बना दिया जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसी तो कोई बात है नहीं। व्यवस्था रहती है। पुरजे, जितनी भी जरूरत पड़ती है उनको सेंट्रल वर्कशाप सप्लाई करती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि फोरमैन वगैरह जो वर्कशाप के इंचार्ज होते हैं उनके करेक्टर रोल में एंट्री करने का अधिकार ए० जी० एम० को है, तो जिस स्थान पर फोरमैन नहीं, सर्विस मैनेजर इंचार्ज है उसके कैरेक्टर रोल में भी ए० जी० एम० को एंट्री करने का अधिकार है ?

†श्री बलराम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में उत्तर देते समय पूरी सूचना उपलब्ध नहीं थी। मैंने सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वास्तव में सर्विस मैनेजर के कैरेक्टर रोल में प्रविष्टि सहायक प्रधान प्रबन्धक द्वारा नहीं की जाती। सर्विस मैनेजर ६००—१२५० के वेतन मान में एक राजपत्रित अधिकारी होता है। इस अधिकारी के कैरेक्टर रोल में उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि परिवहन आयुक्त की संस्तुति पर शासन द्वारा की जाती है।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था फोरमैन, ड्राइवर और बस के बारे में तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फोरमैन से जब गाड़ी ड्राइवर के हाथ में जाय तो ड्राइवर उस फोरमैन की कापी में दस्तखत कर दे कि यह गाड़ी ठीक है या नहीं है जिससे कि गड़बड़ी रुक जाय ?

---

†१९ जनवरी, १९७२ को परिवहन मंत्री द्वारा दिए गये शोधन वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह सुझाव है, इस पर विचार करूंगा।

डेरापुर-मुगोसापुर रोड (कानपुर) का बनाया जाना

*४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में डेरापुर तहसील के अन्तर्गत डेरापुर–मुगोसापुर रोड के बनाये जाने का कार्य किस कारण धीमी गति से हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

कार्य की प्रगति धीमी नहीं है। सड़क जुलाई, १९७२ तक यातायात के लिए खुल जाने की आशा है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डेरापुर–मोगोसापुर सड़क के बनाने का कार्य कब से शुरू हुआ, इस सड़क की लम्बाई कितनी है और इसके लिए कितना धन स्वीकार किया गया?

श्री राजबिहारी सिंह—

फरवरी, १९७० में इस सड़क पर कार्य करने की इजाजत दी गयी है। कुल ८.२ किलोमीटर लम्बी है और स्वीकृत धन है ८.८७ लाख रुपया।

चौधरी रामपालसिंह यादव—

आपने उत्तर में कहा है कि कार्य की प्रगति धीमी नहीं है, तो यह सड़क जो कुल ४ मील लम्बी है और इसके बनाने में २ वर्ष लग गये तो इसकी प्रगति का मापदंड क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सवाल के बाद तेज हो गया होगा।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह ठीक है कि लम्बाई ८.२ किलोमीटर है। फरवरी, १९७० में इसकी इजाजत दी गयी, लेकिन मुआवजा तय नहीं हो पाया इसलिए देरी हुई। वैसे उस पर काम हो रहा है और अच्छी तरह काम हुआ है। जहां जमीन नहीं मिल पायी है उसके लिये मजबूरी है।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क कब स्वीकृत हुई और इस पर अब तक कितना काम हो चुका है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है।

हमीरपुर में बेतवा पर पुल का निर्माण

*५—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा नदी जिला हमीरपुर पर पुल का निर्माण-कार्य कब से हो रहा है? उस पर कितनी लागत स्वीकृत है, उसमें कितना

रुपया खर्च हुआ, कितना बाकी है ? कितना काम पूरा हुआ । कितना काम बाकी है ? सरकार ने किस अवधि तक पुल तैयार करने का लक्ष्य रक्खा था ? उसे पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३४९ पर)]

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगस्त, ६४ से इस पुल का निर्माण हो रहा है। यह ५९ लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुआ था और इसमें से ४१,२ ,९६३ रुपया ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया है और काम केवल ४५ प्रतिशत ही हुआ है। क्या यह सही है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिल कर इतना सरकारी रुपया पेमेन्ट हो गया है और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ ?

श्री राजबिहारी सिंह--

इसकी जानकारी तो नहीं है अधिकारी और ठेकेदार मिल कर यह काम कर रहे हैं। लेकिन यह सही है कि काम ढीला हो रहा है। इसमें १४ कुएं बनने थे, उनके लिये खुदाई हुई लेकिन नदी के नीचे पत्थर निकल गया जिससे कुएं लगाने में कठिनाई हुई। इसके लिये अपील हुई और ठेकेदार को ६.८३ लाख रुपया दण्ड दिलाया गया। जमीन की खराबी के कारण देरी लग रही है।

श्री रामकरन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस काम के लिये ५९ लाख रुपये मंजूर हुआ था और उसमें से १ लाख रुपये का पेमेन्ट हो गया, उस काम के खत्म होने की अवधि क्या थी और उसको अभी तक कितने दिन हो गये हैं, जिसके लिये आपने ढिलाई की संज्ञा दी है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, इस पुल का ठेका लाला उमराव सिंह ठेकेदार को दिया गया था सन् ६४ में और ३१ मार्च, ६८ तक उसको पूरा हो जाना था ।

श्री शिवराज सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुल के लिये रुपया किस वर्ष के आय-व्ययक में स्वीकृत किया गया था ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, यह ठीक तो इस समय पता नहीं है। मेरे पास जो पत्रावली है उसके अनुसार ६४ में काम शुरू हुआ, इसका मतलब है ६३ में इसकी स्वीकृति हुई होगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या नीचे खराब जमीन निकलने के बारे में पहले किसी इंजीनियर ने रिपोर्ट दी थी, और उस खराबी का जिम्मेदार कौन है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जमीन की खराबी का जिम्मेदार कौन हो सकता है। नदी के नीचे परत सख्त निकल आयी, इसलिये खुदाई में कठिनाई हुई।

*६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

नगर पालिका, प्रतापगढ़ में नजूल की खाली भूमि पर कालोनी न बनाना

*७—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला व तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम सगरा में आफीसर कालोनी हेतु २३ एकड़ कृषि योग्य भूमि जिसमे सभी छोटे काश्तकार हैं शासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही है जो शासन के राजस्व (क) आदेश पत्र संख्या ४५०/१-क—६-१ (५)-६९, दिनांक ३० अगस्त, १९६९ का उल्लंघन है?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

*८—श्री जयराम यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि नगरपालिका, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लगभग ३२ बीघा कृषि भूमि नजूल सरकारी खाली पड़ी है? ऐसी भूमि पर आफिसर कालोनी न बनाने का क्या कारण है?

श्री राजबिहारी सिंह—

नगरपालिका, प्रतापगढ़ में जो नजूल भूमि उपलब्ध है वह छोटे-छोटे खण्डों में है और बिखरी हुई है। उसमें से केवल २.४ एकड़ के एक खण्ड की भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायंगे कि २३ एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की जो कार्यवाही की गयी थी वह कब समाप्त कर दी गयी या उसके लिये कोई कार्यवाही की ही नहीं गई?

श्री राजबिहारी सिंह—

कार्यवाही की गयी थी लेकिन किसानों की तरफ से एतराज हुआ तो स्थगित कर दी गयी।

श्री जयराम यादव—

यह कार्यवाही क्या किसी राजनीतिक कारण से की गयी थी?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसका कारण तो माननीय सदस्य ही जान सकते हैं, मेरे पास तो कोई सूचना है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

और तो मैं नहीं जानता लेकिन गांव के किसानों ने मुझसे भी कहा था कि उनकी जमीन न ली जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह जमीन तो उन्होंने छोड़ दी लेकिन क्या उस कालोनी के लिये कोई अन्य स्थान पर निर्माण करने के लिये जमीन के एक्वीजीशन का प्रस्ताव है?

श्री राजबिहारी सिंह—

दो, तीन जगह के लिये प्रस्ताव चल रहा है। एक नजूल की जमीन है २.४ एकड़ और दो गांवों की जमीन है जिसके बारे में बातचीत चल रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जसा मंत्री जी ने इस मामले में किया कि छोटे किसानों की भूमि को छोड़ दिया, तो क्या दूसरे स्थानों पर भी सरकार की ऐसा करने की नीति है?

श्री राजबिहारी सिंह—

सरकार की नीति ऐसी है और ३० अगस्त, १९६९ को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक जी० ओ० गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसानों की वह जमीन जो खेती योग्य है उसको न एक्वायर किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या ऐसे ही जो देहरादून जिले में अजबपुर और धर्मपुर गांव के छोटे किसानों ने सरकार को सूचना दी है कि उनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसको भी छोड़ दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप प्रतापगढ़ से देहरादून पहुंच गये।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह तो माननीय सदस्य की जबानी अभी मालूम हुआ है, जानकारी करेंगे।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इस तरह के आदेश प्रसारित करेंगे कि अगर नजूल और परती भूमि उपलब्ध हो तो कृषि योग्य भूमि एक्वायर न की जाय?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि ऐसा एक सर्कुलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जा चुका है।

*९-१०—श्री सजीवन लाल—

[४थे मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय नलकूपों का जिलेवार आवंटन

*११—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों के लिये राजकीय नलकूपों का किस आधार पर बंटवारा करती है तथा वित्तीय वर्ष १९६९-७० व १९७०-७१ में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी संख्या में नलकूप बनवाने का लक्ष्य रक्खा गया था और जिलेवार अब तक कितने बन चुके हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—राजकीय नलकूपों का जिलेवार बंटवारा करने में जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसकी सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—सूचना अनुलग्नक २ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५० पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, यह जो सूचना माननीय सदस्य को दी है अगर माननीय मंत्री जी उसे पढ़ कर सुना दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

जो छपा जवाब आया है वह पूरे प्रदेश से संबंधित है और सब सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं है। इसलिये वह पूरा पढ़ कर सुना दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता था कि पढ़ दिया जाय। आप लोगों की क्या राय है?

('पढ़ दिया जाय' की आवाजें)

(मंत्री जी ने जवाब पढ़ना शुरू किया।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सारे जिलों की सूची है। क्या इसको भी पढ़ा जाय।

श्री महीलाल—

सब लोगों की दिलचस्पी है, पढ़ दिया जाय।

(मंत्री जी द्वारा कुछ देर पढ़ने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूची लम्बी है। इसको पढ़ा जायगा तो दूसरे प्रश्नों का समय निकल जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

सदन के सदस्यों को इसकी सूचना दे दें तो सदस्यों को मालूम हो जायगा कि कितना अलाटमेंट हुआ था और हर जिलों मे कितना बनाया गया है। ऐसी सूचना सब सदस्यों को दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में इसकी सूचना आप दे देंगे।

श्री रामलाल राही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम क्षेत्र में २० जिले, मध्य क्षेत्र में - जिले, बुन्देलखंड में ३ जिले, पूर्वी क्षेत्र में १५ जिले लिये गये हैं तो १५ जिलों को ३०१ नलकूप दिये गये और मध्य क्षेत्र को केवल ८ नलकूप दिये गये तो इस बंटवारे का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस बंटवारे का आधार बतला दिया गया है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन राजकीय नलकूपों का जो बटवारा किया गया है वह किस आधार पर किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष—

वह बतला दिया गया।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले की सिंचाई समिति ने क्या कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके भेजा है कि जो ३ हजार घंटे का प्रतिबन्ध है उसको हटा कर जहां पर नलकूप नहीं लगा है उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाय, यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामलखन—

बस्ती जिले की कोई सूचना नहीं है। दूसरे जिलों से डिमांड आई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद जनपद से जो नलकूप की डिमांड आई है उसके हिसाब से कितने परसेन्ट नलकूप की आपने स्वीकृति दी है?

श्री रामलखन (जिला आजमगढ़)—

परसन्टेज के आधार पर नलकूप की सैंक्शन नहीं दी जाती है।

श्री रामबचन—

आजमगढ़ जनपद के लिये १९७०–७१ में कितना लक्ष्य था और कितना स्वीकृत हुआ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामलाल राही—

सीतापुर जिले में ६९-७० में, क्रमशः ५ और १० ही ट्यूबवेल्स दिये गये हैं तो इसका क्या कारण है?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, आपने इस प्रश्न को समाप्त करके माननीय शिवानन्द नौटियाल का नाम पुकारा और वे खड़े भी हो गये लेकिन फिर आपने पहले प्रश्न को ले लिया। तो आप सदन में कोई व्यवस्था बनायेंगे कि जिससे ठीक से काम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इस सवाल पर यह कहा था कि अब आगे चलना चाहिए लेकिन लिया नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, आपने नाम लिया था?

श्री उपाध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया था, वे प्रश्न पूछना चाहते थे, वे प्रश्न नहीं कर सके थे...

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही—

श्रीमन्, ट्यूबवेल के बटवारे में पक्षपात किया जा रहा है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जेटली साहब को बुलाया, वे खड़े थे लेकिन प्रश्न नहीं कर सके...

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)--

बस्ती से सम्बन्धित (माननीय सुखपाल पांडेय) एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि वहां पर २ या ३ हजार घंटे का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसे समाप्त करेंगे तो उसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बस्ती से तो कोई ऐसी प्रार्थना नहीं आई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आजमगढ़ से कोई सूचना उनके पास आई है? और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रामलखन --

मैंने इस सम्बन्ध में कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है।

आर० टी० ओ० देहरादून द्वारा गढ़वाल में प्राइवेट तथा पब्लिक कैरियर के परमिट का दिया जाना

*१२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, अप्रैल, और मई, १९७१ में आर० टी० ओ० देहरादून, ने रामनगर--धूमा कोट वीरोंखास्पूंसी (जिला गढ़वाल) मोटर-मार्ग पर किन-किन व्यक्तियों को प्राइवेट तथा पब्लिक कैरियर के परमिट दिये हैं?

श्री आबिद अली--

माह मार्च, अप्रैल तथा मई, १९७१ की अवधि में आर० टी० ओ०, देहरादून ने रामनगर-धूमाकोट बीरोखाल स्पूंसी मार्ग पर जनता भार-वाहन (public carrier) के २ अस्थाई परमिट श्री आनन्द प्रकाश तथा अनिल कुमार गुप्ता को दिए। इस अवधि में आर० टी० ओ०, देहरादून द्वारा प्राइवेट कैरियर का कोई परमिट नहीं दिया गया?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर केवल कोआपरेटिव सोसाइटी की बसेज तथा ट्रकों को चलाने का एकाधिकार था? यदि हां, तो किन विशेष कारणों से इन व्यक्तियों को अस्थायी परमिट दिये गये हैं?

श्री बलराम सिंह यादव--

अस्थाई परमिट आर० टी० ए० कमेटी को अधिकार है जहां वह उचित समझती है, वहां पर अस्थाई परमिट दे सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या ये २ परमिट जो दिए गए वे आर० टी० ओ० साहब ने दिए?

श्री बलराम सिंह यादव--

आर० टी० ए० ने आर० टी० ओ० को पावर डेलिगेट कर दी थी इसलिए ये आर० टी० ओ० ने दिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इन दो व्यक्ति को अस्थाई परमिट इसलिए दिये गये क्योंकि इन्हें सिंचाई विभाग से ठेके मिले हुए हैं और उनको पूरा करने के लिए इनको परमिट दिए गए?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ए० ने आर० टी० ओ० को कब पावर डेलीगेट की थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जब भी आवश्यकता पड़ती है, समय-समय पर पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्थाई परमिट दिये गये हैं, जैसा कि माननीय नेगी ने बताया है, कमेटी के द्वारा दिये गये हैं या कमिश्नर की रिपोर्ट पर दिय गये, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर दो अस्थाई परमिट दिय गय हैं, यदि दिये गये हैं तो कितने समय के लिए दिये गये हैं जब कि इस रेट पर केवल कोआपरेटिव सोसाइटी का ही एकाधिकार है।

श्री बलराम सिंह यादव—

यह परमिट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर दिये गय हैं। बाद में रद्द कर दिये गये क्योंकि आपरेटर्स हाई कोर्ट में गये थे और उन्होंने रिट दायर की और स्टे ले लिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकार उन्होंने दिया है वह पावर्स डेलीगेट कर दिये गये थे। तो जनरल है या किसी स्पैस्फिक रेजोलूशन के जरिये से पावर्स डेलीगेट किये गये हैं और किस मीटिंग में ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पावर्स डेलीगेट होते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो आर० टी० ओ० को डेलीगेट पावर्स होते हैं टेम्पोरेरी परमिट्स देने के और उसी के मातहत उन्होंने दिये हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, जैसा उन्होंने अपने उत्तर में अभी-अभी बताया कि इन परमिटों को रद्द कर दिया गया है। परमिट कब रद्द किये गये और किस आधार पर रद्द किये गये हैं। क्या वे आश्वासन देंगे कि इस सड़क पर भविष्य में इस तरह के परमिट नहीं देंगे जबकि यह पूरा अधिकार कोआपरेटिव सोसायटी को है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह तो आर० टी० ए० के जुरिसिडिक्शन की बात है। आर० टी० ए० के जुरिसिडिक्शन में गवर्नमेंट इण्टरवीन नहीं कर सकती है। यह मामला हाईकोर्ट में गया था। वहां उन्होंने रिट दायर की थी। रिट की डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। इस समय मैं केवल इतना बतला सकता हूं कि इन आपरेटर्स ने हाई कोर्ट में रिट की थी और हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर हो गया था, यानी रद्द हो गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आर० टी० ए० में आर० टी० ओ० नहीं होता है तो कैसे उनको पावर्स डेलीगेट कर दी गई ?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह ऐक्ट के मातहत पावर्स हैं आर० टी० ए० कमेटी को कि वह आर० टी० ओ० को, आर० टी० ए० को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स डेलीगेट कर सकता है, और ए० डी० एम० (ई०) को भी पावर्स डेलीगेट कर सकता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

नियमानुसार, जो कानून है, उसके अनुसार सिर्फ सेक्रेटरी मेम्बर को पावर्स डलीगेट होती है। और सेक्रटरी-मेम्बर आर० टी० ओ० नहीं है। तो कैसे उसने परमिट दिया। ट्रांसपोर्ट ऐक्ट में ऐसा दिया हुआ है। उसकी पुष्टि आर० टी० ए० की मीटिंग में होती है।

श्री बलराम सिंह यादव---

नियम के अनुसार दिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऐक्ट में प्राविजन है, उसके मातहत दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या परिवहन मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि किसी भी मोनोपोली को न बनाये रखने के लिये, जैसा कि सरकार की घोषित नीति है, मैरिट्स के ऊपर ही परमिट दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

श्रीमन्, सब अख्तियारात आर० टी० ए० कमेटी को है।

श्री इन्द्रमणि---

उपाध्यक्ष महोदय, पर्वतीय जिलों में जहां सहकारी समितियों की बसेज चलती हैं वहां पर एक प्राइवेट व्यक्ति को चाहे वह टेम्पोरेरी हो या पर्मानेंट हो, कैसे परमिट देने बन्द करेंगे। क्या उस कानून को भी बदलेंगे कि सहकारी समितियों को ही परमिट दिये जायं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह सेन्ट्रल ऐक्ट है, उसमें परिवर्तन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते। जहां तक परमिट देने का सवाल है आर० टी० ओ० कमेटी परमिट देती है और उसमें गवर्नमेंट इन्टरवीन नहीं कर सकती।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जानते हुए कि आर० टी० ए० कमेटी अपनी पावर आर० टी० ओ० को डेलीगेट नहीं कर सकती, क्या इस बात की जांच करके फिर से देखेंगे और अगर अथारिटी डेलीगेट नहीं की गई तो उन परमिटों को कैंसिल करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

श्रीमन, इसमें क्या दिया हुआ है यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४४(५) के अन्तर्गत आर० टी० एज० इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार अपने अधिकार डेलीगेट कर सकती है। यू० पी मोटर वेहीकल्स ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के नियम ४४-ए के अनुसार आर० टी० ए० प्राइवेट कैरियर के स्थाई व अस्थाई परमिट और पब्लिक कैरियर के अस्थायी परमिट देने का अधिकार अपने सचिव अथवा असिस्टेंट आर० टी० ओ० को दे सकती है। अस्थाई पब्लिक कैरियर परमिट देने का अधिकार आर० टी० ए० अपने रीजन के जिलाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी को भी दे सकती है।

नोट---तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला अलीगढ़ के अतरौला विधान सभा क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि

*१३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के उतरौला विधान सभा क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसमें से नहर विभाग द्वारा राजकीय नलकूपों द्वारा और निजी साधनों द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है और कुल कितनी भूमि अभी भी ऐसी है जिसकी सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद के किसानों द्वारा चकों के बीच सर्विस रोड बनाने में आपत्ति

*१४—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के मरारी ग्राम के कुछ किसानों ने एक जनवरी, १९७१ से अब तक अधिशासी अभियन्ता जिला विद्युत, फर्रुखाबाद जिलाधीश फर्रुखाबाद तथा सिंचाई मन्त्री जी को कुछ प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिसमें चकों (खेतों) के बीच में सिंचाई विभाग द्वारा सर्विस रोड बनाने के सुझाव पर आपत्ति की गई है? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, जिलाधीश फर्रुखाबाद के माध्यम से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

कृषकों के सुझाव के अनुसार सर्विस रोड का समरेखन बदलना सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में राजकीय नलकूप लगाना

*१५—श्री मरहम सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में किन-किन ग्रामों में राज्य सरकार १९७१ के अन्त तक नलकूप बनाने का विचार कर रही है?

श्री रामलखन—

राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। वर्ष १९७१-७२ में फर्रुखाबाद जिले में १८ नलकूपों (गत वर्ष के ३ नलकूपों को सम्मिलित करके) के निर्माण का कार्यक्रम है। जिन ग्रामों में यह नलकूप प्रस्तावित हैं उनकी सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

आगरा नहर को रामगंगा परियोजना से पानी मिलना

*१६—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा परियोजना से आगरा नहर को जो पानी मिलने को था वह अब तक क्यों नहीं मिला और अब इसके कब तक मिलने की निश्चित रूप से सम्भावना है? उपरोक्त नहर को कितने क्यूसेक पानी मिलेगा?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—रामगंगा परियोजना से आगरा नहर को अभी तक पानी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि रामगंगा बांध का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

प्रश्न का द्वितीय तथा तृतीय भाग—

नवम्बर, १९७४ के बाद पानी मिलने की सम्भावना है। इसके बाद इस परियोजना से आगरा नहर को ५ नवम्बर, से १६ जून तक प्रतिवर्ष ४९० क्यूसेक पानी मिलना प्रस्तावित है।

*१७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० कर्मचारी फेडरेशन की मांगें

*१८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० कर्मचारी फेडरेशन द्वारा मांग-पत्र दिनांक २३ जुलाई, १९६९ को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

जी हां।

मांग-पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है।

केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में नये संयन्त्रों की खरीद

*१९—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—

क्या परिवहन मन्त्री को इस प्रकार की जानकारी है कि केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में नये संयन्त्रों की खरीद कहां से होती है और क्या यह सामान नये के स्थान पर पुराने ले लिये जाते हैं जिससे सरकार को भारी हानि का सामना करना पड़ता है?

श्री बलराम सिंह यादव—

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में नये सन्यन्त्रों की खरीदारी निदेशक, उद्योग विभाग के द्वारा होती है और यह समान नये के स्थान पर पुराने नहीं लिये जाते हैं। अतः सरकार को किसी प्रकार की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कानपुर में कल्यानपुर से शिवली तक पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव

*२१—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में कल्यानपुर से शिवली तक एक पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह सड़क कब तक बन जाने की आशा है?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

*२२—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[५वें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२४—श्री बांके लाल तथा श्री रामधारी शास्त्री—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२६—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२८—श्री त्रिवेणी सहाय—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

यमुना नदी पर बांध बांधने से मुजफ्फरनगर की तहसील व गांव को खतरा

*२९—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुजफ्फरनगर की तहसील व परगना कैराना के ग्राम रामअड़ा व मड़वारा में हरियाना सरकार की तरफ से बांध बांधने के कारण यमुना नदी इन ग्रामों के नीचे बहने लगी है और बरसात में इन ग्रामों को नदी से सख्त खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो सरकार क्या इन ग्रामों को गिरने से बचाने के लिए बांधने के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही करेगी?

श्री रामलखन—

जी हां, जिला मुजफ्फरनगर की तहसील व परगना कैराना के ग्राम रामअड़ा व मड़वारा के नीचे यमुना नदी का बहाव आ जाने से खतरा पैदा हो गया है। इसके लिये यमुना नदी पर टक्कर बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है।

यमुना परियोजना में लगे स्टील, कंक्रीट का प्रयोग में लाने के पूर्व परीक्षण

*३०—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना परियोजना से सम्बन्धित निर्माण वृत्त एक व दो में जो स्टील कंक्रीट आदि लगता है, उसके प्रयोग होने से पहले परीक्षा कौन अधिकारी करता है ?

श्री रामलखन—

जहां तक स्टील का प्रश्न है, प्रायः सभी स्टील देश के मुख्य उत्पादकों से प्राप्त होती है और परीक्षित होती है अतः इसका कोई परीक्षण नहीं किया जाता।

कंक्रीट आदि का परीक्षण निर्माण से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अपने कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय लेबोरेटरी में कराते हैं और ऐसे परीक्षण जो वहां नहीं हो पाते हैं, वह टेस्ट एवं कन्ट्रोल खंड में परीक्षण के लिए भेज दिए जाते हैं और वही खण्ड उनका परीक्षण करवाता है।

यमुना परियोजना के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*३१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना परियोजना वृत्त १ और २ खंडों के समस्त सोलह अधिकारियों का माह मार्च, सन् १९७१ में स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामलखन—

जी हां। यमुना परियोजना के अधिकारियों का माह मार्च, सन् १९७१ में प्रशासनिक कारणोंवश स्थानान्तरण किया गया।

नलकूप खण्ड मुरादाबाद व चन्दौसी में पेंडिंग एरियर बिल्स

*३२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड मुरादाबाद व चन्दौसी में स्टाफ के कौन-कौन से एरिया बिल्स पेंडिंग हैं और उन्हें भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामलखन—

नलकूप खण्ड मुरादाबाद व चन्दौसी में स्टाफ के क्रमशः १७ और ७८ अवशेष वेतन यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता के एरियर बिल पेंडिंग हैं। उनके भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप खण्ड, मुरादाबाद—

१७ बिल्स में से १४ बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार में है। शेष ३ बिलों का भुगतान उनके कोषाधिकारी, मुरादाबाद से पास होने के पश्चात् तुरन्त कर दिया जायगा।

नलकूप खण्ड, चन्दौसी—

इस खण्ड के ७८ एरियर बिलों में से ५४ एरियर बिलों की चेकिंग आदि की जा रही है एवं २४ एरियर बिल ऐसे हैं जिनका भुगतान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा प्री-आडिट होने पर किया जावेगा।

विकास खण्ड बांसगांव तथा बेलघाट में नलकूप लगाना

*३३—श्रीमती मसाग्री देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६९-७० में विकास खण्ड बांसगांव तथा बेलघाट विकास खण्ड के गांवों के अन्तर्गत नलकूप लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है?

श्री रामलखन—

जी हां, बांसगांव विकास क्षेत्र के केवल एक ग्राम ओझवली में नलकूप लगाना उपयुक्त पाया गया।

मरोडा डाम (गढ़वाल) की सर्वेक्षण रिपोर्ट

*३४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में बनने वाले मरोडा डाम के सर्वेक्षण पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और डाम एक्सपर्ट श्री सेवेज ने जो इस के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी थी वह क्या थी? क्या इस डाम को बनाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

इस बांध का सर्वेक्षण सन् १९४५ के लगभग किया गया था। सर्वेक्षण पर व्यय हुई धनराशि २५ वर्ष पुराने रेकार्ड के न मिलने से मालूम नहीं हो सकती।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

डैम एक्सपर्ट श्री सेवोज की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

प्रश्न का तृतीय भाग—

जी नहीं।

प्रश्न का चतुर्थ भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३५३ पर]

विकास क्षेत्र नौतनवा में कृषि क्षेत्र को बाढ़ से हानि तथा गोरखपुर नलकूप डिवीजन द्वारा सर्वेक्षण

*३५—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र नौतनवा को नदी महाव के बाढ़ से प्रतिवर्ष कितने कृषि क्षेत्र की बरबादी होती रहती है?

श्री राम लखन—

महाव नदी की बाढ़ से लगभग ५७९ एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र जलमग्न हो जाती है।

*३६—श्री राम लगन दुबे—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी तलाने की कृपा करेंगे कि प्रकृति प्रदत्त नहर की शक्ल में विद्यमान इस नदी की बाढ़ से संरक्षण तथा सिंचाई की उपयोजना के लिए नलकूप डिवीजन गोरखपुर के द्वारा सर्वेक्षण भी किया गया है? यदि हां, तो सुझाव क्या है तथा कार्य के कब तक प्रारंभ कर दिये जाने की आशा है?

श्री रामलखन—

अभी केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

रिहन्द बांध की भूमि का किसानों का आवंटन

*३७—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध, पिपरी, मिर्जापुर में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में किन-किन किसानों को कितनी-कितनी भूमि प्रत्येक गांव में आबंटित हुई ? क्या मंत्री जी प्रत्येक गांव के उन किसानों को उनके वल्दियत सहित पता की सूची सदन की मेज पर रखेंगे जिनके नाम से भूमि आवंटित की गई है ?

श्री रामलखन—

सूचना ८,३३९ कृषकों के बारे में तथा २६७ पृष्ठों में होने के कारण बहुत विस्तीर्ण है, इसलिए माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

*३८—श्री रामप्यारे—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बांध से निकली हुई भूमि को आवंटित करने का आधार क्या है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कासगंज नगरपालिका द्वारा बसों पर कर लगाना

*३९—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले की कासगंज नगर पालिका ने नगर में आने वाली बसों पर २ रुपये प्रति बस कर लगा दिया है फलस्वरूप इस नगर में आने वाली बसों ने १० पैसा प्रति यात्री किराया बढ़ा दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । चूंकि कार्यवाही विधिवत् की गई है, अतः कोई जांच की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

*४०—श्री मंजूर अहमद तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[४थे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल में नहरों की मरम्मत और निर्माण

१—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के भावरी भाग में गौलावार, नवाड़ खेड़ा, कुंवरपुर, चौरगा ा आदि में सिंचाई नहरों की मरम्मत तथा नई नहरों के निर्माण के लिए सन् १९७०–७१ में कितना खर्च किया गया और १९७१–७२ में इसके खर्च का क्या प्राविधान है ?

श्री राम लखन—

जिला नैनीताल के भावरीय भाग में गौलावार, चोरगलिया तथा कोटाबाग, कालाढुंगी आते हैं । १९७०-७१ में इन क्षेत्रों के नहरों की मरम्मत में कुल ६,८१,६८ रु० व्यय किया गया था । १९७०-७१ में इन क्षेत्रों में किसी नई नहर का निर्माण नहीं किया गया था ।

मरम्मत कार्यों के लिये वर्ष १९७१-७२ में ४,८७,७१० रु० का प्राविधान किया गया है। नई नहरों के निर्माण के लिए प्राविधान नहीं है।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में राजकीय नलकूप

२—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सन् १९७० में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये व १९७१ में कितने राजकीय नलकूप लगाने पर विचार हो रहा है ?

श्री राम लखन—

तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सन् १९७०-७१ (३१ मार्च, १९७१) में पांच राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ तथा सन् १९७१-७२ में पांच राजकीय नलकूपों के निर्माण किये जाने का सर्वे किया गया है।

राजकीय रोडवेज कुमायूं में चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारी

३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मंत्री बतावेंगे कि राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन, नैनीताल के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७१ ई० से ३१ मई, १९७१ तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कितनी बार किस-किस तारीख पर काठगोदाम में इन्टरव्यू लिए गए और इस अवधि में कुल कितनी नियुक्तियां की गयीं और इनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कितने उम्मीदवारों को स्थान दिए गए ?

श्री बलरामसिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन, जिला नैनीताल के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७१ से ३१ मई, १९७१ तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चार बार दिनांक ६ जनवरी, १९७१; ६ फरवरी, १९७१; १३ अप्रैल, १९७१ व ६ मई, १९७१ को काठगोदाम में इन्टरव्यू लिये गये। इस अवधि में कुल निम्नलिखित नियुक्तियां की गईं—

रेगुलर पदों पर नियुक्ति

पद		नियुक्तियों की संख्या	हरिजनों तथा तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की संख्या
१—चालक	..	१३	१
२—परिचालक	..	१६	२
३—क्लीनर	..	३	१
४—मजदूर	..	२	१ (हरिजन मजदूर ने कार्य ग्रहण नहीं किया)

पद	नियुक्तियों की संख्या	हरिजनों तथा पिछड़ी जाति क उम्मीद-वारों की संख्या
वर्कचार्ज पदों पर नियुक्ति		
१—पेन्टर	..	१ ..
२—क्लीनर	..	५ १
३—हैमरमैन	..	१ ..
४—कारपेन्टर	..	१ १

विकास क्षेत्र फखरपुर (बहराइच) में राजकीय नलकूप

४—श्री बासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के खण्ड विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत कितने राजकीय नलकूप लगवाये जाने की योजना है और ये किन-किन स्थानों पर लगवाये जायेंगे ?

श्री रामलखन—

विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत इस वर्ष कोई राजकीय नलकूप लगाना प्रस्तावित नहीं है।

कैसरगंज (बहराइच) में बांध और रैम्पों की मरम्मत तथा राजकीय नलकूप

५—श्री बासुदेव सिंह वैद्य—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में वर्ष १९६९–७० में तहसील कैसरगंज के अन्तर्गत भयंकर बाढ़ के कारण टूट जाने वाले बांध एवं रैम्पों की मरम्मत करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र मरम्मत करवाने की कृपा करेगी ?

श्री रामलखन—

जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में वर्ष १९६९–७० में भयंकर बाढ़ के कारण बैहरा बून्दी बांध को मील १७–२–० पर कृषकों ने काट दिया था जिसकी मरम्मत की जा चुकी है। ७ रैम्प भी टूट गये थे उनकी भी मरम्मत करा दी गई है।

६—श्री वासुदेव सिंह वैद्य—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में तहसील कैसरगंज के अन्तर्गत कितने राजकीय नलकूपों के लगवाने की योजना है और वह किन ग्रामों में लगाये जायेंगे ?

श्री रामलखन—

तहसील कैसरगंज के विकास क्षेत्र हुजूरपुर में एक राजकीय नलकूप ग्राम इमलिया में लगाना प्रस्तावित है।

पौड़ी-गढ़वाल में मोटर मार्ग बनाने में मुआविजा का दिया जाना

७--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में पौड़ी-थैलीसैंथ सन्तूधार-पावों और पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग बनने में कुल कितनी खेती योग्य भूमि, कितने मकान तथा गौशालायें टूटी हैं और कुल कितना मुआविजा दिया गया है ?

श्री महमूद अली खां--

प्रश्नगत मार्गों के लिए कुल १३८.३३३ एकड़ खेती योग्य भूमि ली जा रही है। पौड़ी-थैलीसैंथ मार्ग में ४ मकान (दुकान) तथा १३ गौशालायें टूटी हैं। सन्तूधार-पावों तथा पौड़ी-देव प्रयास मार्गों में कोई मकान व गौशालायें नहीं टूटी हैं। अब तक कुल ५३,८२७.८० रु० मुआविजा दिया गया है।

तिर्वा बाबरपुर (कानपुर) रूट से आय

८--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तिर्वा-बाबरपुर रूट रीजन कानपुर को जबसे परिवहन विभाग ने लिया तब से अब तक इस रूट पर कितनी आमदनी हुई ? इस रूट पर विभाग की कितनी बसें चलती हैं ?

श्री महमूद अली खां--

तिर्वा-बाबरपुर सीधे मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। जिस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है वह शेरगढ़घाट-औरैय्याया-दिबियापुर-तिर्वा तथा बाबरपुर-दिबियापुर हैं। दिनांक १२ अक्तूबर, १९७० से इन दोनों मार्गों पर अलग-अलग क्रमशः ५ व ४ रोडवेज की बसें चल रही हैं। तिर्वा से बाबरपुर तक कोई सीधी बस सेवा नहीं है, अतः उसकी आमदनी का ब्योरा देने का प्रश्न नहीं उठता।

बाबरपुर-दिबियापुर सड़क पर रोडवेज की बसों का चलना

९--श्री गजेन्द्र सिंह--

क्या यह सच है कि रोडवेज की बसें कभी-कभी बाबरपुर से फफूंद तक ही चलती हैं और फफूंद से तिर्वा तक भी रोडवेज की बस सेवा बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव--

जी नहीं। रोडवेज की बसें प्रतिदिन बाबरपुर से फफूंद होते हुए दिबियादुर तक जाती हैं। कभी-कभी यात्रियों की संख्या अधिक होने पर फफूंद से दिबियापुर तक अतिरिक्त बसें चलाई जाती हैं। राजकीय बस सेवा आज तक कभी भी फफूंद से तिर्वा तक नहीं चलाई गई, अतः इसके बन्द होने का प्रश्न नहीं उठता।

१०--श्री गजेन्द्र सिंह--

क्या यह सही है कि रोडवेज द्वारा नियमित यातायात सेवा बाबरपुर से तिर्वा तक न देने के कारण तथा प्राइवेट बसों को बन्द कर देने के कारण जनता को यातायात में असुविधा हुई है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसी कोई मांग या शिकायत जिसमें कि जनता को बाबरपुर से तिर्वा तक सीधी बस सेवा उपलब्ध न होने से असुविधा हुई हो विभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है । यहां इस तरह के लाउड स्पीकर लगे हैं कि जो बिल्कुल कमजोर हैं और हिल रहे हैं । माननीय नौनिहाल सिंह जी के इससे अभी चोट लग गयी है । इनको हटवा दीजिए और दूसरे किस्म के लगवाइए जिससे कि माननीय सदस्यों को चोट न लगे ।

सदन को भंग करने के कथित प्रयत्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं आपकी नोटिस में एक ऐसा प्रश्न लाना चाहता हूं जिसकी चर्चा बड़े जोरों से है और ऐसा नहीं है कि चर्चा अकारण ही हो गयी हो। आज सुबह दैनिक जागरण में एक खबर छपी दिल्ली से कि मुख्य मंत्री जी इस सदन को डिजाल्व करने के लिए कोई सिफारिश करने जा रहे हैं ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, आप जानते हैं कि दलभंजक की सरकार वहां बैठी हुई है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार इस सरकार को भी नहीं रहने देना चाहती इसलिए मजबूर करेगी सदन को डिजाल्व करने के लिए। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी अपना विचार व्यक्त करें।

श्री शिवराज सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परिपाटी पड़ती जा रही है कि जो माननीय सदस्य कोई सूचना देना चाहते हैं वह खड़े होकर सदन के काम में विघ्न डालकर सूचना देना शुरू कर देते हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सदन की नियमावली के नियम ३०१ की ओर दिलाना चाहता हूं। हर माननीय सदस्य को इस प्रकार की सूचना देने का अधिकार तो प्राप्त है लेकिन मौखिक रूप से सूचना देने का अधिकार नहीं है। जब कभी सूचना देनी हो तो लिखित रूप से सचिव, विधान सभा को देनी होगी। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस नियम के अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य सूचना देना चाहें तो क्या मौखिक रूप से दे सकते हैं, क्या लिखित रूप से देना अनिवार्य नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय शिवराज सिंह ने नियम ३०१ की ओर इशारा किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने नियम ३०१ का प्रश्न उठाया है। वह इस प्रकार है :

"जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

श्री कृष्णानन्द राय—

३०१ के अन्तर्गत जो प्रश्न माननीय शिवराज सिंह ने उठाया है उसी के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हमको भी समय दें।

(श्री राजितराम पाण्डेय द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर)

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लोगों की बात सुन लीजिए।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय सदस्य जिस प्रकार की व्यवस्था पैदा कर रहे हैं उससे सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय पांडेय जी ने कहा कि हम समय बरबाद कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा हक है और आपकी सरकार इसको रोक नहीं पायेगी। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन्स दी गयी हैं कि जब विरोधी पक्ष के लोग खड़े हों तब ये डिस्टर्ब करें। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं बैठ रहा हूं। नियम ३०१ का जो प्रश्न माननीय शिवराज सिंह ने उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा हक है। जब कोई माननीय सदस्य इस सदन के बारे में किसी सांवैधानिक प्रश्न पर आपत्ति उठाना चाहते हैं तो वे उठा सकते हैं। श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो "दैनिक जागरण" की ओर ध्यान आकर्षित किया है उससे इस प्रदेश में एक कांस्टीटयूशनल क्राइसेस खड़ी हो गयी है। प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी इस विधान सभा को भंग करें और वे गवर्नर को ऐडवाइस नहीं देना चाहते हैं और देहली से श्रीमन्, उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। न मालूम वे विधान सभा को भंग करने की अभी ऐडवाइस करेंगे या बजट के बाद। यह सारा प्रश्न कांस्टीटयूशनल है और कांस्टीटयूशनल प्रश्न कभी भी उठाया जा सकता है। मुख्य मंत्री जी क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न लिखित रूप में उठाया जाना चाहिए जैसा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह अभी भी उठाया जा सकता है। अगर कांस्टीटयूशन का उल्लंघन होता है तो प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना देने की हर हालत में आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि उनके ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है और वे गवर्नर को ऐडवाइस कर रहे हैं या नहीं। हमको आश्वस्त करा दें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप आशंकित महसूस करते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, बिल्कुल निराधार और बिना किसी जड़-बुनियाद के यह समाचार छपा है। न प्रधान मंत्री ने कोई दबाव डाला है और न किसी ने कोई दबाव डाला है, न मेरा कोई इरादा है विधान सभा को भंग करने का और न गर्वनर को कुछ लिखा गया है और न लिखे जाने का कोई इरादा है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सारा सवाल कुछ लोगों के दिमाग का फितूर मात्र है।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यसूची-२ माननीय मुख्य मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आपकी जब तक कृपा रहेगी तब तक यह सरकार चलेगी, १९७४ तक चलता रहूंगा।

प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियमावली के नियम ३८ में लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। इसको ध्यान में रखते हुये आपने यह देखा कि १ और ४ प्रश्न के उत्तर टाले गये हैं। इसी प्रकार श्री नित्यानन्द स्वामी का प्रश्न संख्या १८ था कि क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० कर्मचारी फेडरेशन द्वारा मांग पत्र दिनांक २३ जुलाई, १९६९ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? इसका जवाब दिया गया है कि जी हां, मांग पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है। अपेक्षित कार्यवाही क्या है, इसको जानबूझ कर जवाब में टाल दिया गया है। मेरा निवेदन है कि श्रीमन् की ओर से इस तरह के आदेश हों कि सरकार की ओर से जवाब प्रश्नों से सुसंगत हों और प्रश्नकर्ता ने जो पूछा उसके उत्तर में आपने व्यवस्था दी कि अगले सप्ताह में प्रश्न आये। श्रीमन्, नियमों में है कि मंत्री के आग्रह पर केवल एक बार स्थगन हो सकता है, दोबारा नहीं होता है, लेकिन बार-बार यह प्रक्रिया चलती रही।

श्री उपाध्यक्ष--

स्थगित नहीं किये जा रहे हैं। मंत्री जी की ओर से याचना नहीं है कि स्थगन दिया जाय। अब यह आदेश दिया गया है कि दूसरे हफ्ते की कार्य सूची में यह रक्खा जाय।

श्री रामधारी शास्त्री--

यह कह दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो हम लोग...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आगे चलिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री जी ने कहा कि स्थायी परमिट डिपुटी आर० टी० ओ० और आर० टी० ओ० देता है लेकिन मैंने नियमों के बारे में देखा तो उसमें आर० टी० ओ० का नाम है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सदन को क्यों गुमराह किया गया है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि कौन-सी बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय बीत गयाहै, आप नियमानुसार उठायें।

२७ जुलाई, १९७१ को सदन को स्थगित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

नियम ३५१ में मैंने लिखकर आपको भेजा और नियमानुसार प्रश्न उठाया है, तब भी मेरा नाम काट दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

इटावा में हरिजनों के साथ दुःव्यवहार किया गया है, मैंने लिख कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई निश्चित कठिनाई आपने नहीं बतलाई है इसलिये अस्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

उनको निकाला जा रहा है, १०,००० रुपया वसूल किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह अस्वीकार किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात सुन ली ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यहां पर कोई व्यवस्था नहीं करना चाहता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप मेरी बात स्वीकार करें या अस्वीकृत करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई नहीं मानता है तो मैं क्या करूं। जैसे आप आग्रह कर रहे हैं वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं, उनको भी हक है, इसलिये व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने मुझे अनरीजनेबुल कह दिया, मैं रीजनेबुल व्यक्तियों में हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आज मैंने लिखकर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था कर दी गई है कि लिखित का जवाब लिखित दे दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक कैसे व्यवस्था देंगे ? मेरी बात सुन तो लें, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पुस्तक के किस नियम के अनुसार आप यह प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप तो प्रिजज कर लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आखिर का यह समय छीना-झपटी का होता है। जोरो आवर है, जिसमें कुछ लोग अपनी बात कहने लगते हैं। लेकिन नियम में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इसके लिये अवसर दिया जाय। माननीय शिवराज सिंह ने कहा कि वे नियम ३०१ में इस प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी छूट हो जाती है जब कोई माननीय सदस्य कोई बात प्रदेश के लिये, अपने लिये या विधान सभा के लिये शंका की स्थिति उत्पन्न करे तो उसका समाधान हो जाय। अब अगर आप कहें कि स्वीकार अस्वीकार क्यों होता है, तो मैं क्या करूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आप आज्ञा देंगे, मैं बैठने में एक आध सेकेंड भी नहीं लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा सवाल जो आपने उठाया कि वे क्यों बोल रहे हैं शायद आप भ्रम में यह बात कह गये। जब दूसरों के लिये कहते हैं तो आप भी न कहते कुछ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--,

श्रीमन्, आप देखें कि प्रक्रिया नियमावली के नियम २९९ (६) में यह दिया हुआ है--"सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिये जिसे वह निर्धारित करें निलम्बित कर सकेंगे।" अव्यवस्था होने पर निलम्बन की व्यवस्था है और स्थगन के लिये नियम १७ है जिसमें कहा गया है--"अध्यक्ष स्वयं अथवा सभा के तद्विषयक प्रस्ताव पर, सभा के उपवेशन को स्थगित कर सकेंगे।"

श्रीमन्, हमारी नियमावली के अन्दर दिया हुआ है कि हम सदन किसको मानेंगे, सदन है क्या ? नियम १४ (२) में दिया हुआ है--"सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।" हमारे संविधान के आर्टिकल १७८-१७९ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यह आसन कभी रिक्त नहीं होगा। यानी जब भी हाउस कांस्टीट्यूट होगा, तब इस हाउस के द्वारा चुना हुआ एक अध्यक्ष वहां पीठासीन होगा यहां उसकी भावना है। उसके अन्दर दूसरी स्थिति यह है कि जब सत्रावसान हो जाय तो अध्यक्ष उस उपवेशन को स्थगित कर दे या अगले दिन के लिये अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दे। नियम २९९ (६) में है कि अधिक अव्यवस्था होने पर अध्यक्ष उसे निलम्बित कर दे। लेकिन आपने कल सदन को निलम्बित भी नहीं किया और सदन को स्थगित भी नहीं किया और १५ मिनट के लिए सदन सदन ही नहीं रहा।

मैंने लिखकर दिया है कि यह कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस है जो हमारे प्रदेश में पैदा हो गयी है। आप देखें कि सदन जब स्थगित होता है तो यह तो माननीय राज्यपाल की तरफ से सत्रावसान हो जाता है या श्रीमन् की तरफ से अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जाता है या एक उपवेशन को अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित कर देते हैं या शोरगुल होने पर निलम्बित कर देते हैं। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गयी। श्रीमन् ने सदन को

स्थगित भी नहीं किया, निलम्बित भी नहीं किया और यहां से उठकर चले गये। मैं पिष्टपेषण के लिये उस बात को कहना नहीं चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि उसकी कल ही अन्त्येष्टि हो गयी। लेकिन १५ मिनट तक जो व्यवस्था रही, उसको आप सदन का स्थगन कहेंगे, या निलम्बन कहेंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्योंकि कोई ऐसी स्थिति नहीं थी इसलिये हमारे प्रदेश के अन्दर एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस उपस्थित हो गयी है जो अभूतपूर्व है और हमारे इतिहास के अन्दर कभी नहीं हुई, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। यदि आप उचित समझते हैं तो पहले इस पर एडवोकेट जनरल की राय ले लें और उसके बाद अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न मेरे पास आया लेकिन मैंने इस पर अनुमति नहीं दी क्योंकि सदन १५ मिनट के लिए स्थगित किया गया था। जब मैं गया तो मैंने १५ मिनट के लिए सदन स्थगित किया। यह अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। आप कहेंगे कि शोरगुल या अव्यवस्था की आशंका होती तो यह करते। कल ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। इसलिए जब मैं यहां से उठा तो खड़े होकर मैंने कह दिया कि १५ मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं और मैं उठकर अपने कक्ष में चला गया और अधिष्ठाता महोदय को अधिकृत किया कि वह जाकर सदन में बैठें। उसके बाद कार्यवाही चली।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह २९९(६) के अन्तर्गत नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप इस पर एडवोकेट जनरल की राय ले लें। यह आपसे सम्बन्धित है। या तो आप माननीय अध्यक्ष के लिए यह रूलिंग रिजर्व कर दें या एडवोकेट जनरल की राय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपके तर्क को अस्वीकार करता हूं और अपनी व्यवस्था पर पुनः मोहर लगाता हूं।

सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर देने की मांग

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां जितने माननीय सदस्य हैं उन सबकी हैसियत और अधिकार बराबर हैं। जितना हक हमको है उतना ही कृष्णानन्द राय जी को है। अध्यक्ष महोदय ने तो पिछले सत्र में यहां तक कहा था कि नेता विरोधी दल का उतना ही हक है जितना माननीय नेता सदन का। लेकिन केवल कुछ सदस्य, जैसे कृष्णानन्द राय, रामबिलास पांडे, बंशीधर पांडे या स्वामीजी, ऐसे हैं जिन्हें आप जरूरत से ज्यादा समय दे देते हैं और अगर आप पिछली कार्यवाही निकाल कर देखें तो आप कहेंगे कि उनकी बातों में ७५ फीसदी बातें बेबुनियाद रहती हैं। जब हम खड़े होते हैं तो आप डांट देते हैं और कल से तो मैं बहुत डरने लगा हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो उन लोगों को भी हमारी सीमा के अन्दर रखा जाय या फिर हमें भी अवसर दिया जाया करे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिये आपके माध्यम से अपनी भावना उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक आदर का सवाल है, हम में और उनमें कोई अन्तर नहीं है बल्कि कुछ मायनों में वह हमसे बड़े हैं। लेकिन एक माने में हमारा अधिकार ज्यादा है। चूंकि माननीय पांडेय जी मुख्य मंत्री जी के पीछे बैठते हैं और हम मुख्य मंत्री जी के आगे बैठते हैं तो हमारा अधिकार ज्यादा हो गया।

प्रेस मान्यता समिति के सम्बन्ध में सूचना राज्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में श्री चरणसिंह का स्पष्टीकरण

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मुझको यह मालूम हुआ है कि कल उत्तर प्रदेश प्रेस को जो मान्यता देने वाली समिति है उसको गवर्नमेन्ट की तरफ से भंग कर दिया गया और जो जनरलिस्ट एसोसिएशन के रिप्रेजन्टेशन का सवाल था वह समाप्त हो गया। माननीय राज्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें सन् ६७ के मेरे नोट का जिक्र किया है। वह नोट तो सही है। लेकिन उनके बयान से ऐसा लगता है कि जो आज गवर्नमेन्ट ने किया है उससे मैं सहमत हूं। जब मैंने वह नोट लिखा था तो उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि इन एसोसिएशन की क्या तादाद है, क्या हैसियत है। इसलिए मेरी इच्छा यह थी एक ही बाडी या एसोसिएशन हो और जिस तरह से ट्रेड यूनियन्स या ट्रेड आर्गेनाइजेशन्स मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन्स में बंट जाते हैं वह स्थिति यहां न हो। यह मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन धीरे-धीरे बजाय आपस में सद्भावना बढ़ने के एक दूसरे से अलग होते गये और सन् ६९ में इसीलिए गुप्ता जी ने और त्रिपाठी जी ने तय किया कि दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। सन् ७० में जब मेरे सामने सवाल आया तो मैंने फिर अपने पहले के विचार पर जो सन् ६७ में किया था, उस पर अमल नहीं किया और यह स्वीकार किया कि जो स्थिति है वह बनी रहे। इसलिये गवर्नमेन्ट की ओर से जो वक्तव्य आया उस पर मेरी सहमति नहीं है।

विविध विषय

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, सुरेन्द्र विक्रम सिंह के प्रस्ताव के बारे में जो आपने कहा कि निश्चित घटना होना चाहिये, तो उसमें निश्चित घटना का जिक्र है, आप चाहे नियम ५१ में देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब ४–५ बजे जब यह प्रश्न आयेंगे तब कहियेगा। (व्यवधान)

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, सीढ़ियों के सामने वाला गेट खुलवा दिया जाय, उसके लिये अध्यक्ष महोदय भी सहमत हो गये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह जो कान्सटेबिल बाहर गेट पर खड़ा रहता है वह एक किनारे खड़ा रहता है, ट्राफिक को वह चेक नहीं करता....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बातें मेरे कक्ष में कृपया कहें, तो मैं देख लूंगा।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का१९६९–७० का प्रतिवेदन *

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों के संबंध में वर्ष १९६९–७० के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर चर्चा की मांग मैं करता हूं, आप इसके लिये कोई समय निर्धारित करने की कृपा करें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं भी चाहता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं भी इससे सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको देख लेंगे ।

परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर के विकास तथा उसमें सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया)—

मैं परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के विकास तथा उसमें सड़कों के निर्माण के संबंध में श्री बादाम सिंह, निवासी अमरेडी, परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार भंग की जो सूचनायें आयी थीं उन सबको मैंने अस्वीकार कर दिया है, मैंने संबंधित माननीय सदस्यों से बातें भी कर ली हैं । आपस में कुछ कहा सुनी के मामले थे, उससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है । (व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २८ जुलाई, १९७१ के बैठक में समिति द्वारा २६ जुलाई, १९७१ की बैठक में की गयी सिफारिशों पर पुनर्विचार करके सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

दिनांक ९ व १२ अगस्त, १९७१ को सदन के उपवेशन न हों । ६ अगस्त , १९७१ को सदन का उपवेशन न किये जाने के संबंध में पहले निश्चय किया जा चुका है ।

(२) अनुदान संख्या १०, ११ व १५ जो प्रस्तुत किये जा चुके हैं उन पर बजाय ३ दिन के केवल ढाई दिन ही विवाद तथा मतदान हो ।

---

*छापा नहीं गया ।

[श्री उपाध्यक्ष---]

(३) अनुदान संख्या १८ पर १६ व १७ अगस्त को ढाई बजे तक विवाद तथा मतदान हो और तदुपरान्त पांच बजे तक अनुदान संख्या २८ पर विवाद तथा मतदान हो ।

(४) अनुदान संख्या २५, ४१ व ४७ पर १८ अगस्त, १९७१ को पूरे दिन विवाद तथा मतदान हो ।

(५) अनुदान संख्या १९ व २० पर १९ अगस्त, १९७१ को विवाद तथा मतदान हो ।

(६) अनुदान संख्या ३३, ३४, ३५ व ५० पर २० अगस्त, १९७१ को विवाद तथा मतदान हो ।

(७) अनुदान संख्या ६, ७, ८, ३९, ५२ पर बिना विवाद के मतदान हो तथा अनुदान संख्या ४ व ५४ पर २३ व २४ अगस्त, १९७१ को ढाई बजे तक विवाद तथा मतदान हो ।

(८) अनुदान संख्या ३१, ३२, ४८ व ४९ पर २४ अगस्त को ढाई बजे से विवाद तथा २५ अगस्त, १९७१ तक विवाद तथा मतदान हो ।

(९) अनुदान संख्या २१, २२, २३ व ४६ पर २६ अगस्त व २७ अगस्त को ढाई बजे तक विवाद तथा मतदान हो ।

(१०) अनुदान संख्या ४२ पर २७ अगस्त, १९७१ को ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक विवाद तथा मतदान हो ।

(११) २७ अगस्त, १९७१ को ४--३० बजे से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण हो ।

(१२) दिनांक १० व ११ अगस्त, १९७१ को अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले समस्त विधेयकों पर विचार व उनके पारण के प्रस्ताव लिये जाएं ।

(१३) अगस्त के चौथे शुक्रवार को सरकारी कार्य अर्थात् अनुदानों के लिये मांगों पर विवाद तथा मतदान हो ।

(१४) जिन अनुदानों पर विवाद ढाई बजे समाप्त हो उन पर मतदान उसी समय हो ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य इससे सहमत नहीं हैं जो कार्य-मंत्रणा समिति में यह निश्चय किया गया है । उसमें भारतीय क्रान्ति दल का कोई समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसी उसकी संख्या है । मान्यवर, इसको आप हमारी तरफ से असहमति मान लें, केवल मैं उसका सदस्य हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न आया था कार्य-मंत्रणा समिति में । सबकी राय थी कि आपका प्रतिनिधित्व वहां पर हो । माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों से बात करेंगे ।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)---

मैं प्रस्ताव करता हू कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को यह सदन स्वीकार करता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

[प्रश्न यह है कि कार्य-मंजणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को यह सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

२७ जुलाई, १९७१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी)--

कल दिनांक जुलाई २७, १९७१ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी तथा राम गोपाल सण्ड के अनपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह उत्तर दिया गया था कि हमारी राज्य सरकार के एक हजार रुपये तथा उसके ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सौ रुपये तदर्थ महंगाई भत्ता दिया जाता है। उक्त उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार हैं--

राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है जो केवल रुपये नौ सौ प्रति माह तक वेतन पाते हैं। रुपये नौ सौ पर ४३ रुपये महंगाई भत्ता देय है। इसके ऊपर रुपये नौ सौ सैंतालिस तक वेतन पाने वालों को वह धनराशि महंगाई भत्ते के रूप में देय है जिसे मिलाकर कुल वेतन रुपये नौ सौ सैंतालिस हो जाय। सही उत्तर न देने का मुझे खेद है।

मिर्जापुर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सीमा के पत्थर अनियमित रूप से लगाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

माननीय श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने नियम ५१ के अन्तर्गत सदन का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित किया है कि मिर्जापुर जिले के वर्ग ४ के अन्तर्गत के काश्तकारों की भूमि को वन विभाग अपने अधिकार में कर रहा है तथा वन विभाग ने उसी उद्देश्य से काश्तकारों की भूमि पर मुनारे लगाकर उसे वन सीमा में ले लिया है।

इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद मिर्जापुर जिले की दुद्धी तथा राबर्टसगंज तहसील में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण अंचल में २,३२,२८७ हैक्टेयर भूमि वन विभाग में निहित हुई थी। यह निहित भूमि अधिकांश अगोरी, विजयगढ़ और सिंगरौली की भूतपूर्व रियासतों की थी जिनमें राजस्व अभिलेखन पहले कभी नहीं हुआ था। सन् १९६० में दुद्धी तहसील के सिंगरौली परगना तथा १९६४ में राबर्टसगंज तहसील के अगोरी और विजयगढ़ परगने में ऐसी अभिलेखन कार्यवाही प्रथमवार की गई। इन अभिलेखन कार्यों के दौरान बहुत सी ऐसी भूमि जो वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी उन पर बहुत से व्यक्तियों को वर्ग ४ श्रेणी में रिकार्ड कर दिया गया है। इस प्रकार के वर्ग ४ के काबिजों की प्रविष्टियां इस समय तक उपलब्ध राजस्व विभाग के अभिलखों में दुद्धी तहसील के सिंगरौली परगने में लगभग ६,०९४ हैक्टेयर और अगौरी, विजयगढ़ परगनों में २३,०८१ हेक्टेयर के लगभग है। अतः वर्ग ४ के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जों का कुल क्षेत्रफल लगभग २९,१७५ हेक्टेयर है।

दुद्धी वन प्रभाग की सभी भूमि को भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत रक्षित वन बनाने का कार्य आरंभ किया गया और वन भूमि का प्रारंभिक सीमांकन आरंभ हुआ। इस प्रारंभिक सीमांकन में सर्वेक्षण कर के राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमा स्थल पर मुनारे लगाने का कार्य किया गया। इस प्रकार वन सीमा के मुनारे वर्ग ४ में प्रविष्ट काबिजों की भूमि पर भी लगाने पड़े। तब इन वर्ग ४ के अनधिकृत काबिजों ने आपत्ति की तथा विधान सभा के कतिपय सदस्यों ने शासन के पास विरोध-पत्र भेजते हुए कहा कि प्रश्नगत क्षेत्र की भूमि पर जहां लोगों के घर, कुंवा आदि वर्षों से बने हुए हैं उनको वन विभाग अपने कब्जे में ले रहा है। अतः उन्होंने संस्तुति की कि वह जमीन जिन पर उनका वर्षों कब्जा है, से उनको बेदखल न किया जाय और

[श्री गुलाबसिंह]

इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाय। भू-अभिलेखों में इंद्राज के आधार पर २,९१७५ हेक्टेयर (७२,९३८ एकड़) भूमि पर कब्जे की समस्या है। हो सकता है कि मौके पर कब्जा इससे भी अधिक क्षेत्र पर हो जो कि अभिलेखन कार्य के बाद हुआ है। इस तरह वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों की प्रवृत्ति की रोकथाम शीघ्रतापूर्वक करना भी आवश्यक है।

कुछ वर्ग ४ में अंकित लोग भी हैं जिन्होंने जमींदारी के समय जमींदारों से मौखिक पट्टा या इजाजत के फलस्वरूप कब्जा किया था। कुछ लोगों ने अपने आप ही भूमि पर कब्जा किया है और उनके कब्जे में अब भी बड़े बड़े रकबे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से एसे क्षेत्र वर्ग में ४ में दर्शाए गये हैं जो अभी भी वन के रूप में खड़े हैं।

इस व्यापक समस्या के समाधान हेतु वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विचार विमर्श क के शासन को सुझाव दिये हैं। इस पर शासन विचार कर रही है। जब तक इस मामले में शासन की ओर से निर्णय न हो जाय तब तक के लिये संबंधित वर्ग ४ दर्ज काबिजों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मैं माननीय वन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मिर्जापुर का सवाल है, सारे प्रदेश में १० लाख एकड़ जमीन है, जो न राजस्व विभाग की है, न वन विभाग की है और न किसी की है। जो चाहता है किसान से पैसा ले लेता है, क्या इसके लिए वन मंत्री आयोग या हाई पावर कमेटी जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी और वन विभाग के भी अधिकारी हों बनायेंगे जिससे सारे प्रदेश में जितने झगड़े हैं वे साल दो साल में खत्म हो जाएं ?

श्री गुलाब सिंह--

जहां तक मिर्जापुर का संबंध है यह समस्या शासन के विचाराधीन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

सेटिलमेन्ट न होने के कारण क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो लोग पहले से काबिज हैं चाहे उनके नाम कागजात में दर्ज हों या न हों, उनको सीरदारों के राइट्स दे दिए जायेंगे और यह जो सरकार ने उत्तर दिया है कि परामर्श किया है और निर्णय ले लिया जायगा तो कितने समय में वह निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री गुलाब सिंह--

इस सब पर विचार किया जा रहा है। जैसा वक्तव्य में भी बतलाया गया है बहुत से पट्टे ऐसे हैं जो लिखित रूप में नहीं हैं उन पर शासन विचार कर रहा है और जहां तक निर्णय की बात है शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

यह खासतौर से हमारे क्षेत्र का मामला है और इस संबंध में १०सूत्री मांग रखी गयी थी उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार जमींदार एबोलीशन ऐक्ट के पहले से जो आबाद हैं और जिनके कुंवें, मकान तथा खेत हैं उनको सीरदारी राइट्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गुलाब सिंह--

ये सभी बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

इस व्यापक समस्या के समाधान हेतु वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विचार विमर्श के बाद शासन को सुझाव दिये हैं तो वे क्या सुझाव हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो तफसील का प्रश्न है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

वर्ग ४ में किसान दर्ज किया गया है तो क्या सरकार ने वर्ग ४ के खिलाफ कार्यवाही करके उसका पता लगाया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह भी तफसील का प्रश्न है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

व्यवस्था का प्रश्न है । यह केवल वक्तव्य के लिए वक्तव्य था तो क्या आपने उस पर प्रश्न करने की इजाजत दे दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न करने के लिये नहीं स्पष्टीकरण के लिये इजाजत दे दी थी ।

श्री राम प्यारे---

वक्तव्य में कहा गया है कि बेदखली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है लेकिन वास्तविकता यह है कि मिर्जापुर के आदिवासी जो वर्षों से जंगलों पर काबिज हैं, वह घर, मकान तथा कुंआ बनाये हुए हैं उनको जंगल विभाग खेती करने से रोक रहा है और उनको ऐसा करने के कारण जेलों में भर दिया है तो क्या सरकार जेल में भेजे गये आदिवासियों को जेल से मुक्त करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

जब बजट आये तो आप बहस में उठा सकते हैं ।

कानपुर जिले के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत कल्यानपुर सेटिलमेन्ट (हाबुड़ों की बस्ती) पर अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

जिला कानपुर के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत कल्यानपुर सेटलमेंट हाबुड़ों की बस्ती है। इस क्षेत्र के रहने वाले हाबुड़ों अपराधी प्रकृति के हैं वे अपराध कराते हैं। इस बस्ती में वांछित अपराधियों और अन्तर्जिला और अन्तर्प्रान्तीय अपराधियों का आना जाना भी है। कानपुर जनपद में हाल ही में कुछ सनसनी खेज डकैतियां पड़ीं जिनमें लोग मारे भी गये तथा जिससे उस क्षेत्र में काफी आतंक रहा। अधिकारियों की उच्चस्तरीय बठक में अपराधियों की खोजबीन करने व गतिविधियों की चेकिंग तथा उनकी गिरफ्तारी करने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के अनुसार १६-१७ जुलाई, १९७१ की रात एक सब-इंस्पेक्टर दो हेड कांस्टेबुल और १९ कांनिस्टेबुल थाना कल्यानपुर से हाबुड़ों की बस्ती में आकस्मिक

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

जांच पड़ताल की गये और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछ ताछ के लिए थाने पर लाये पूछ ताछ और जांच पड़ताल के बाद उनको छोड़ दिया गया। न तो किसी को थाने पर रोका गया, न मारा पीटा गया और न ही किसी से रिश्वत ली गई। १७ जुलाई, १९७१ को दिन रात गश्त तथा अपराधियों की छानबीन होती रही जिसके फलस्वरूप ३५ अपराधी पकड़े गये जो सभी कल्यानपुर के हाबुड़ें थे। यह बात सही नहीं पाई गई कि अमर सिंह नाम के व्यक्ति की पत्नी से ३००० रु० का जेवर छीन लिया गया। कुछ व्यक्तियों के लापता हो जाने की बात भी सही नहीं पाई गई।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) श्री अग्रवाल के विरुद्ध आरोपों में भी कोई सत्यता नहीं प्रतीत हुई। सब इंसपेक्टर श्री जयन्त के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी नें जो अपना वक्तव्य दिया है वह नितान्त भावुक है और सत्य पर आधारित तथ्यों से परे है। १६ तारीख की रात्रि को सेटिलमेंट के २०० आदमी थाने में ले जाये गये जिनमें कि ६ वर्ष के बच्चों से लेकर ८० वर्ष के बुड्ढे तक थे। उसके बाद उनको २० आदमियों की लाइन बनाकर खड़ा किया गया और कहा गया कि एक दूसरे के थप्पड़ लगाओ। जिन्होंने थप्पड़ नहीं लगाई उनको अलग ले जाकर लाठी डंडों से पीटा गया। मान्यवर, यही नहीं, उनमें एक अमरसिंह नामक आदमी की पत्नी के ३००० रुपये के जेवर इन्होंने ले लिये। मान्यवर, यह बहुत ही अहम मसला है अतः इसकी जांच होनी चाहिए। वहां पर रिश्वतखोरी भी बहुत चल रही है। इन दो सौ आदमियों को रिश्वत लेकर ही छोड़ा गया। जिनमें सरकारी कर्मचारी, तथा अन्य वरकर्स भी थे। मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों २०० आदमियों को थाने में ले जाया गया? यदि आप के इस हजरतगंज में कोई डकैती या कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सारे हजरतगंज वालों को थाने में ले जायेंगें? और मान्यवर, उनका कसूर ही क्या था? कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में बी० के० डी को वोट दिया था, वे सब बी० के० डी० के वर्कर्स थे। उस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वहां पर इस तरह की रिश्वतखोरी हो रही है और पुलिस के लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इससे रिश्वतखोरी कम होगी या बढ़ेगी? अतः मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय ताकि सही तथ्यों का पता लग सके।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि १६ तारीख को तो इस तरह से २०० आदमियों की मारपीट की गई किन्तु फिर दूसरे दिन ३५ आदमियों को और पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। वे निर्दोष हैं। अतः इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच होनी चाहिए।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बड़े रोषभरे शब्दों में कहा है उसके सम्बन्ध में मैं साफ कह देना चहता हूं कि कानपुर जिले के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत कल्यानपुर सेटिलमेंट के २०० व्यक्तियों जिनमें ६ से लेकर ८० वर्ष तक के लोग थे, को थाने में लाया गया और किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई और मारपीट से किसी को चोट नहीं लगी....

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी सही है कि पुलिस ने अमर सिंह नाम के टेलीफोन विभाग के कर्मचारी की नव-विवाहित . . . ।

(व्यवधान)

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य को मेरे वक्तव्य के अतिरिक्त यदि कोई और जानकारी हो तो वे कृपया हमें लिखकर दे दें। यदि कहीं कोई दोषी पाया जायगा तो उसे कठोर दंड दिया जायगा, हम किसी को शील्ड करने की नीति नहीं रखते हैं। उनके लिखने के बाद गहराई के साथ तथ्यों की छानबीन करेंगे।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी:--

एक स्पष्टीकरण है कि समाज के द्वारा उनको सुधारने के लिए एक सेटिलमेंट बनाया गया है, वहां पर एक कारखाना भी है और पूरी देखभाल वहां की जाती है। पर क्योंकि वे तिरस्कृत हैं समाज में इसलिए २-२ सौ आदमी पकड़ कर थाने में ले जाये गये। कल्यानपुर में जो आज कल रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो रहा है, जो लोग रिश्वत खुले आम लेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती। उनके स्थान पर उन दो सौ को क्यों ले जाते हैं?

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय बाजपेयी साहब ने शुरू में यह बात साफ कर दी थी कि जो बयान दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वह गलत है और उन्होंने मांग की थी कि सी० आई० डी० की इंक्वायरी करा ली जाय और डेफिनिट उन्होंने बातें कहीं, कोई बात वेग नहीं कही। तो मेरे नौजवान मित्र ने फिर अपना पुराना बयान पढ़ कर सुना दिया। अब उनकी डिमांड यह है कि इसकी सी० आई० डी० इंक्वायरी कराई जाय, उस पर वह फरमाते हैं कि लिख कर दिया जाय। लिख कर तब दिया जाता है जब कोई बात स्पष्ट न हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अब क्या जरूरत है लिख कर देने की? माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कठिनाई है? एक जिम्मेदार एम एल० ए० इतने डेफिनिट ऐक्सेंशंस कर रहे हैं तो उनकी जो दरख्वास्त है सी० आई० डी० की इंक्वायरी की, मैं समझता हूं ऊपर उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

यह कल्याणपुर की जो कालोनी है यह हबूड़ों की कालोनी है सरकार ने बसाई है। यह तो रिपोर्ट रही है सरकार के पास कि यहां के लोग कानपुर में भी और कानपुर के आस-पास के जिलों में भी--इटावा में भी और एक आध और जिलों में और इसके सिवा दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में डकैतियों में शरीक हुए हैं और इस प्रकार वहां के अधिकारियों को फिक्र हुई कि किस तरह से इस चीज को रोका जाय। इटावा, फतेहगढ़ और कानपुर के ये अधिकारी बैठे और उन्होंने यह निश्चय किया कि इस कालोनी में खोज बीन की जाय क्योंकि बहुत से जरायम पेशा लोग वह आकर छिप जाया करते हैं और उनके साथ मिलकर और डकैतियां डालते हैं जिलों में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राजस्थान, मध्यप्रदेश डकैतियों में नामजद किया गया है जोकि यहां आते हैं और छिप जाते हैं। ऐसे १२ केसेज सामने आये। इसी प्रकार फिर यह छान-बीन पुलिस की ओर से शुरू हुई। अब सवाल यह है कि ३५ आदमियों के अलावा कुछ और लोग जो कस्बे के आदमी थे वहां की खोजबीन में वह लाये गये और कहना उनका यह है कि जांच पड़ताल करके छोड़ दिया गया और खोज जारी है। ३५ आदमी पकड़े गये हैं जो सन्देहात्मक स्थिति में पाये गये। इस एक बड़े मामले को हल करने के लिए कि

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आस पास के जिलों में भी और किन्हीं दूसरे प्रदेशों में भी डकैतियां होती हैं उसकी रोकथाम के लिए यह काम किया जा रहा है सी० आई० डी० की जांच के माने होंगे कि सारी कार्यवाही रोक दी जाय जबतक सी० आई० डी० की जांच न हो। अगर आप यह समझते हैं कि जो पकड़े गये लोग हैं उनको छोड़ दिया जाय और जो पुलिस खोज लगा रही है वह तब तक रोक दी जाय जब तक कि सी० आई० डी० की इंक्वायरी न हो, तो यह मुनासिब नहीं होगा।

*श्री चरण सिंह—

मेरी हरगिज यह मंशा नहीं है कि जो लोग दूसरे डकैती आदि जुर्मों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या सूबे के दूसरे जिलों में, माकूज हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही न की जाय। सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से यह एक सेटिलमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से वहां एक मैनेजर रहता है। उसके वहां रहते हुए, गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट रहते हुए, यों तो दुनियां में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यह सामान्य बात से ऊपर की बात होती है कि ये लोग इतनी दूर-दूर जाकर जुर्म करते हैं। यह ठीक है कि क्रिमिनल ट्राइब (हाबूड़ों) का एक सेटिलमेंट है जो पहले ऐसे जुर्म करते थे। लेकिन इसी वास्ते ये सेटिलमेंट बसाये गये थे और गवर्नमेंट का वहां प्रबन्ध रहता है। उसके बाद ऐसे कामों की उनको सहूलियत नहीं होनी चाहिये। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी की इत्तला होगी और मैं मानता हूं कि वह काफी सही होगी। लेकिन यहां ३५ नहीं बल्कि २०० आदमियों को गाय बकरी की तरह से ले जाना, पढ़े लिखे लोगों और कर्मचारियों को ले जाना, ६ बरस और १२ बरस तक के बच्चों को ले जाना कैसे उचित हो सकता है। ८० बरस के बूढ़ों को क्यों ले जाया गया? जिन लोगों पर डकैती चोरी आदि के जुर्म थे उनको ले जाया जाता लेकिन इन २०० आदमियों को क्यों हांक कर ले जाया गया। इसके अलावा, उनको पीटने तथा उनसे रिश्वत आदि लेने के भी चार्जेज हैं। जिन लोगों ने जुर्म किया है, उनको बेशक सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलता रहे लेकिन जो एजीटेशन लोकल पुलिस के खिलाफ है, उसमें तहकीकात करने की जरूरत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, डी० आई० जी० से रिपोर्ट मंगा लेंगे। उस रिपोर्ट के आने के बाद अगर यह समझ में आया कि इंक्वायरी की जरूरत है, तो इंक्वायरी करा ली जायगी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस दिन से यह सदन चल रहा है, उस दिन से काफी मामले डकैती और लूट के इस सदन में प्रस्तुत किये गये और अब तक जो भी रिपोर्ट सरकार की तरफ से प्रस्तुत की गई, मेरा ऐसा खयाल है कि उनमें से कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत न की हो कि सरकार ने गलत रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है। मैंने भी एक मामला उठाया था जिसके उत्तर में कहा गया था कि दफा ८६ और ८७ की कार्यवाही हो रही है। लेकिन जब पूरक प्रश्न किये गये तो मालूम हुआ कि 'कार्यवाही की नहीं जा रही है' लेकिन "होने जा रही है" और जो मुल्जिमान ए० डी० एम० (जे०) के इजलास में पेशी पर आये थे, उन को भी नहीं पकड़ा गया। ऐसे कई मामले सदन में आये हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुलिस विभाग एक बहुत चालाक विभाग है। यह किस प्रकार से किसी मामले को लपेट कर रखता है, माननीय मन्त्री जी नये मन्त्री हुए हैं, उनको यह बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाननी चाहिए। उनको यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि पुलिस वाले कितने चालाक होते हैं। हर मामले को वह रंग कर भेजते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आज सामान्य प्रशासन पर चर्चा होने वाली है, उस समय आप इस पर रौशनी डाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस पर तो व्यवस्था हो जाय कि इस तरफ से जो सदन में रिपोर्ट आती हैं. . . ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मेरे क्षेत्र का मामला है मेरी एक बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, इस तरह से न बोलिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब हम आगे चले गये हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

चौधरी साहब ने सी० आई० डी० की जांच का सुझाव दिया है, वही उपयुक्त है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो डी० आई० जी० द्वारा द्वारा जांच कराने की बात कही है वह बिलकुल अनुपयुक्त है। इसके बारे में मैं कुछ तथ्य देना चाहता हूं।

मैं इसमें तथ्य देना चाहता हूं, एक मिनट लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं। यह ढंग ठीक नहीं है।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५--पुलिस (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष

अब माननीय शीतला प्रसाद सिंह, जो कल सामान्य प्रशासन पर बोल रहे थे, अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

*श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल पुलिस प्रशासन पर बोल रहा था। मुझे पुलिस प्रशासन के बारे में अधिक नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना है कि जो संविद के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन का स्तर गिर गया था उसे ठीक करने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये। इस ढाई, तीन साल के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन इतना अस्त व्यवस्त हो चुका है कि गांव के

---

†२७ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शीतला प्रसाद सिंह]

रहने वालों का जन जीवन सुरक्षित नहीं है। उसके लिये सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां जो गरीब लोग हैं उनको गांव के जो आतंकवादी लोग हैं वह तरह तरह से परेशान करते हैं और यह सरकारी मशीनरी द्वारा करते हैं। अधिकांश तो ऐसा करते हैं कि कोई आदमी अगर किसी के यहां हल जोत रहा है और तनख्वाह कम पाता है और छोड़ दिया किसी कारण से कि हमारा इसमें काम नहीं चलता है तो वह पुलिस से मिल कर डकैती ऐसे बड़े बड़े संगीन मामलों में उसे रखवा देते हैं जिससे वह बर्बाद हो जाता है। इसको भी देखने की जरूरत है। आज प्रदेश में जिस वातावरण में गरीब और अमीर की लड़ाई है उसमे सरकार अगर क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेगी तो लाखों, करोड़ों गरीब लोग जो पिस रहे हैं वह इसी तरह से पिसते रहेंगे, उनको किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता।

तीसरी बात मुझे कुछ न्यायालयों के सम्बन्ध में कहनी है। जैसे तहसीलदार, एस०डी० ओ० के यहां जो छोटे-मोटे मुकदमें चलते हैं उनकी बरसों तक पेशियां हुआ करती हैं और लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं, पेशकारों को रिश्वत देनी पड़ती है और उनका वक्त भी जाया होता है। तो इसके लिये भी सरकार की कुछ टाइम निश्चित कर देना चाहिये ताकि उनको समय से न्याय मिल सके।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए)

चौथी बात मुझे सहकारिता विभाग के बारे में कहनी है। जनता को एक सहूलियत देने के लिये यह विभाग कायम है। लेकिन सहूलियत क्या, उसमें तो इतना फ्राड चल रहा है कि गांवों में सरपंच फर्जी प्रस्ताव ले कर लाखों रुपये उन गरीब लोगों के नाम से लेकर अपने निजी काम में खर्च कर लेते हैं और उनके फर्जी अंगूठे और दस्तखत बना लेते हैं। जब उनके खिलाफ आरबीट्रेशन होता है तो डिग्री हो जाती है। बेचारे न्यायालय में जायं तो गरीब आदमी हैं, उनको उस शिकन्जे में फंस कर पिस जाना पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

इसी तरह से खसरे का इन्दराज पिछली सरकार ने बन्द कर दिया था कि लेखपाल एन्ट्री न करें। लेकिन कानूनगो और तहसीलदार से मिलकर लोग वर्ग ९ में फर्जी इन्दराज करवा लेते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब जमीन उनके पास नहीं रही तो मुकदमा कहां से लड़ें। यह भी एक समस्या है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि वर्ग ९ समाप्त कर दिया जायगा लेकिन नहीं समाप्त हो पाया। आज भी लोग परेशान हैं।

कल हमारे यहां सामान्य प्रशासन पर माननीय चौधरी साहब ने बहुत बड़ा दोषारोपण सरकार पर लगाया। मुझे खेद है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाये वह सभी पर आते हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं लेकिन इतने नीचे स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। कल जो मैंने सुना उसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। आज नहीं शुरू से प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है वह सारा प्रदेश जानता है और हमारे आदरणीय सदन के सदस्य भी जानते हैं। सम्पूर्णानन्द जी जैसा त्यागी और तपस्वी आदमी इस देश में नहीं हुआ। जिस कुर्सी के लिये लोग मरते हैं उसको उन्होंने सहज ही में ठुकरा दिया था। लोगों ने उनसे प्रार्थना की और बड़ा प्रयत्न किया कि हम बहुमत से आपको इस कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं किन्तु उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक बार कह चुका हूं कि अगर मैं चुनाव हार गया तो चीफ मिनिस्टर से हट जाऊंगा। ऐसे आदमी पर भी दोषारोपण किया गया। उस दोषारोपण के लिये मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं कि क्या हुआ। उसको सब जानते हैं। यही नहीं बल्कि मिनिस्टर बनने के लिये यह सब कांड हुआ। पहले गुप्ता जी को बुरा कहा जाता था। उसके बाद गुप्ता जी के साथ मिलकर सम्पूर्णानन्द को बुरा कहा गया। जब वह चीफ मिनिस्टिर नहीं बन सके तो कमलापति जी के साथ आ गये। ६७ में

एक स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा लेकिन सुबह ही कांग्रेस को छोड़कर संविद में जाकर शामिल हो जाते हैं। इस तरह का आचरण उनका रहा है फिर भी उनके शासन काल में जो हुआ उसको सब लोग जानते हैं। अभी उन्होंने १८७ जाट सब इन्सपक्टरों की भर्ती करा दिया। इससे प्रदेश के लोगों में जो असन्तोष फैला उसको चाहे वह न जानते हों लेकिन प्रदेश की आम जनता अच्छी तरह से जानती है। प्रदेश की आम जनता की जो धारणा है कि चौधरी साहब ईमानदार आदमी हैं वह ईमानदारी उनकी कम हो गई। उसका ही यह रिएक्शन हुआ कि पिछले आम चुनाव में उनका केवल एक आदमी ही रिटर्न हुआ जब कि उनको आशा थी कि उनके ७०, ८० आदमी आयेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामन्य प्रशासन पर बोलने का मौका दिया। मुझे बहुत बड़ी आशा थी कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो हमारे पंडित जी मुख्य मन्त्री हुये वे यहां पर समाजवाद लाने का प्रयत्न करेंगे। हमने समझा था कि ये लोग समाजवाद का नारा बहुत लगाते हैं तो समाजवाद की व्यवस्था यहां पर होगी और उससे हमारे देश और प्रदेश की बहुत भलाई होगी और खासकर पूर्वी जिलों की अधिक भलाई होगी जिनके साथ उनका आज से नहीं बल्कि शुरूसे ही जब से देश आजाद हुआ, हमारे नेतागण शासन की कुर्सी पर विराजमान हुना शुरू किये, तब से संबंध रहा है। हम यह भी जानते हैं कि पूर्वी जिले तब से ही उपेक्षित रहे हैं। उस उपेक्षा को दूर करने के लिये कोई अभी पूर्णरूप से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश की हालत को वह जानते हैं और विशेषकर पूर्वी जिलों की हालत को पूर्वी जिले का रहने वाले होने के नाते डा० सीताराम अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन जब उनका बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ तो यह पता चला कि उनका जो समाजवाद का नारा था वह पब्लिक को बहकाने वाला नारा था। अपना बहुमत बनाने के लिये पब्लिक को धोखे में डालने वाला उनका वह नारा था। ये लोग अपने नारे को सक्रिय रूप से समाजवाद का रूप देकर प्रदेश में कायम करना नहीं चाहते हैं।

आप दूरतक इस चीज को सोचें कि इस के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा और जो पिछड़े इलाके हैं उन की तरफ सरकार का ध्यान सही रूप से जाना आवश्यक है। यह खोखला समाजवाद का जो नारा दिया गया है उस से काम नहीं चलने वाला है और मेरी तो विशेषकर पंडित जी से अधिक शिकायत है कि वह पूर्वी जिलों की दशा को जानते हैं लेकिन बजट में कोई विशेष ध्यान उन पिछड़े इलाके की समस्याओं को सुधारने के वास्ते नहीं रखा गया है। आप ने खोखले समाजवाद के नारे को लगाकर पब्लिक को बहका कर गवर्नमेंट बनाई है, सेन्टर की बात तो ठीक है लेकिन यह भी उसी हवा पर कूद रहे हैं। आज हालत यह है कि आप की और हमारी बात जनता में कोई नहीं सुनता, आप तो सरकारी कर्मचारियों को सुधारने की बात कर रहे हैं लेकिन उन की हालत यह है कि अगर कोई किसी काम को करने के वास्ते उन से कहता है तो वह कहते हैं कि आपकी तो दलबदलू सरकार है, किसी का कोई भरोसा नहीं है और अगर किसी काम के लिये हम लोग कोशिश करने जांय तो कोई सुनवाई नहीं होती और वह कहते हैं कि आप की सरकार की म्याद क्या पता दो दिन की या दो महीने कितने दिन की है, उन की मर्जी पर रहता है। कि वह काम करें या न करे।

यदि आप सही माने में प्रदेश में और देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप इस बात को सोचें कि प्रदेश के जिन अंचलों या जिलों की उन्नति हो चुकी है और क्षेत्र प्रगति कर चुके हैं, जहां गरीबों की भलाई के लिये सड़कों के लिये, शिक्षा के लिये, सिंचाई के लिये, कृषि के लिये

[श्री राम लखन सिंह]

और छोटे बड़े उद्योगों के लगाने के कार्य कर चुके हैं वहां पर आप अपने प्रगति के कार्यों को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दें और जिन इलाकों में शिक्षा, सड़कों और उद्योगों का कोई काम नहीं हुआ है जहां के बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी का सहारा नहीं है, जहां के लोग आज भी भूखे टूटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन के रहने तक का, पानी पीने तक का ठीक प्रबन्ध नहीं है, दवा-दारू के लिये कोई अस्पताल का प्रबन्ध जहां आज तक नहीं है और जहां के लोग मृत्यु शैया पर बीमा होकर पड़े रहते हैं उनकी सुविधाओं की ओर वह प्राथमिकता देकर पूरा प्रयास करना चाहिए जिससे उनका भला हो सके। वह भी हमारे भाई हैं उनके भी वोट से यह सरकार बनी है। अब वह समय आ रहा है कि जब इस उपेक्षा को वह लोग बरदाश्त नहीं करेंगे और वह मार्ग अपनायेंगे जिस तरह के कार्य आज नक्सलवादी करते हैं। मैं तो उन चीजों में विश्वास नहीं करता और वह भी कहेंगे कि वह मार्ग ठीक नहीं है लेकिन बारबार कहने पर भी जब कोई सुनवाई नहीं होती तो वह मजबूर होते हैं दूसरे मार्ग पर चलने के लिये।

थोड़ी सी शिक्षा की बात भी मैं यहीं कह दूं। मान्यता जो स्कूलों को दी जाती है उसका कुछ क्राइटेरियन है और कुछ शर्तें हैं जिन के पूरे होने पर वह मान्यता दी जाती है। जो क्षेत्र सड़कों से सैकड़ों मील दूर हैं जहां ईंट बनाने के लिये मिट्टी नहीं, जहां कोयले के पहुंचने की कोई सुविधा नहीं और जहां के लोग इन की शर्त के अनुसार पक्की इमारत की शर्त को पूरा नहीं कर सकते, जहां पर ईंट डेढ़ सौ रुपया हजार मिलती है तो किस तरह से वह अपने यहां स्कूल का स्वप्न पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह इन शर्तों को पूरा करें तो पहले आप उनको वह सुविधायें दीजिये, सड़कें कोयला दीजिये ताकि वह सब सामान ले जाकर इमारत बनवा सकें और आप की शर्तों को पूरा कर सकें। वह गरीब इलाका है और थोड़ा थोड़ा पैसा चन्दा कर के किसी तरह से शिक्षा संस्था खड़ी करने की हिम्मत करते हैं और इन शर्तों को पूरा न करने के कारण वहां के लोग मान्यता प्राप्त न होने के कारण स्कूल टूट जाते हैं, वहां के लोग अशिक्षित रह जाते हैं और उनको शहर में २०–२५ मील या उससे और अधिक दूर जाना पड़ता है। जिनको पेट भर भोजन नहीं होता वह भूखे प्यासे सर्दी और बरसात में गीले फटे कपड़ों में शहर जाते हैं। ५ बजे अगर स्कूल बन्द होता है तो घर पहुंचते-पहुंचते शाम हो जाती है और बहुत से बच्चे सर्दी के कारण मर ही गये हैं। आज आप समानता का नारा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। आज आप शहरों के लोगों की ओर देखते हैं। कोई खा-खा कर मर रहा है और कोई बिन खाये ही मर रहा है। किसी-किसी के पास तो लाखों रुपये की बिल्डिंग हैं और किसी-किसी के पास छोटे-छोटे झोंपड़े भी नहीं हैं, यह कैसा समाजवाद है?

बिजली के बारे में मेरा निवेदन है कि इस वर्ष असामयिक वर्षा होने के कारण किसानों का गल्ला सड़ जाने के कारण बड़ा नुक्सान हुआ है। इधर से प्रश्न हुये और सरकार की ओर से उत्तर आये कि सरकार का दोष नहीं है लेकिन अगर आप बिजली का पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध करते तो किसानों को ये दिन देखने न पड़ते। वे लोग अपने थ्रेशर लगालेते और अपने अनाज को वर्षा से बचा लेते। इससे वे कम से कम अपने अनाज को बचा लेते अपने खाने, और जानवरों के लिये भूसा, जो आज खरीदने से भी नहीं मिलता, बचा लेते। इस समय किसानों को शाम के समय २-३ घंटे बिजली मिल जाती है तो कुछ काम कर लेते थे वैसे भी ४–५ मील पर बिजली के कहीं-कहीं पर थ्रेशर लगे हुए हैं। अगर किसान बैलगाड़ी में लाद कर ले भी जाता है तो वहां पहुंचते-पहुंचते और घर लौटते-लौटते यदि वर्षा हुई तो सारा भीग जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि यहां पर कुर्सी पर बैठ कर, लेक्चर करके आप समाजवाद नहीं ला सकते और इससे हैं इस प्रदेश का कल्याण भी नहीं हो सकता है।

अब मैं अपने क्षेत्र और अपने जिले की बात कहता हूं। मेरा क्षेत्र बहादुरपुर है वह करीब करीब ४०–४५ मील लम्बा है। यह घाघरा के किनारे पर है। बहुत सी सरकारें आयीं और गयीं लेकिन वहां की समस्याओं का किसी ने भी निराकरण नहीं किया। समूचे किनारा कटाव से समूचे बाढ़ से इस तरह है कि लोगों में शक्ति नहीं है कि सिंचाई के साधन इकट्ठा कर सकें। बाढ़ से फसल बरबाद होती है, बरसात में फसल नहीं होती। सिंचाई के साधन नहीं है, और

चैत की फसल सूख जाती है । वहां पर ट्यूबवेल का प्रबन्ध नहीं है । वहां पर किसी प्रकार का भी प्रबन्ध नहीं है । अगर वहां पर एक बंधा बना दिया जाय तो बाढ़ का पानी जो आता है और ४–५ मील में घुस जाता है, वह न आने पाये । २ साल से मैंने भी बार-बार जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दिये कि राम जानकी रोड के आगे जो बंधा है वहां पर एक छोटा सा रेग्यूलेटर पिपर पाती के पास लगा दिया जाय जिससे बाढ़ का पानी जो इकट्ठा हो जाता है वह दूसरी ओर बह कर चला जाय जिससे कि वहां ११–१२ जो गांव हैं, जिनकी जीविका खेती पर निर्भर करती है, उनको बचाया जा सके । वहां के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि यहां न सीता की सुध पाई और वहां गये मारे कपिराई । मैंने कई बार वहां की स्थिति के बारे में प्रश्न किये लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । मेरी प्रार्थना है श्रीमन्, आपसे कि आप मेरे प्रश्नों को चाहे २–४ तारीख बाद में लगाये, लेकिन उस समय लगावें जबकि उनके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकें और हम अपनी बात कह सकें, आपके कान तक अपनी बात पहुंचा सकें और आप प्रबन्ध करा सकें क्योंकि चुनाव क्षेत्र बहुत पिछड़ा है । बाढ़ के कारण बार-बार हमारी क्षेत्र तबाह परेशान और बरबाद है ।

हमारे क्षेत्र में असाढ़ की खेती खराब हो जाती है । केवल मिर्चा बचता है । जब वहां चार सेर का मिर्चा बिकता है तो साधन विहीनता के नाते किसी तरह बस्ती वह किसान पहुंचेगा तो उसका वहां भी पांच पाव का मिर्चा बिकता है । लखनऊ में क्या भाव होगा, इसको आप स्वयं सोच लें । तो वह मुनाफा जो दूसरे लोग ले लेते हैं वह किसान को मिल जाय । जब किसान की पैदा हुई चीज के मुनासिब दाम मिल जायेंगे तो किसान मजबूत होगा वह अपनी तरक्की खुद कर सकता है । तो श्रीमान् जी आपसे बार-बार मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके पूर्वी जिलों के पिछड़े इलाकों की तरफ ध्यान दें जिसकी तरफ आपकी निगाह अभी तक नहीं गई है । जिसके नाम पर आप सुख की नींद सोते हैं । हमारा बस्ती जिला सबसे बड़ा जिला है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जबसे हम स्वतंत्र हुए हैं तब से कौन सा ऐसा काम है जो बस्ती जिले के लिये किया गया है । जिससे बस्ती जिला समझे कि हम स्वतन्त्र हुए हैं । बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां डंडे के बल पर इन्तजाम होता है । पुलिस भी जिनके घर गोश्त, मुर्ग मसल्लम होता है उसकी बात सुनती है । गरीब की बात कौन सुनता है । आप लोग भी नहीं सुनते हैं । क्योंकि वह तो सफेद पोश है नहीं । वह तो फटे कपड़ों में आया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, जरा सा समय मुझे दे दीजिये । अनेकों बार मैंने दरख्वास्त दी । मेरे क्षेत्र में एक बराज बांध है जो राजा बांसी ने बनाया था । मनोअर नदी के किनारे जितने गांव हैं, जब वहां बाढ़ होती है तो उस साल खेती अच्छी नहीं होती । मैंने बीसों बार क्वैशचन किया, दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । एक बार जवाब आया कि इन्क्वायरी हो रही है । आप इन्क्वायरी करेंगे तब तक वहां पब्लिक बह जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो गया । . . . . . .

श्री रामलखन सिंह--

मेरा निवेदन है कि जैसे कि आप देखते हैं कि और जिलों में तरक्की है । यदि आप सचमुच समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं तो जहां के लोग पूरी प्रगति कर चुके हैं वहां काम ठप्प कीजिये । अन्यथा सेन्टर से मदद लेकर हमारे पूर्वी जिलों में जहां सड़कें नहीं हैं, शिक्षा का साधन नहीं है, उसको पूरा कर लीजिये, वरना झूठे नारे को खत्म कीजिये । आप कसम खा लीजिये कि हम झूठ नहीं बोलेंगे । आप सफेद झूठ बोलते हैं उसको जनता बर्दास्त नहीं करेगी ।

*श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन जैसे विषय पर बोलने की आज्ञा दी। इस पर दो तीन दिन से चर्चा चल रही है। कल मैंने बड़े गौर सेऔर ध्यान-पूर्वक चौधरी चरण सिंह साहब का भाषण सुना। कुछ सामान्य प्रशासन की बात तो उन्होंने कही नहीं बल्कि कमलापति जी पर आक्षेप ही आक्षेप किये। मुझे समझ में नहीं आया कि चौधरी चरण सिंह जैसे योग्य व्यक्ति, वे मेरे बहुत दिनों से मित्र हैं, मैं उनको बड़ा भाई सा मानता हूं, खाली इसलिये कि मुख्य मंत्री न हुए। मान्यवर, एक निवेदन कर दूं जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं उनसे कि मुख्य मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कि सार्वजनिक सेवक से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर किसी सार्वजनिक सेवा में कभी आ जाती है, तो चाहे मुख्य मंत्री हो या और कोई पद लिये हुए उससे कुछ नहीं होता। दुनिया में बड़े-बड़े आदमी हुए हैं। न वे मुख्य मंत्री थे और न प्राइम मिनिस्टर थे, वे सार्वजनिक सेवा से बड़े आदमी हुए थे।

मान्यवर, आपको तो सब मालूम है। सी० एफ० एन्ड्रूयूज इंग्लैंड में पैदा हुए, अफ्रीका में गांधी जी का साथ हुआ, और हमारे हिन्दुस्तान में आकर मरे। और उनका कितना बड़ा सम्मान यहां किया गया। तो चौधरी साहब ने कल जो बातें कहीं यदि वह किसी चंडूखाने में कहते तो समझ लेते कि सही बात है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी का अध्यक्ष हूं। जब दोनों कांग्रेस एक थीं तब से अध्यक्ष हूं। मुझे त्रिपाठी जी के साथ रहने का अवसर मिला है। स्टेशन से उतरते ही प्रोग्राम में इनके साथ रहता था और घर पहुंचाकर तब घर जाता था। कह दिया गया कि तस्कर के यहां खाना खाया। किसी तस्कर के यहां नहीं खाया। एक बात जरूर है जब मुख्य मंत्री होकर त्रिपाठी जी वहां गए तो इतना बड़ा स्वागत हुआ कि पहले कभी किसी मुख्य मंत्री का नहीं हुआ था। कोई माला पहनाने चला आया हो तो नहीं कहा जा सकता कि किस किस ने पहनाया। जिस सड़क पर जाते थे हजारों की तादाद में लोग थे, मोटर रुकवाकर हमने माला पहनवाया। लेकिन यह कहना कि किसी तस्कर के यहां भोजन किया, बिल्कुल गलत बात है।

श्रीमन्, जब किसी के परिवार के लोगों पर आक्षेप किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी चौधरी साहब के भाई-भतीजों के बारे में बहुत मालूम है। कई अफसररो रहे हैं क्योंकि चौधरी साहब के भाई का कहना उन्होंने नहीं माना था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं करीब २० वर्ष से यहां पर आ रहा हूं। आप जानते हैं बिना आपकी आज्ञा के कभी नहीं बोला। लेकिन कल की बात सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अगर यही हालत रही तो कौन इस सदन में आएगा। तो चरण सिंह साहब ने बहू जी की बात कही। श्रीमन्, कमलापति जी का सार्वजनिक जीवन तो है ही। नहीं होंगे तो कहीं टेलीफोन कर दिया होगा जब कांग्रेस दफ्तर में कोई आदमी नहीं मिला होगा तब कर दिया होगा। लेकिन यहां ऐसी बात हो गयी जैसे कोई आसमान फट गया।

श्रीमन्, चौधरी साहब वाराणसी गए थे जब लड़कों का एजीटेशन था। कोई भी सार्वजनिक वर्कर ऐसा नहीं करेगा जैसे उन्होंने किया। पांच-सात सौ पुलिस के बीच में १५ आदमी बैठाकर भाषण दिया। वीरेन्द्र वर्मा जी होम मिनिस्टर थे, इन्होंने ही लगवाई थी (व्यवधान) अगर वीरेन्द्र वर्मा जी और चौधरी साहब न गए होते तो वाराणसी में . . .

*श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिस दिन माननीय त्रिपाठी जी वाराणसी गए थे, उस समय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह उनके साथ थे शुरू से आखीर तक। श्रीमान्, मैं भी उनके प्रोग्राम में कई जगह था। मुगलसराय में भी था। जिस समय मानिक चन्द के यहां त्रिपाठी जी को जाना पड़ा तो उन्होंने अपना चेहरा गुस्से में करके कहा कि किस आदमी के यहां तुमने यह प्रोग्राम रख दिया। तो उन्होंने स्वयं कहा कि पंडित जी, इस आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न अपना प्रोग्राम रख लिया है, हम लोगों ने कह दिया है, इसने सारी व्यवस्था कर ली है, इसका तीन-चार हजार रुपया खर्च हो चुका है इसलिये थोड़े समय के लिए आप इसके दरवाजे पर चले चले, इसका मान-सम्मान हो जाय ।

पण्डित जी, श्रीमन्, स्वयं नहीं जाना चाहते थे, मगर जबरदस्ती वाराणसी के कार्यकर्ता जो कि उनकी बदौलत पैसा कमाते हैं, उनको वहां ले गये । ले गये थे या नहीं ले गये थे, इसको स्पष्ट कर दें ।[1]

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

मेरा नाम लिया गया है इसलिये तारीख भी बता दें कि मैं किस तारीख को वाराणसी गया था । मैं तो नहीं जा सका था । क्योंकि मेरा नाम भी औरों के साथ लिया गया है इसलिये तारीख बता दें कि मैं किस तारीख को वाराणसी गया था ।

श्री अध्यक्ष––

तारीख भूल गये होंगे ।

श्री लाल बहादुर सिंह––

तारीख बता दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

हाउस में बतायें तो अच्छा है, गलत बयानी करने से कोई फायदा नहीं है । गलत बयानी नहीं करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष––

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लाल बहादुर सिंह––

मैं सन् १९३० से ले कर कांग्रेस के हर आन्दोलन में जेल गया था । मैं आपसे सब कहता हूं कि वीरेन्द्र वर्मा जी की होम मिनिस्ट्री के जमाने में जितना बड़ा पुलिस का इन्तजाम चौधरी साहब के वाराणसी जाने पर किया गया था उतना पुलिस का इन्तजाम अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर के जाने पर भी नहीं किया गया था । अध्यक्ष महोदय, जब गवर्नर वाराणसी में जाते थे तो मैं जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता था क्योंकि मुझ को एक बड़ा रिवोल्यूशनरी और क्रान्तिकारी समझा जाता था । जितना बड़ा पुलिस का इन्तजाम चौधरी चरण सिंह के वाराणसी में भाषण देने के समय किया गया था उतना पड़ा पुलिस का इन्तजाम मैंने पहले कभी नहीं देखा था । उस समय पार्लियामेन्ट के चुनाव चल रहे थे । श्री चन्द्रभानु गुप्त जी भी गये थे लेकिन उनके लिये पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं किया गया और चौधरी साहब ही के लिए बहुत इन्तजाम किया गया था । मैं आपके द्वारा इन लोगों से निवेदन करूंगा कि क्या सार्वजनिक जीवन यही है कि पुलिस के जरिये हम मीटिंग करें और पुलिस के जरिये सभा का आयोजन करें ? मैं पन्डित कमलापति जी को जानता हूं, उनमें एक बात जरूर है, वे बड़े ही संयमी और शीलवान पुरुष हैं । यदि कोई आदमी उनके पास आता है, किसी काम से सही, वे उसको फटकार नहीं सकते हैं । यह गुण उनको हेरीडिटरी मिला है, वे कभी किसी को गाली नहीं दे सकते हैं और कभी उस तरह की बात नहीं कर सकते हैं । ४०–४५ साल से, १९३० से मेरा पन्डित कमलापति त्रिपाठी जी से सीधा सम्बन्ध रहा है । वे सत्याग्रह आन्दोलनों के सेनानायक थे और हम लोग उन आन्दोलनों में वालिनटियर थे । तो यह हालत है आरोप और प्रत्यारोप लगाने की कि पन्डित कमलापति त्रिपाठी कहां गये और क्या किया । इससे तो कुछ नहीं होता है । कहा गया कि कोई आफि-

[श्री लाल बहादुर सिंह]

सर है, उनको यह कर दिया। सच बात तो यह है कि अफिसर अच्छे भी हैं और खराब भी, सब को मिला जुलाकर काम लेना पड़ता है। यह भी कहा गया कि यहां जो सदन के चारों तरफ भीड़ लगी रहती है, वह बड़ी गलत बात है। क्यों, यह तो हमारे गौरव की बात है कि हम डिमोक्रेट हैं और डिमोक्रेसी चाहते हैं। हमारे पास जनता की भीड़ लगी रहती है, यह तो समाजवाद की निशानी है। क्या सब को मार कर भगादें मार भगाने से तो समाजवाद और डेमोक्रेसी--दोनों ही-- नहीं रहेंगी। ये लोग तो न समाजवाद चाहते हैं और न डिमोक्रेसी ही चाहते हैं।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरे प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश में एक बड़ी भारी बीमारी चल गयी है दल बदलने की और यह बीमारी सारे प्रदेश में, सारे सूबे में और हिन्दुस्तान भर में चली है। उसके जन्मदाता कौन हैं ?

कुछ सदस्य--

चौधरी चरण सिंह।

श्री लाल बहादुर सिंह--

यहीं इसी सदन में चौधरी चरण सिंह ने दलबदल किया था। कैसा मोरल है और कैसी नैतिकता है, बी० के० डी० की पैदाइश कहां से हुयी ? मान्यवर, आप तो सब जानते हैं, आप तो २० सालों से इस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि मैं नहीं कहूंगा, चाहे कितने भी लांछन लगाये जायं। हमको यह गौरव है कि हम सार्वजनिक सेवक हैं और अपने को बड़े डिमोक्रेट समझते हैं, इसलिये मैं नहीं कहूंगा वह।

(व्यवधान)

आप प्रोवोक, करें, मैं प्रोवोक नहीं होऊंगा, चाहे आप कितना ही हल्ला करें, कितनी ही गाली दें, हम लोगों की वह आदत नहीं है। हम तो सार्वजनिक सेवक हैं। हम तो अंग्रेजों के जमाने में भी देख चुके हैं, आप क्या प्रोवोक करेंगे।

मान्यवर, आज जो कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, जरा संविद के समय की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिये। आज पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है या संविद के जमाने में था। दूसरी बात मान्यवर आपके द्वारा निवेदन करूंगा मंत्रि मंडल से भी और अपोजीशन से भी कि जन संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्राइम भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यह सिद्धान्त की बात है। आज पुलिस वालों को अच्छी ट्रेनिंग दीजिये। जब चौधरी साहब बने थे तब भी एक ही मुरादाबाद का ट्रेनिंग सेन्टर था और आज भी एक ही है। दो तीन पुलिस ट्रेनिंग के सेन्टस खोलिये और उनमें मार्डन तरीके से ट्रेनिंग दीजिये। आज तो किसी भी डी० आई० जी० को उठाकर वहां पर बिठला दिया जाता है। माडन तरीके से ट्रेनिंग देकर क्राइम को रोकना है। हमारा प्रदेश बड़ा बीहड़ प्रदेश है। आपको चाइना का मुकाबला करना है। रोज हमारी सरकार उससे टक्करें लेती हैं। दूसरी तरफ क्राइम बढ़ रहा है। आज यहां बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि जासूसी करते हैं। आपको चाहिये कि इन सबके लिये आप पुलिस के आदमी बढ़ावें, उनकी दक्षता बढ़ाना है। इसके लिये आपको अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलना होंगे। अगर उनमें दक्षता नहीं होगी तो किस तरह से क्राइम रोक सकेंगे। खाली यह कहना कि पुलिस खराब है ठीक नहीं है। कचहरी में यह है कि काम बहुत ज्यादा हो गया है। जे० ओज० को बढ़ाना है। एक चीज गलत हुई है और चौधरी साहब के जमाने में गलत हुई है। कि जे० ओज० को जुडिशरी के अन्दर कर दिया। वह त्रिशंकु की तरह लटके रहे गये। न जज उनसे ठीक तरह से काम करा सकता है और न कलेक्टर काम ले सकता है।

कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। हालत यह है कि अगर उधर का मुख्य मंत्री हुआ हो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इधर का हुआ तो वह चिल्लाना शुरू कर देते है कि एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। इसके लिये सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा। अगर हम चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर न हों, एम० एल० ए० न हों तो भी हम नागरिक हैं, तो सभी कह सकते हैं कि भाई मेरी गवर्नमेंट है। आफ्टर आल दैट इज माई गवर्नमेंट। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हर जगह की तरफ बढ़ना चाहिये और व्यक्तिगत झमेले में न पड़कर रचनात्मक तरीका अपनाना चाहिये। फला ने यह कर दिया यहां पर यह बहुत होता है। ट्रान्सफर कर दिया या बदल दिया। ट्रन्सफर तो होगा ही, अगर गलती करेगा तो तनज्जुली भी होगी। कोई इन्डिविजुअल केस हो, किसी के साथ बेईमानी हुई हो तो कहिये। लेकिन इस हाउस में सिर्फ यही कहना कि फलां आफिसर बेईमान है और फलां का ट्रान्सफर कर दिया यह ठीक नहीं है। ऐसा करने से अधिकारियों की काम करने की मनोवृत्ति कम हो जाती है। अगर हमें ही रोज कहा जाय कि कुछ नहीं करते हैं तो दिल टूट जावेगा जब कि आप सुबह में शाम तक काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लाल बहादुर सिंह––

अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे समय दिया।

*श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सामान्य प्रशासन के विषय में बोलने के लिये मुझे समय दिया। मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक प्रदेश के प्रशासन का सम्बन्ध है सभी लोग इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं और प्रदेश के सभी नागरिक यह महसूस करते हैं कि आज प्रशासन निरंकुश हो गया और वह इतना अधिक भ्रष्ट हो गया है कि कहीं पर कोई भी काम नियमित ढंग से नहीं हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, सभी समझदार व्यक्ति इस बात को मानेंगे कि हर भ्रष्ट बात, हर खराब बात ऊपर से नीचे को चलती है। प्रवाह का ढंग है कि वह ऊपर से नीचे को चलता है और प्रमाण यह है कि जिसका मंत्रि मंडल होता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष की बात नहीं कहता लेकिन आज होता यह है कि जिसका मंत्रि मंडल हो उस चारों ओर भीड़ लग जाती है और विरोधी दल के लोग यह समझते हैं कि हमारी सही बात भी नहीं मानी जाती। और होता भी यही है कि शासक दल के लोगों की गलत बात भी मान ली जाती है, उनके इशारे पर गलत काम किये जाते हैं और जो विरोधी दल में बठे हैं उनकी सही बात को भी बड़े जिम्मेदार मंत्री स्तर पर के लोग ठुकरा देते हैं। उदाहरण अगर लिया जाय तो यह बात साबित हो जायेगी।

पहले मैं पुलिस के बारे में कुछ बतलाता हूं। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, बड़ी वेदना का प्रश्न है कि पुलिस आज ऐसा काम करती है कि बदमाशों को उसके द्वारा संरक्षण मिलता है, भले आदमियों को उससे कोई राहत नहीं मिलती। और उसके कारण भी हैं। कारण यह है कि हर एक पुलिस अधिकारी जो थाने स्तर का है, वह यह चाहता है कि अधिक से अधिक उनको आर्थिक लाभ हो। जहां तक रिश्वत वगैरह का प्रश्न है, जब किसी के यहां डकैती पड़ती है तो वह कभी भी किसी को रिश्वत नहीं दे सकता। जिसके घर पर कत्ल

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सतीश चन्द्र]

होता है, जिसके घर का मनुष्य चला जाय वह भी पुलिस को कुछ नहीं दे सकता लेकिन जिसको २० हजार रुपया डकैती में मिलता है वह कितना भी रुपया उसको दे सकता है। होता यह है कि पुलिस अक्सर बदमाशों का संरक्षण करती है। मैं अपने एटा जिले के अलीगंज थाने का कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं जिससे बात स्पष्ट हो जाय। मितौलिया ग्राम के एक व्यक्ति को गोली लगी जिसकी रिपोर्ट लिखाई गयी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। मैं नहीं जानता कि डाक्टरी मुआयना हो कि गोली लगी है, और उसके बाद थानेदार हिम्मत करे कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दे। ऐसे ही नगला तकवालिया, एक मशहूर गांव है अलीगंज थाने में। उसमें सरेआम दिन के सुबह ७ बजे एक हफ्ता पहले एक लड़के ने अपने चाचा को गोली मार दी। सौभाग्य से वहां एक गारद रहती थी। गारद के एक सिपाही ने.....

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, आज सुबह से तीन बार मेरा कपड़ा इस कुर्सी में निकली हुई कील स फट चुका है। इस कील से कई सदस्यों का कपड़ा फट चुका है। इसलिये निवेदन है कि इसको देख लिया जाय और किसी मिस्त्री से ठीक करा दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह कांटों की सेज है, फूलों की नहीं है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

फूलों की सेज केवल जनसंघ के लिये हो सकती है।

श्री सतीश चन्द्र—

मैं कह रहा था कि गारद के चन्द्रपाल नामक सिपाही ने मुल्जिम को अपनी जान जोखम में डाल कर पकड़ लिया। लेकिन उसी समय वहां लटूरी सिंह, जो कि बदमाशों का सरदार कहा जाता है, आया और उसने बन्दूक छीन ली और आदमी को भी छुड़ा लिया। सिपाही ने ८ बजे जाकर थाने पर कहा लेकिन थानेदार ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और मामले को बदल कर लिख दिया। आपके नीचे के कर्मचारी ईमानदारी से काम करना भी चाहते हैं लेकिन शासक दल के नेता सही काम करने से रोकते हैं तो किस प्रकार सही काम हो सकता है, किस तरह प्रशासन ईमानदारी से चल सकता है और किस प्रकार लोग यह समझ सकते हैं कि किसी विपत्ति के समय पुलिस हमारा संरक्षण करेगी। इस तरह की हरकतें अलीगंज थाने में और एटा में बहुत होती रहती हैं।

एक और सनसनी खेज घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अलीगंज प्रापर में स्टेट बैंक की बगल में बाजार में दोपहर को सरे आम १२ बजे एक बदमाश आदमी के भाई कृपाल सिंह ने श्याम सिंह को गोली मार दी। दो आदमी और उसके साथ थे। वे लोग भाग गये। कृपाल सिंह भी फरार है। वह सरेआम कायमगंज में घूमता है आज तक पुलिस ने जबकि उनको खबर भी दी गयी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं क। और तो और उसके रिवाल्वर को भी जब्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी। यह सब इसलिये नहीं होता क्योंकि शासक दल के नेता गलत काम करने वालों की पीठ पर हाथ रखे हुये हैं। इस हालत में कोई भी आदमी न तो पुलिस का विश्वास कर सकता है और न ही किसी मामले में गवाही देने के लिये तैयर होता है।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जब संविद की सरकार थी तो जो माननीय सदस्य खड़े हुये हैं उनको गोली मारी गयी।

श्री सतीश चन्द्र—

आप इसी तरफ थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मारने वाला दूसरी तरफ का था।

श्री सतीश चन्द्र—

पांडे जी के सवाल के उत्तर पर मैं आ रहा हूं। मुझ पर गोली मारी गयी थी और वह बदनाम व्यक्ति जिस पर १२० का मुकदमा चल रहा है शासक दल का आदमी था जो सदन में १० महीने बैठ चुका था। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिससे भ्रष्टाचार का कोई और उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता। जो मुकदमा ए० डी० एम० के यहां कमिट हो चुका था और सेशन में चल रहा है, जिसमें तीन-तीन गवाही हो गयीं, उसको वापस लेने के लिये बलराम सिंह के मंत्री होते ही सरकार में दरख्वास्त दी गयी। उसमें सी० आई० डी० साबित कर चुकी है कि ६०–७० गवाह हैं और लटूरी सिंह का हाथ था। जब लटूरी सिंह ने दरख्वास्त दी कि मुकदमा वापस ले लिया जाय तो जिसने इंक्वायरी की थी उससे रिपोर्ट मांगी गयी और सी० आई० डी० से भी रिपोर्ट मांगी गयी। वह रिपोर्ट गृह विभाग और मुख्य मंत्री के पास पहुंच गयी होगी। लेकिन इसके बाद भी डी० एस० पी०, एटा, के पास भेजा गया कि वह अपनी रिपोर्ट दें और एक चिट्ठी भी उनके पास भेजी गयी। डी० एस० पी०, एटा, और जिलाधीश को एप्रोच किया गया कि लटूरी सिंह भला आदमी है और उसका अपराधों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इटावा जिले का बच्चा-बच्चा जानता है कि वह गुन्डे लोग आज शासक दल की कृपा के कारण बचे हुये हैं। उस थाने में जितने जो जघन्य अपराध होते हैं वे सभी उन्हीं के कारण होते हैं। जब उनके बारे में कोई शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती जिसके कारण न्याय का हनन होता है और जनता का शासन पर से विश्वास हट जाता है।

पुलिस की हालत भी बड़ी भयंकर है और जनता का अब पुलिस पर से बिलकुल विश्वास उठ गया है। जब तक शासन की ओर से पुलिस विभाग को कसा नहीं जायेगा पुलिस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकती। (व्यवधान) मान्यवर, जब तक प्रशासन की मशीनरी स्वच्छ नहीं होगी, जनता को राहत नहीं मिल सकती। आज हम देखते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उसमें मेरिट्स लिस्ट को उठा कर ताक में रख दिया जाता है, जातिवाद, सिफारिश और पैसे के बल पर नियुक्तियां होने जा रही हैं उस में एक एक जगह के लिये ५–५ हजार की घूस चल रही है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक पाये हैं, उन्हें नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह से कैसे स्वच्छ प्रशासन रह सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात और मैं आर० टी० ओ० के विषय में कहना चाहूंगा। आर० टी० ओ० में पहले एम० एल० एज० को इस लिये मेम्बर नहीं रखा गया था कि जो ईमानदार व्यक्ति होते थे वे भी बदनाम हो जाते थे और जो बेईमान थे वे तो खूब लूटते थे। इस लिये उसमें से उनको हटा दिया गया था। अब इस सरकार ने उसमें एम० एल० एज० को फिर रख दिया है। मैं नहीं समझता कि वहां उनकी क्या जरूरत है ?

जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वह भी बहुत लूज है निश्चय यही था कि जितनी जमीन होगी वह हरिजनों और भूमिहीनों को दी जायेगी, मगर हर सदस्य जानता है वह उनको नहीं मिली। प्रधान या गांव समाज के मेम्बर लेखपाल और कानूनगो आदि से

[श्री सतीश चन्द्र]

मिल कर अपने नाम जमीन करवा लेते हैं एस० डी० एम० और तहसीलदार वगैरह कुछ नहीं कर पाते। भलोर नाम का एक गांव है जहां से एक एम० एल० सी० आते हैं, उन्होंने धमकी आदि देकर जिस प्रकार गलत पट्टा कराया है वह दुख की बात है। सरकार को इसकी जांच कर सख्त कार्यवाही करनी चाहिये जहां यह बातें हैं गरीब मजदूर, हरिजन और भूमिहीन को जमीन नहीं मिलेगी और जमीन वाले ही ले जायेंगे तो एडिमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून बनाने के बाद यदि आप उनका पालन नहीं करवा पाते हैं तो उससे जनता का क्या लाभ, और वह कानून बनाने से क्या फायदा ?

मिट्टी के तेल की आज बुरी हालत है १ १/२ रुपये बोतल मिट्टी का तेल मिल रहा है वह भी मुश्किल से। कोयले और ईंटों की भारी कमी हो रही है जिससे निर्माण कार्य भी रुका हुआ है इससे डी० एस० ओज० का भ्रष्टाचार पनप रहा है। गल्ले की भी कमी है देश भर में आज किसान का गल्ला ५० रुपये में खरीदा जाता है और ७५ रुपये में बेचा जाता है। जब तक आप मध्यस्थों को खत्म नहीं करेंगे किसान को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पायेगा और उपभोक्ता को भी महंगी चीजें मिलेंगी। इसी तरह से होता रहेगा तो किसान कभी पनप नहीं पाएगा आपके केन्द्रों पर किसान जब गल्ला लेकर जाता है तो कहा जाता है उससे कि हमारे पास गोदाम नहीं है, आज रुपया नहीं है, फिर ले जाना, जिससे उसे मजबूर होकर ७५ रुपये के भाव का गेहूं ५० रुपये में बेचना पड़ता है।

आयुर्वेदिक कालेजों के ऐडमीशन की बात है, उसमें अब तक एक कमेटी थी इस काम के लिए, लेकिन अब सुना है मंत्री महोदय इसको अपने हाथ में ले रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि वह अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। न्याय होना चाहिये और जनता को उसका आभास भी होना चाहिये। इन सब कामों से जिनमें बदनामी है, भ्रष्टाचार है, मंत्री जी को अलग रहना चाहिये।

नियम है कि ३ साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिये। लेकिन यहां १०-१० दिन में हो जाता है और किसी का १० साल तक नहीं होता है, तो यह सब क्या है ? अनियमितता और भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक स्वच्छ प्रशासन का सम्बन्ध है हम सब को मिल कर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। प्रदेश की समस्या को सुलझाने के लिये, यह देखने के लिये कि जनता कहां-कहां पीड़ित है और किसी तरह से उसे अधिकाधिक राहत दी जा सकती है, इस पर अगर भेद भाव से परे होकर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से परे हट कर, भाई बन्धु वाद से ऊपर उठ कर हम विचार नहीं कर पाये तो हम जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं दे पायेंगे। हमारे देश में जो संकट है, जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, उसमें और वृद्धि ही होगी, यदि हम जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सके। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि वह इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें और उनको दूर करें।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन पर बोलने का अवसर दिया। सामान्य प्रशासन पर जो कल से स्पीचेज हो रही हैं उन स्पीचेज में आंकड़ों के विषय में और परिस्थितियों के विषय में कम कहा गया है। ज्यादातर जनरल बातें कही गई हैं और व्यक्तिगत बातें ज्यादा कही गई हैं। जब विरोध पक्ष के सम्मानित नेतागण ने व्यक्तिगत बातें कही हैं तो हम सरकारी पक्ष के लोगों के लिये भी यह आवश्यक हो गया है कि हम उन बातों का उन्हीं के शब्दों में जवाब दें। इस कारण यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों की बात न कह पाऊं और बहुत सी उन प्रशासन सम्बन्धी दुर्बलताओं और सफलताओं की बात न कर पाऊं तो आशा है कि आप और सम्मानित सदन मुझे क्षमा करेंगे। परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें हमको सामान्य बातों के विषय में ही बोलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य

प्रशासन की जो प्रक्रिया आज हमारे समाज में चल रही है, उसका सबसे अच्छा दर्पण हमारा यह सम्मानित सदन ही है, क्योंकि अभी कल ही की बात है आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि सम्मानित सदन में मर्यादाओं का पालन किस प्रकार से होता है और आरोप प्रत्यारोप किस प्रकार से होते हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसकी सारी प्रक्रियाएं यहीं पर खेल ली जाती हैं। हमारे सारे समाज का दर्पण स्वयं हमारा सम्मानित सदन है।

अभी कुछ दिवस पूर्व हमारे जिले के बंधु डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा जो समाजवादी पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने एक मजाक किया था। उसमें उन्होंने यह कहा था कि सीतापुर जिले में एक साथ दो तीन डिप्टी कमिश्नर बन गये। सचमुच मैं भी उसी सौभाग्यशाली या दुर्भागी शहर का मेम्बर हूं। पूछा जा सकता है कि भाई यह बात कैसे हुई। उसके जवाब में मैं अगर धृष्टता क्षमा की जाय तो पूछूं, अध्यक्ष महोदय कि जब आप एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो इस सम्मानित सदन के दस-दस व्यक्ति खड़े हो कर क्यों हुड़बाजी करते हैं। हमको सीतापुर के दो तीन डिप्टी कमिश्नर एक साथ बन गये इस पर तो आश्चर्य हुआ परन्तु जब हम अपने आचरण को देखते हैं और खुद अपनी परिस्थिति को देखते हैं पता नहीं उस पर हम को आश्चर्य क्यों नहीं होता? अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जिस प्रकार जो पार्टी सरकार में होती है और जो पार्टी विरोध में होती है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, उसके संदर्भ में मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से ज्यादातर इस सम्मानित सदन में जितने भी सदस्यगण हैं वह सब एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर चुके हैं और एक दूसरे की विचारधाराओं के विषय में अच्छी तरह से अवगत हैं। फिर इस प्रकार के आरोपों और प्रत्यारोपों में क्या न जाने कितना हमारा समय नष्ट नहीं हो जाता? अगर हम वास्तव में यह समझते हैं कि हम को इस प्रकार से समय का ठीक सदुपयोग करना चाहिये तो क्या हमारे पास इतना समय है कि हम केवल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करके अपने समय को व्यर्थ ही में नष्ट करें?

अध्यक्ष महोदय, बार-बार हमारे विरोधी पक्ष के लोग समाजवाद शब्द का मजाक बनाते हैं। वह बार-बार कहते हैं कि इंदिरा जी का समाजवाद, कांग्रेस का समाजवाद। हमारी समझ में नहीं आता कि यह कहने का क्या मतलब है? इंदिरा जी ने जो समाजवाद का वादा किया था वह उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी केवल तीन महीने हुये हैं। कोई परचून की दूकान पर बिकने वाली चीज समाजवाद नहीं है जिसको इंदिरा जी लाकर समर्पित कर देंगी। (व्यवधान) मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, हुजूर। समाजवाद किसी की व्यक्तिगत थाती नहीं है। समाजवाद केवल जीवन यापन की एक प्रणाली है। जनतन्त्र केवल एक शिष्ट तरीके से सरकार चलाने का ढंग है। इसके अलावा समाजवाद कुछ नहीं है। हमको और आपको, सब को, इस देश के सभी निवासियों को यह देखना होगा कि हम व्यक्तिगत रूप में कितने समाजवादी हैं। हम जितने समाजवादी होंगे समाजवाद उतना प्रखर और मुखर होगा। हम जितने कम समाजवादी होंगे समाजवाद का रूप उतना ही मलिन होगा। इसलिये समाजवाद केवल नियमों के बनाने से नहीं आयेगा। ऐसा नहीं है कि हम नियम बनाते नहीं मैं बड़ी नम्रता से पूछना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के मित्रों को कि क्या इंदिरा जी ने तय किया है कि जो कानून राष्ट्र के फायदे के लिये बनाना चाहिए उनको बनाने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज ही शायद लोक सभा में वह प्रस्ताव रखा गया होगा जिसमें संविधान में वह संशोधन करना चाहती हैं ताकि इस देश और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर चलाया जा सके। क्या यह समाजवाद नहीं है? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्सों को समाप्त करने का कदम समाजवाद नहीं है? क्या उन्होंने कहीं यह कहा है कि हमारा यह नारा गलत था और हम इस नारे को छोड़ कर किसी दूसरे नारे की ओर जा रहे हैं?

एक सदस्य---

यह समाजवाद पर भाषण है या पुलिस और सामान्य प्रशासन पर ?

डाक्टर श्याम किशोर---

मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने जो यहां पर भाषण दिये हैं वे आंकड़ों से विहीन थे। वे पुलिस प्रशासन पर नहीं थे बल्कि जनरल सामान्य प्रशासन पर थे। ऐसी मूलभूत बातें उनमें कही गयीं जिनका जवाब देना आवश्यक ह गया है। मैं शायद कहीं भी उस सामान्य प्रशासन वाले बजट के हिस्से से अलग नहीं हुआ हूं। हमारा सामान्य प्रशासन आज समाजवादी कैसे बने सबसे बड़ी विडम्बना यही है। इस जनतांत्रिक समाजवाद के सम्बन्ध में हमारे जो मित्र बार-बार टोक रहे हैं उनकी पार्टी ने एक जबरजोत आन्दोलन चलाया था जब कि जनतांत्रिक समाजवाद में सब बातें कानून के जरिये हल होती हैं। वह जबरजोत आन्दोलन चलाया नहीं गया उन फार्म्स के खिलाफ जो गांव में बड़े-बड़े फार्म्स थे बल्कि उन सरकारी फार्म्स पर चलाया गया था जो स्वयं पब्लिक के थे। सरकारी फार्म्स पर वह झंडे गाड़ते थे और कहते थे कि उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया जब कि वह बिल्कुल गलत कब्जा था। वे तो सरकारी और पब्लिक फार्म्स थे। अगर आप कब्जा करते उन हेकड़ आदमियों के फार्म्स पर जो अपने यहां बदमाश रखते थे तो वास्तव में बात समझ में आती।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय सदस्य समाजवाद की स्थापना कानून के जरिये कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कब तक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार समाजवादी कानून बना देगी ?

डाक्टर श्याम किशोर---

क्या समाजवादी कानून तोड़ने की अनवरत चेष्टा नहीं हो रही है। (व्यवधान) एक पार्टी है जिसका नाम है बी० के० डी०। हमारी पार्टी को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ सरकार बनाने का। उस पार्टी के मंत्री महोदय, जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जनअदालत लगाया करते थे। क्या उनको सामान्य प्रशासन में विश्वास नहीं था। क्या वह नहीं जानते थे कि अगर उनका सामान्य प्रशासन अच्छा होगा तो जन अदालत की जरूरत नहीं है ? यही नक्सल-पंथी कर रहे हैं ? मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या उनका विश्वास जनतंत्र में नहीं था जो वह जन अदालत लगाया करते थे। मैं डाक्टर लोहिया के उन अनुयायियों से भी जानना चाहूंगा जो जबरजोत आन्दोलन चला रहे थे क्या वह नक्सलपंथी नहीं है। क्या बंगाल में इसी तरह के आन्दोलन नहीं चलाये गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप उत्तेजित न हों। शांतिपूर्वक भाषण दें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

डाक्टर लोहिया का नाम लिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि जब तक वह डाक्टर लोहिया के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे और इंदिरा जी नहीं पढ़ेंगी तब तक समाजवाद हो ही नहीं सकता।

डाक्टर श्याम किशोर---

डाक्टर लोहिया से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह बतायें कि जो जन आन्दोलन हमारे माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने कहा था वह जनतांत्रिक है या नहीं ?

डाक्टर श्याम किशोर--

आप लोग स्वयं इसके सम्बन्ध में निर्णय लें ।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो समाजवाद को तरजीह दे रहे हैं तो समाजवाद के बारे में वे कुछ जानते भी हैं या नहीं ?

डाक्टर श्याम किशोर--

मैं क्या बतला सकता हूं । मैं एक बहुत छोटा सा बेपढ़ आदमी हूं किन्तु मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि समाजवाद केवल नियम बनाने से नहीं आयेगा । समाजवाद तो केवल तभी आयेगा जब उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और पग-पग पर उसका ध्यान देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें । बहुत समय हो गया । बातें मत कीजिये । आप अपने विचार रखिये ।

डाक्टर श्याम किशोर--

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोध पक्ष के बंधुओं ने बहुत सी कमजोरियों की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है । हम उनके कृतज्ञ हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो कमजोरियां हमारे प्रशासन में हैं उनको ठीक किया जाय । मैं स्वयं इस विषय में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा जिनके विषय में मैं चाहूंगा कि यह सदन भी विचार करे । आज हमारी परिस्थिति यह है कि जब गांवों के अन्दर कोई जीप चली जाती है और उसकी रोशनी गांव वाले देखते हैं तो वे समझते हैं कि यहां डाकू आ गये हैं । इस परिस्थिति को सुलझाने के विषय में मेरा एक सुझाव है कि ज्यादातर जिलों में पी० ए० सी० के सिपाही हैं उन पी० ए० सी० के सिपाहियों को रात्रि के समय में फ्लाइंग स्क्वाड दिये जायं जो कि गांवों के अन्दर दौरा करें और गावों के लोगों के अन्दर एक विश्वास की भावना पैदा करें और आज जो प्रदेश में डाकाजनी और राहजनी चारों तरफ फैली हुई है लूटमार हो रही है उसमें कुछ इस तरह की कोशिश करें जिसे गांव वाले आश्वस्त हो जायं और उनको किसी प्रकार की शिकायत का मौका न मिले । जो जिलों में सिपाही है, पी० ए० सी० के सिपाही हैं, और अन्य जन सिपाही हैं उनका वेतन, बहुत ही कम है । उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है । उनको जो खर्चा या भत्ता दिया जाता है वह बहुत ही कम है । अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी हर प्रकार से सहायता करे ।

सामान्य प्रशासन में तबादलों के मामले सबसे ज्यादा झंझटी हैं । वे तबादले हमारे बी० के० डी० के लोग, हमारे समाजवादी जनसंघ पार्टी के लोग करवाते हैं या नहीं, इसके सम्बन्ध में वे ही बता सकते हैं किन्तु हम लोग तो निश्चित रूप से जनता और सरकार के बीच में खड़े हैं । बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे राजकीय कर्मचारी डाइरेक्टली अपने आफीसर से कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत से ऐसे नियम लागू हैं जिनकी वजह से वे कह नहीं सकते हैं और हमसे कहते हैं कि आप उनको मंत्रियों से बता दें और उ की सहायता करें । हमारे जो सम्मानित मंत्रीगण हैं वे सब इन बातों को समझते हैं और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोशिश करते हैं । बहुत से तबादले करते भी हैं और नहीं भी करते हैं किन्तु हम लोग कोई बुरा नहीं मानते हैं । बुरा मानने का कोई सवाल भी नहीं है । सामान्य प्रशासन के विषय में हमारे मंत्री महोदय ज्यादा जानते हैं । इन मामलों में कमी अवश्य आनी चाहिये ताकि हमारे मंत्रीगण ज्यादा झंझट में न पड़ें । मैं अपने विरोधी दल के माननीय दोस्तों से अपील करूंगा कि अगर वे समझते हैं कि हमारे प्रदेश में गरीबी है, अगर वे समझते हैं कि प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, अगर वे समझते हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार फला हुआ है, अगर वे समझते हैं कि इस सम्मानित सदन में सामान्य प्रशासन पर ढील डाली जाती

[डाक्टर श्याम किशोर]

है, जो भी बातें वे समझते हैं तो यह गलत है और हमारे साथ वे सहानुभूति पूर्वक सहयोग करें, हमको बतायें कि हमारी ये-ये कमजोरियां हैं, हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

जो सुझाव वह हमको देंगे, आंकड़ों के साथ वह प्रस्तुत करेंगे हम उनको मानने की कोशिश करेंगे और हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। क्योंकि समाजवाद और जनतंत्र किसी भी हालत में चल नहीं सकता जब तक कि हमारे विरोधी दोस्त, चाहे उनकी विचारधारा सही हो या गलत, जब तक उनमें से एक-एक सम्मानित सदस्य हमारा साथ नहीं देता, जब तक कि वह सब तरह से हमारे साथ सहयोग नहीं करते, हम कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं। सरकार तो बहुत छोटी सी चीज है। हमारा और उनका सहयोग हर कदम पर सम्पूर्ण समाज में नागरिक की हैसियत से इतना जरूर होना चाहिये कि यह सरकार छोटी हो जाय और हम अपनी नागरिक जनता को इतना प्रभुत्व शाली, इतनी संस्कृत और समझदार कर लें कि समाजवादी कानून बने या न बने हम अपने जीवन में स्वयं उनको ऐसे आदर्शों के रूप में स्थापित कर दें कि यह सरकार पीछे-पीछे चले। मैं बजट का हर तरह से अनुमोदन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो मांग रखी गयी है वह जो आवश्यकताएं हैं उससे कम हैं और उसको सब तरह से पास होना चाहिये और विरोधियों को बिना किसी कटौती के प्रस्ताव के उसको पूरा समर्थन देना चाहिये। धन्यवाद।

*श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद है, आपने हम को बोलने की इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, जब हम देहात में जाते हैं दौरा करने के लिए तो हम से लोग पूछते हैं कि सरकार का क्या हाल है। हमें जवाब यही देना पड़ता है कि सरकार न यहां है न दिल्ली में है। ऐसी हालत देश के अन्दर है कि सड़क पर, शहर में, देहात में जहां देखो वहां पुलिस गरीबों को डन्डों से पीटती है। सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं, पता यही चलता है कि तेल पर, और टैक्स पर, गेहूं पर, गन्ने पर सारा समाजवाद उतर आया है। यह सरकार का समाजवाद खरिहानों में है, गोहूं पर, गन्ने पर और टैक्स पर सारा उतर आया है। न तो पुलिस पर शासन है न न्याय पर शासन है, कहीं नहीं है। गरीब आदमी मारे जाते हैं, उनकी रिपोट थाने में नहीं लिखी जाती है। बड़ा नारा लगाया जाता है समाजवाद, समाजवाद। हम आपसे बतावा चाहित है कि समाजवाद अगर आवा है तो सारा बलरामपुर के फारम पर, मनकापुर फारम पर कबजा कर लिया, सारा समाजवाद इन्हीं पर आवा है, गरीब के लिए नहीं आवा है। २२ साल, २४ साल, की हुकूमत के अन्दर हम जब अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं तो गरीबों की हालत पर तरस आता है उन्हीं की जमीन छिनती है, उन्हीं पर जुल्म होते हैं उनके सोने के लिए खटिया पर ठौर नहीं है। जितने गरीब चुनकर उधर बैठते हैं सरकारी दल में तो वे भी उन्हीं के साथ वोट करते हैं और इस तरह से गड़रिया को भड़ पीटता खा रही है, वे भी बड़े समाजवादी बन गये।

थानेदार गरीबों को डंडों से पीटता है और यह प्रशासन है कि जब डाका पड़ता है और आदमी लूट लिया जाता है तो पुलिस का मुहकमा कोई सुनने वाला नहीं है। न गरीबों की रिपोर्ट थाने में सुनी जाय, न गरीबों की रिपोर्ट लेखपाल सुने, न गरीबों की रिपोर्ट तहसीलदार सुने, और न ए० स० डी० ओ० सुने। धन्यवाद है ऐसे आपके समाजवाद को। यह कौन मेल का समाजवाद है ?

अध्यक्ष महोदय, २४ साल हो गये। इन २४ सालों के अन्दर हमारे क्षेत्र में सरकार की तरफ से कौन सा कुआं खुदवाया गया। अध्यक्ष महोदय, जरवल मिल पर गरीबन के पैसा बाकी है। जितने इंडीकेटी सदस्य हैं उन सब का पैसा मिल गया है दूसरों का कोई पुछैया नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और आज समाजवाद का नारा आप लगवाते हैं। सारा समाजवाद अपने लिये ही है। उन्हीं के लिये जो इन्डीकेटी हैं, जो दलबदलू हैं बहुत से लड़कों को नचाते हैं, वे भी इन्डीकेटी हैं। यह कौन-सी तरह का समाजवाद है। हमारे क्षेत्र के अन्दर न तो कोई सड़क है और न नदी के पार का एरिया है, वहां कोई मिडिल स्कूल भी तो नहीं है। वहां हर साल बुवाई होती है और उधर जो लोग बैठे हैं वे उस सब को खा जाते हैं। हमारा प्रदेश गरीबों का प्रदेश है लेकिन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज गरीब को कहीं न्याय नहीं मिलता। गरीब को कुछ मिले तो वह समझे कि समाजवाद आया। हालत यह है कि लेखपाल है तो इन्डीकेटी, अमीन है तो इन्डीकेटी, तहसीलदार है तो इन्डीकेटी है, भला गरीब को न्याय कैसे मिलेगा। आज क्या हालत है। क्षेत्र के लोग सब समझ गये है कि यह सरकार गरीबों की टैक्स के मारे हड्डी तोड़े डाल रही है। इसके राज में तेल भी जलाने को मिलता नहीं है। २० आने बोतल मिलता है और यह समाजवाद का नारा लगवाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम कोई मामला लेकर थाने भेजे जाते हैं तो डकैती की रिपोर्ट चोरी में लिखी जाती है अगर लोगों को मारा जाता है तो उसकी कोई दंक्वायरी नहीं होती। गरीबों का कोई पुछैया ही नहीं है। तिस पर भी कहते हैं कि शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चलता है तो जनता को जानना चाहिये। २२–२४ साल इस सरकार को हो गये क्या इस सरकार ने गरीब भूमिहीनों का कुछ भला किया है। जब भूमिहीनों के पास वोट मांगने के लिये जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम लोगन के मित्र हैं, हम तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि कि क्या २४ साल में आपने कोई गरीबी दूर की है। बेचारे के पास अवाज बीने के लिये विस्वा जमीन नहीं है। आज भी जमीन वाला खेत की सारी आमदनी को खा जाता है और जुतैया को कुछ नहीं मिलता। भला गरीब को न्याय देने वाला कौन है। गरीब को न्याय तो तब मिलता जब आप १५ एकड़ की हदबन्दी लगा देते और बाकी जमीन को गरीब लोगों को बांट देते तब तो मालूम पड़ता कि कोई गरीबों का पुछैया है। लेकिन आज तो सारे देश के अन्दर मुखमरी फैली हुई है किसान का गेहूं सड़ गया है, उसके गन्ने का दाम मिला नहीं है। गरीब का कोई पुछैया नहीं है। गांवों में जैसे किसी को सांप काट खाता है तो यह मंत्र पढ़ा जाता है, गुरु शो भा गुरु शोभना, गुरु गयो परताल, गुरु अन्त न पायो, उठा संग जात बड़ा दूर हो। जब ये लोग दौरे पर जाते है तो ऐसा ही मंत्र पढ़ते हैं।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगेलू सिंह––

दो मिनट और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष––

अच्छी बात है।

श्री भगेलू सिंह––

पर साल गरीबन की बाढ़ एरिया में फीस माफ भई रही मगर हमारे क्षेत्र के अन्दर तहसीलदार ने लरिकन की फीस माफ नहीं की। कोई पुछैया नहीं। आज बांझा के एरिया में नदी के उस पार नाव नहीं जाती है, न सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम है। परसाल एक सड़क टूट गई थी जो लखनऊ से गोंडा जाती है। हम गये दौरे पर। सड़क पर नाव नहीं रही। हम एक कहार से और एक प्रधान से कहा कि अपनी नाव दे देउ। एक डिप्टी साहब पहुंचे, कप्तान साहब पहुंचे। उनसे कहा कि तुम्हारा कैस राज है। एक कहार विश्वास नहीं करति है कि

[श्री भगेलू सिंह]

ऊ का पैसा मिल जाई । सात रोज तक सड़क नहीं बनी । वह कहार नाउ चलाइस मगर पैसा ऊका आजतक नहीं मिला । यह सरकार है । कमंडलाचारी करती है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा चल रही है । कल माननीय चौधरी साहब, हमारे भूतपूर्व और हमारे बुजुर्ग ने जिस स्तर से स्पीच दी उससे मैं समझता हूं कि हाउस की परम्परा और मर्यादा, दोनों गिर गये । (शोर) उन्हें स्पीच देते समय यह ख्याल नहीं था कि उनके मुख्य मंत्रित्व काल में क्या हुआ है । इस चीज को शायद वह भूल गये कि जो दूसरो का भ्रष्टाचार देखता है वह अपना भ्रष्टाचार नहीं देखता । उस चश्मे से माननीय चौधरी साहब ने अपने को नहीं देखा । क्या यह सत्य नहीं है कि मेरठ हास्पिटल के सामने पृथ्वी नाथ सेठ का ४० हजार का मकान मुश्किल से रहा होगा उसको दो लाख रुपये सरकार से दिलाये । यह चौधरी साहब के चश्मे में नहीं है । आज से ४–५ वर्ष पहले दो सौ रुपये कोआपरेटिव बैंक शाखा में एकाउन्ट था जो ५६९–७० में १२ लाख हो गया । माननीय चौधरी साहब ने कल जिस स्तर से स्पीच दी उसके सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि व्यक्तिगत बात जिस तरह से इस हाउस में कही गयी उस तरह से हमारे दूसरे लीडर माननीय गुप्ताजी और चौधरी गिरधारीलाल जी ने आजतक नहीं कही । और जब हम अपोजीशन में बैठते थे और चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो हमने भी ऐसी बात नहीं कही और इसलिये नहीं कही कि व्यक्तिगत आरोप से प्रदेश का कोई फायदा नहीं होगा । इससे केवल समाज के सामने हम सब की, चाहे इधर बैठे हो या उधर, इमेज गिरती है ।

मान्यवर, दूसरी बात मुझे यह कहना है कि माननीय चौधरी साहब जिस आफिसर को नियुक्त करते हैं वह बड़ा ईमानदार और जिसको चौधरी साहब सजा देते हैं वह बड़ा बेईमान । चौधरी साहब की डिक्शनरी में खाली सजा और ईमान उनके चरित्र के अनुसार है जो सारे भारतवर्ष पर छाया है । उनके चरित्र में न किसी का ईमान है, न किसी का चरित्र है और न किसी की मर्यादा है । मान्यवर, और क्या कहूं । मुजफ्फरनगर में एक गांव है जहां पर भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री का फार्म है । वह नहर से सिंचाई लेते हैं और बहुत ज्यादा सिंचाई लेते हैं जिसकी सिंचाई लागत केवल ५० रूपया है । आज भी वह रकम कागज में रिकार्डेड है । सेक्रेटेरियट में फाइल मौजूद है । ६ इंच पाइप का कुलाबा और उसका केवल ५० रूपये लगान है । यह व्यक्तिगत बातें हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं ।

चौधरी साहब हमारे सदन के नेता के प्रति इस तरह से कह रहे थे कि हमारी गरदन शर्म से झुक जा रही थी । चौधरी साहब इस प्रदेश के बहुत पुराने नेता हैं । उनका एक पोलिटिकल कैरियर है । उनको हम ईमानदार समझते हैं और चरित्रवान समझते थे । हमारी और उनकी कोलीशन सरकार यहां पर बनी । वह हमारे मुख्य मंत्री बने और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में काम किया और इसी दृष्टिकोण से हम चौधरी साहब को देखते थे कि यह हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े लेबोरियस और ईमानदार व्यक्ति हैं और यहां हाउस में कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनकी मर्यादा गिरेगी और हाउस की मर्यादा गिरेगी । यही नहीं सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा हो रही थी लेकिन माननीय कमलापति का जिक्र वह बनारस के सम्बन्ध में कर रहे थे । वह कोई तात्पर्य की बात है । सामान्य प्रशासन के बजट पर वह कटौती का प्रस्ताव हाउस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में रख रहे थे तो जो उसमें खामियां थीं उनको प्रजातन्त्र की प्रणाली के नाते एक प्रजातन्त्र की पद्धति के नाते अपनी बातों को सदन के समक्ष रखते तो हर एक व्यक्ति उनको माकूल बात मानता लेकिन यह न कह कर सामान्य प्रशासन को छोड़कर व्यक्तिगत चर्चा पर चले गये ।

मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार एक पवित्र स्थान है । भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से लोग वहां पर तीर्थ स्नान के लिये पाप धोते हैं । एक सब-इन्सपेक्टर वहां पर पहुंच गया चौधरी साहब और वीरेन्द्र वर्मा की सिफारिश से । वह एक लड़की के साथ हरिद्वार में नाचते पकड़ा गया और डी० आई० जी० और आई० जी० ने उसको पकड़ा । बहुत से सहायक अभियन्ता सायंकाल को ससपेन्ड किये गये और अगले दिन १२ बजे उनको बहाल कर दिया गया । सब से बड़ी बात यह है कि रामकिशन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर जिनके खिलाफ विजिलेन्स में इन्क्वायरी चल रही थी और जो हाईकोर्ट में गये तो वहां पर भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया । उसके बाद इन भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने उनको बहाल कर दिया । इसकी फाइल सेक्रेटेरियट में मौजूद है । मंगाकर उसको देखा जा सकता है और अगर झूठ हो तो मुझको सजा दी जा सकती है । यही नहीं बहुत से चार्जेज सुनाये, बड़े लम्बे चौड़े चार्जेज हैं, आप समय दें तो मैं बताऊं । जब इस स्तर पर हम आ गये हैं और कीचड़ उछालना है अगर जब उधर से ऐसा किया गया है तो अब सुनने की भी उन को ताब रखना चाहिये ।

आज तक का इतिहास है कि जिस के खिलाफ, चाहे वह अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जिस के खिलाफ चार्ज लगे, हाईकोर्ट का डीसीजन जिस के खिलाफ हो चुका उस के बाद भी उस को रिइन्सटेट किया गया । मेरा ख्याल है कि इन २२-२३ साल के अपने शासन में पहली बार इस तरह का कार्य किया गया है । विभाग से कोई बात नहीं पूछी गई, चीफ इंजीनियर कुछ नहीं, सचिव सिंचाई विभाग कुछ नहीं, चीफ सेक्रेटरी से कोई परामर्श तक नहीं किया गया और बहाली हो गई, क्या यह भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है । दूसरी और बहुत सी बातें हैं जो मुख्य मंत्री जी पर कल आरोप लगाये गये उन के उत्तर में कहने के लिये, समय कम है । थोड़े में ही कहूंगा, जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो मेरठ डिवीजन में उन के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने पर ३७ जाटों को प्रोमोशन दिया गया, फाइल मौजूद है उस को आप देख सकते हैं दो-दो, तीन-तीन साल के सब-इंस्पेक्टर्स को सरकिल इंसपेक्टर बना दिया गया पुलिस विभाग के रिकार्ड में आज भी फाइल देखी जा सकती हैं । यही उनकी ईमानदारी है ? यही वह प्रजातन्त्र की दोहाई देते हैं । यही वह अपने ऊंचे चरित्र का परिचय देते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि श्री चरण सिंह ने व्यक्तिगत और खास लोगों को आगे बढ़ाया है और ऐसा कह कर उन्होंने मर्यादा को भंग किया है । क्या माननीय सदस्य व्यक्तिगत आरोपों को दोहरा कर सदन की मर्यादा को भंग नहीं कर रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी राय––

मर्यादा तो कल चौधरी चरण सिंह जी खुद भंग किये हैं ।

श्री अध्यक्ष––

व्यक्तिगत बातें न कही जायं ।

श्री राजितराम पांडेय––

उत्तर तो उनके आरोपों का जरूर दिया जायगा ।

श्री त्रिवेणी राय—

माननीय सदस्य उधर बड़े रोष में हैं लेकिन जरा धैर्य से सुनते जांय ।

श्री अध्यक्ष—

उन के कार्यकाल में जो हुआ है उसको कहिये, व्यक्तिगत केवल नाम लेकर न कहिये ।

श्री त्रिवेणी राय—

जब गुप्ता जी यहां मुख्य मंत्री थे मैं उस समय की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि चौधरी साहब के कार्यकाल में जो बेईमानियां हुई हैं उन को कह रहा हूं । मुख्य मंत्री तो कई रह चुके ह, गुप्ता जी, टी० एन० सिंह जी और चौधरी साहब भी रह चुके हैं और उन का नाम हमारे लिये लेना जरूरी है क्योंकि उन के लिये कही हुई बात किसी और मुख्य मंत्री के लिये न समझ ली जाय । मैं कहता हूं कि जिस तरह से भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह ने माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये कहा उस स्तर से तो मैं नहीं चलूंगा मैं उससे जरा डिफाइन्ड स्तर से चलूंगा और कहूंगा । मैं यह कह रहा था कि . . .

श्री अध्यक्ष—

उन के पास तो ३ घंटे का समय था, आप के पास कम है आप सामान्य प्रशासन पर ही बोलिये ।

श्री त्रिवेणी राय—

थोड़ा सा समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्रीमन्, आपको अधिकार है, आप सक्षम हैं, मान्यवर, आप बुजुर्ग हैं, उनको आपने ७ घंटे दिए मुझे कम से कम १ घंटा तो दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

उनका उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे ?

श्री राजित राम पांडेय—

श्रीमन्, उनका स्तर नहीं है कि वे उनका जवाब दे सकें, माननीय त्रिवेणी राय जी ही उनका उत्तर देंगे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, यदि ये शब्द "मान्यवर" अपनी स्पीच से निकाल दें तो ज्यादा कह सकेंगे ।

श्री त्रिवेणी राय—

श्रीमन्, यह एक परम्परा है । लखनऊ में ही एक घटना घटी । मेडिकल कालेज में मामूली सर्विस में एक टैक्नीशियन था उसको मेरठ कालेज में प्रोफेसर बना दिया गया, बहुत से लोगों को सुपरसीड करके । एक मामूली कर्मचारी को मेरठ जैसे मेडिकल कालेज में प्रोफेसर बना दिया जाय, कहां तक उचित है ?

श्री श्रीकृष्ण वाजपेयी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, क्या एक मामूली कर्मचारी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो सकता है ?

श्री त्रिवेणी राय—

हुआ है, वह हुआ है । और माननीय चौधरी चरण सिंह के रेजीम में हो सकता है । मेडिकल विभाग की पत्रावली में है आप देख लीजिए । मैं गलत नहीं कहूंगा, आप इसकी

एन्क्वायरी करा लीजिए। मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं लेकिन जिस तरह की स्पीच यहां पर कल हुयी, जिस तरह से यहां पर हाउस की परम्परा कायम की गयी, उसका कुछ उत्तर देना स्वाभाविक था और वह मैंने दिया। चाहे हमारी तरफ के माननीय सदस्य हों और चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे वे जनसंघ के सदस्य हों, बी० के० डी० के सदस्य हों, संसोपा के हों या और किसी पार्टी के सदस्य हों अगर हम सब मिल कर इस हाउस के नियमों और कानूनों का पालन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि नियमों का पालन तो करेंगे ही, उसके साथ हमारी मर्यादा भी रहेगी, कानून के साथ-साथ। अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो इधर से भी ऐसा ही होगा।

सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलते समय आपको बताना चाहिए कि किन-किन बातों से इसमें सुधार हो सकता है, क्या त्रुटियां हैं, सामान्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए किस रास्ते से क्या पालिसी तय की जाय, आपको उत्तर प्रदेश के जनहित के बारे में कहना चाहिए था लेकिन कीचड़ उछालने से, सर्विसेज में एप्वाइन्टमेंट, नियुक्ति ट्रान्सफर के बारे में कहने से, जातिवाद की बात उठाने से कोई काम नहीं होने वाला है। आप प्रजातंत्र में जात-पात का नाम लेकर प्रजातंत्र के नाम पर, जम्हूरियत के नाम पर धब्बा लगाये जा रहे हैं। आज जो माननीय सदस्य चार्ज लगाते हैं, कि उन्होंने जातीयता के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर कार्य किया तो यह भी प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से जनहित में नहीं है। इसलिये कि जो सामान्य प्रशासन है और जो परम्परा २०–२१ सालों से चली आ रही है, जो हमारे माननीय स्वर्गीय पंडित पन्त जी ने परम्परा डाली, जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने परम्परा डाली, जो गुप्ता जी ने परम्परा डाली, जो चौधरी साहब ने डाली, मान्यवर इस समय पंडित जी नहीं हैं। उन्होंने मान्यताओं को लेकर जो सामान्य प्रशासन का बजट रक्खा है उन्हीं चीजों को उन्होंने रक्खा है उनमें अगर कहीं अपोजीशन के सदस्य समझते हैं कि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, खामियां हैं, इसमें सुझाव आ सकते हैं, तो यह हाउस इन त्रुटियों के सुधार के लिये तैयार है। यह नियम के बनाने के लिये यह हाउस एक जिम्मेदार हाउस है और इस हाउस में बजाय इसके कि हम इन सब चीजों को कहें पार्टियों की आलोचनाओं में पड़ें तो यह म आपसे खास तरीके से निवेदन करूंगा कि हाउस की इस परम्परा से यह जो थर्ड क्लास की स्पीचेज हो रही हैं, जो इस तरह के बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं मान्यवर, इसको रोकिये और इनको नहीं रोकेंगे तो हाउस कैसे चलेगा।

मान्यवर, अभी धमकी आई है कि मिड टर्म पोल होगा। मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि मिड-टर्म पोल हो। मान्यवर, न ही मुख्य मंत्री चाहते हैं और न हमारी पार्टी चाहती है। अगर ये चाहते हैं मान्यवर कि मिड टर्म पोल हो तो म एक बार नहीं हजार बार स्वागत करूंगा इनका चुनाव के मैदान में।

(लाल बत्ती होने पर)

पार्लियामेंट के इलेक्शन में मान्यवर, मुजफ्फरनगर से हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी साहब खड़े थे। वहां के एस० पी० ने यह ईमानदारी बरती कि गरीब हरिजनों का वोट गोल कर दिया और फिर क्या हुआ जिस रोज इलेक्शन खत्म हुआ उसी रोज वायरलैस से उनका ट्रान्सफर कर दिया। जो अधिकारी आपको सलाम करें, जो आपको चन्दा दें, वे ठीक हैं। मान्यवर, बहुत से अधिकारी थे जिनका नाम नहीं लेना चाहता। वे बड़ी रिस्पान्सिबुल जगहों पर थे। उन्होंन क्या बी० के० डी० को चन्दा नहीं दिया। कौन नहीं जानता, एक-एक व्यक्ति जानता है। यह परम्परा न हमारे मुख्य मंत्री की है और न हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री बुजुर्ग गुप्ता जी की है। उन्होंने यह परम्परा नहीं डाली कि वे अधिकारियों से या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स से या लण्ड माटर्गेज बैंक से बी० के० डी० के लिये चन्दा लें। इतने स्वच्छ अधिकारी रहे। मान्यवर, जो अधिकारी पार्टी पालिटिक्स में पड़ गये उनको अगर इस प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिये, प्रशासन की गन्दगी दूर करने के लिये, शासन को जनहित

[श्री त्रवेणी राय]

में करने के लिये, अगर सजा दी तो मैं भ्रष्टाचारी हूं, बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, यह कहा जा रहा है। एक बात मैं खास तरीके से और निवेदन करूंगा कि यह परम्परा हाउस की चल रही है इसको खत्म करें, इसको बन्द करें, नहीं तो आगे जाकर और गन्दगी फैलेगी। इन शब्दों के साथ मैं सामान्य प्रशासन के बजट का जोरदार स्वागत करता हूं।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, पुलिस प्रशासन का जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। कल से बड़ी चर्चा है कि पुलिस प्रशासन ठीक नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार सरकार है। उधर के बैठने वाले जिम्मेदार हैं और उसके कुछ दोषी हम भी हैं। श्रीमन्, जो भी सरकार हो वह निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी सरकार को अहलकार पर टेलीफोन से या लेटर से नाजायज प्रैशर डालकर कार्य नहीं कराना चाहिए, तब यह प्रशासन ठीक होगा। आज यह देखा जाता है कि कौन किसका आदमी है, कौन किस पार्टी का है, जिसका रिश्तेदार है। मिनिस्टर आई० जी० को बुलाता है, डी० आई० जी० को बुलाता है, एस० पी० को बुलाता है कि आपने उनके खिलाफ कदम क्यों उठाया। पुलिस प्रशासन तो न्यूट्रल होना चाहिए। जो सरकारी नीति है उसको अपनाना चाहिए।

आज राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं। कहीं एम० एल० ए० मारा जा रहा है, कहीं जीप चुराई जा रही है, कहीं बन्दूक उठायी जा रही है, किसी के घर में डकैती डाली जा रही है। रोज डकैत बन्द किए जाते हैं लेकिन डकैती बन्द नहीं होती। मेरे जिले में रोज डकैती पड़ती है, तीन-तीन, चार-चार रोज हत्याएं हो जाती हैं, रोज डकैत बन्द किये जाते हैं। लेकिन वह सब भले आदमी बन्द किये जाते हैं और डकैतों को छूट दी जा रही है। जो डकैती डालते हैं उनको छूट दी जा रही है। उनके पास २५–२५, ३०–३० बन्दूकें हैं। पुलिस को मालूम है, सरकार को मालूम है, लेकिन पकड़े नहीं जाते। जनता देहात से भाग कर शहर में जा रही है। श्रीमन्, मेरे जिले में गोपामऊ कस्बे की दस हजार की आबादी है। चार लाख की वहां डकैती हुई। पकड़े गए। आठ किलो चांदी बरामद हुई। दो डकैत एक एम० पी० इंडीकेट के यहां घर में बन्द हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वह पकड़े नहीं जा रहे हैं। पता नहीं चीफ मिनिस्टर का इशारा है, आई० जी० का इशारा है या द्विवेदी जी का इशारा है।

श्रीमन्, शुकरू लाल एम० एल० ए० हैं इंडीकेट के। बन्दूक छीन ली गयी। नाम मालूम है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूं। हरदोई जिले में आज हालत यह है कि श्रीशचन्द्र अग्रवाल मारे जा सकते हैं, मैं मारा जा सकता हूं, लालन शर्मा मारे जा सकते हैं। आज पंडितवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है, जाटवाद चल रहा है, चमारवाद चल रहा है। मेरे हरदोई जिले के एस० पी० हैं। नेता विरोधी दल चौधरी गिरधारी लाल से मैंने कहा कि एस० पी० बहुत पक्षपात कर रहे हैं। उनको बुलाया, होम सेक्रेटरी साहब गए, आई० जी० साहब गए। मैंने कहा कि हरदोई जिले में कितने थाना इंचार्ज ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने हरिजन हैं। सब ठाकुर इंचार्ज हैं। श्रीमन्, थाना इंचार्ज को अक्ल नहीं है। वह पी० पी० आफिस में बैठकर बोतल पीते हैं। वह थाना इंचार्ज है जो केस को नहीं जानते, जो यह नहीं जानते कि इंक्वायरी कैसे की जाती है। चार लाख की जो डकैती पड़ी, मने एस० पी० से कहा कि इसमें थाना इंचार्ज का हाथ है। उसको खुलवाइए। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर यह डकैती न खुले तो मेरे हाथ कलम कर लीजिए। इसके जिम्मेदार आपके थाना इंचार्ज हैं। बाद में वह डकैती खुली और ९ किलो चांदी बरामद हुई। थाना इंचार्ज टड़यावां की इनक्वायरी करायी और वे २ साल सस्पेन्ड रहे, मगर आज भी वे थाना इंचार्ज बने हुए हैं और मौजूद हैं। श्री उदय प्रताप सिंह, थाना इन्चार्ज ने मुझे मरवाने का इन्तजाम किया और डकैती डलवायी। मैंने एस० पी० से कहा। उन्होंने उस इंचाजे को २ महीने सस्पेन्ड रखा और फिर थाना इंचार्ज बना दिया।

नगरपालिका के चुनाव के बारे में कहा गया। पिहानी नगरपालिका में श्री प्रकाश चन्द्र बाजपेयी चेयरमैन हैं और श्री महेश प्रसाद सदस्य हैं। दोनों में आपस में दुश्मनी चल रही है और एक दूसरे को मारने की कोशिश की जा रही है। दोनों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। सब की आंख श्री श्रीश चन्द्र अग्रवाल की तरफ है, वे इनडीकेट सरकार के हैं। आज-कल यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आफिसर्स सोचते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो सस्पेन्ड हो जायंगे। श्री सुरेन्द्र मोहन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। मैं उनके पास गया। श्री श्रीराम गुप्ता, नगर पालिका सदस्य और श्री भगवान दीन अग्रवाल की रिवाल्वर्स की दरख्वास्त थीं। उन्होंने कहा कि हम को एक-एक हजार रुपया दिलवा दें, हमें एक फिएट कार खरीदनी है।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा तेज न बोलें, कहीं भाषण का भाग लिखने से छूट न जाये, आप बहुत तेज बोलते हैं।

श्री परमाई लाल—

उन लोगों की २–३ लाख रुपये की हैसियत थी। मैंने दफा ६४ के अन्तर्गत यहां विधान सभा में प्रश्न रखा था। यह कहा जाता था कि सुरेन्द्र मोहन चौधरी चरण सिंह के आदमी हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम तो बिगाड़ भी नहीं सके। इतना ही नहीं हम को १०७/११७ के अन्तर्गत रख दिया गया। हम कैसे जन प्रतिनिधित्व करेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी से निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९६२ में मुझे एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया। सन् १९६७ में मैंने जेल से इलेक्शन जीता। मैं ७ महीने जेल में रहा। इनडीकेट की सरकार के लोगों ने मुझ पर ३०२ आई० पी० सी० का मुकदमा चलवाया और मेरी ७ महीने तक जमानत नहीं हुयी। जेल से मैंने इलेक्शन लड़ा और निर्दलीय जीत कर आया। कौन ऐसा आदमी है जो जेल से इलेक्शन जीत कर आये? हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप निर्दोष हैं। मैं श्री राम कृष्ण द्विवेदी से कहना चाहता हूं कि वे पे मेरे साथ इलेक्शन लड़ें और अगर वे जीत कर आते हैं तो मैं विधान सभा से सन्यास ले लूंगा। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। श्री टी० एन० सिंह को ठाकुर लोग 'धोती छोड़ ठाकुर' कहते हैं। वे कहते हैं कि जब वे किसी का कोई काम ही नहीं करते थे तो उनके जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

हमारे साथी नौजवान हैं और बड़े उत्साही हैं और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तन लाने जा रहे हैं। हमें भी इनके साथ मिल कर युग बदलना है।

श्री परमाई लाल—

मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी पार्टी से और कहीं से भी मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें। चरण सिंह साहब बोल रहे थे। उन्होंने चैलेंज किया था। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

जब वे चैलेंज नहीं ले सकते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, आप तो हमारे साथी हैं।

श्री परमाई लाल—

हमारे यहां कितने ठाकुर थानेदार हैं? १५ ठाकुर थानेदार हैं। पण्डित भी हैं। बराबर पक्षपात हो रहा है। कोतवाली के कोतवाल को हटाया जा रहा है और शाहबाद से ठाकुर कोतवाल को लाया जा रहा है। अगर ज्यादा नहीं तो ४–६ आदमियों को जरूर मार दिया जायेगा।

[श्री परमाई लाल]

श्रीमन्, मैं एस० डी० एम० हरदोई की बात बतला दूं कि उनके यहां न जाने कितने केस १०७/१७ के पड़े हुये हैं। वह ३ घंटे का लंच करते हैं और ११, १२ बजे तक दफ्तर में आते हैं और बराबर पेशी बढ़ती रहती हैं। इस दफा में आदमी जेल नहीं भेजा जाता है और उसकी तुरन्त जमानत होनी चाहिये परन्तु इनके यहां जेल भेज दिया जाता है। श्रीमन्, जो कुछ पुलिस करा रही है अगर उस पर निगाह न रक्खी गई तो हम लोगों में से कोई भी मारा जा सकता है। थाना इंचार्ज की क्या क्वालीफिकेशन्स हैं यह भी देखने की जरूरत है। श्री स्वामी प्रसाद सिंह जेल के मंत्री हैं। उन्होंने अपने विभाग में दबिश दी और जेल की रोटी तुलवाई। इससे तहलका मच गया और जेल वाले सतर्क हो गये। लेकिन आज तो देखा जाता है कि किस तरह से रिश्तेदार को फीड किया जाय और किस तरह से आमदनी हो, चाहे मायापति की बात हो या और किसी की हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुये यह सरकार पुलिस प्रशासन ठीक रक्खे और उस पर कड़ी निगाह रक्खे। इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री राजित राम पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, दल बदलुओं को भी समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री कृष्ण सिंह बोलें, पहाड़ की तरफ भी नजर जानी चाहिये।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री कृष्ण सिंह (उत्तरकाशी)--

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो आरोप और प्रत्यारोप सुनने को मिले तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर कुछ कहूं। इस तरह से कीचड़ उछालना एक दूसरे पर कहां तक उचित है इस बारे में माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा। मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही है तो इसका ढांचा किस तरह का होना चाहिये, इसमें भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, लालफीताशाही कैसे कम हो इस पर सुझाव आने चाहिये। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं होगा। उपाध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं सामान्य प्रशासन पर कुछ कहूं मैं अपना दुःख प्रकट करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे माननीय चौधरी साहब ने जो कल एक पत्र पढ़ कर सुनाया, उससे मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी और इस सदन की प्रतिष्ठा को कम किया है। मैं समझता हूं कि उनके लिये यह पढ़ना अगर उसमें सत्यता है लेकिन चौधरी साहब ने खुद कहा कि पत्र में जो लिखा है सच है या झूठ है, उन्हें नहीं मालूम, इसीलिये जब वे पत्र पढ़ रहे थे तो हिचकिचा रहे थे। मैंने भी इसी तरह से दो तीन चार बातें चौधरी साहब के बारे में सुनी थीं। लेकिन जब मैंने उनको एनालाइस करने की कोशिश की, जांच करने की कोशिश की तो पाया कि वह सत्य नहीं है इसलिये मैंने उनको विधान सभा में कभी भी नहीं कहा, जब कि मेरे ऊपर जोर डाला गया, दबाव डाला गया कि उन बातों को मैं विधान सभा में कहूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित होता अगर मैं उन बातों को सामने लाता और बाद में जब मालूम होता जांच करने के बाद कि वे सत्य नहीं हैं।

अब मैं अपने पहाड़ी जिलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि सीमान्त जिले जितने हैं वे जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन के बजट में ही आ जाते हैं। जो पहाड़ के निवासी हैं उनकी जो हालत है उसके बारे में हमारे मैदानी इलाके के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो यह नहीं जानते कि उनकी समस्याओं को किस तरह से हल कर सकते हैं। वहां की भूमि बहुत कम उपजाऊ है। जो कुछ उपज के लिये मिटटी वहां

होती है, नदियां बहा कर मैदानी इलाके को उपजाऊ करती हैं। शिक्षा का वहां अभाव है, उद्योग वहां कतई नहीं हैं। वे वनों के बीच में रहते हैं और भेड़ बकरी पाल कर अपना जीवन-यापन करते हैं। उनकी समस्याओं को आप नहीं समझ सकते हैं। जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे तब वहां की स्थिति चिन्तित होकर उन्होंने वहां के विकास के लिये एक हिल डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया था ताकि वहां के लोगों को उस हिल डेवलपमेन्ट बोर्ड के जरिये कुछ राहत मिल सके और वहां विकास का कार्य चल सके। उसके बाद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९६७ से सरकारों का हेरफेर,, उलट पलट होने लगा और जो कुछ भी डेवलपमेन्ट हिल बोर्ड के जरिये होना था वह नहीं हो पाया।

माननीय चौधरी साहब ने आंकड़े देते हुए बतलाया था कि पहाड़ी इलाके में प्रति व्यक्ति खर्चा मैदानी इलाके से ज्यादा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा और मसूरी वगैरह में जहां कि ज्यादा खर्च हुए हैं, साथ ही सीमान्त के जिलों में स्ट्रेटिजिक रोड्स वगैरह पर और डिफेंस की बिना पर खर्च हुए हैं साथ ही पी० ए० सी० को सीमान्त के जिलों में डिफेंस की वजह से रखने पर जो खर्च हुआ है उन सब को जोड़ कर ही उन्होंने प्रति व्यक्ति पर ज्यादा खर्चा निकाला है। मेरा सुझाव है कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड को आप एक मंत्री के अधीन कर दीजिये, और उस मंत्री को यह अधिकार हो कि विकास सम्बन्धी सारे कार्य की देखभाल वह कर सकें। जितने पहाड़ी जिले हैं उनके लिये आप एक अलग मंत्री कर देंगे तभी वहां का कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा। जो मंत्री हों वे सब विभाग के कार्यों को देखें, हिल डेवलपमेंट बोर्ड के कार्य को देखें, वहां जितने भी विभाग हैं उनके कार्य को देखे और जितने भी कार्य वहां हों उन सब के लिये वही पर्वतीय विकास बोर्ड व असेम्बली के प्रति रिस्पांसिबिल हों। जब तक आप अलग से वहां के लिये मंत्री नहीं रखेंगे तब तक हिल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकास का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, कुछ साल पहले सीमान्त जिलों के जो जिलाधीश हैं उनको यह अख्तियार था कि जितने विभाग हैं सीमान्त जिले के उनको वे देखें और जो आफिसरान वहां अलग विभागों के हैं, उनके कार्य के ऊपर सारा अधिकार था जिससे वहां का काम जल्दी से जल्दी होता था लेकिन जब से जिलाधीश से वे सब अधिकार निकाल दिये गये हैं, वहां यह हालत हो गयी है कि हर विभाग में उतनी तेजी से काम नहीं हो पाता जितनी तेजी से उनको काम करना चाहिये। वहां मोटर सड़कों के बनने के समय लोगों को खेतों, सिंचाई नहरों को हालत बड़ी खराब हो गई हजारों दरखवास्तें इस क्षति के कम्पेनसेशन के लिये पड़ी हुई हैं लेकिन वह कम्पेनसेशन अभी तक तय नहीं हो पाया है। दस साल हो गये लेकिन कम्पेनसेशन नहीं तय हो पाया है। यह बात जरूर है कि शासन के जितने विभाग हैं वे हर एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह से हैं और उनकी विचारधारा इतनी अलग-अलग है कि कोई काम नहीं होने पाता। हमारे यहां अगर हम उद्योग चलाना चाहते हैं तो उसके लिये वन विभाग से लकड़ी चाहिए। वन विभाग से हमें लकड़ी व वन उपज नहीं मिलती। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उन ८ जिलों के लिए एक अलग मंत्री हो जो कि उन जिलों का काम देखें। जो निगम और हिल डेवलपमेंट बोर्ड बने हैं उनके काम को देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमांत जिलों में आज शिक्षित वर्ग के लोग बेकार हैं। ये बेकार लड़के जो पढ़े लिखे भी हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरा इस संबंध में एक सुझाव है कि आप एक लिटरेसी कम्पेन चलायें। जिस तरह से क्रैश प्रोग्राम में बेकार गांव वालों को तीन रुपया प्रतिदिन देकर सड़कों को बनवाते हैं उसी प्रकार इन शिक्षित नवयुवकों को १०० रु० प्रति माह देकर उन्हें लिटरेसी के काम में लगावें। जब तक वहां उद्योगों का विकास न हो तब तक ये इस कार्य में व्यस्त रहें जिससे कि इधर-उधर की खुराफात में न पड़ें। मेरा यह अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी और शासन इस सुझाव को कार्यान्वित करें। उत्तर काशी में

[श्री कृष्ण सिंह]

मनेरीभाली की एक बड़ी स्कीम है और टिहरी में एक डेम की स्कीम है। मनेरीभाली में एक गांव तिलोथ है जिसकी सारी जमीन ले ली है जहां इंजीनियर्स के मकान और बंगले व पावर हाउस बनेंगे। वहां की सारी फसल नष्ट हो गयी। वे लोग जिनकी जमीन ले ली कहां जायंगे इसका कोई इन्तजाम नहीं हुआ। मनेरीभाली पर काफी लोग लग रहे हैं लेकिन उनमें पहाड़ का एक भी आदमी नहीं है। कुली लोग भी बाहर के हैं। टिहरी डैम के कार्य में भी यही हो रहा है। बीस पच्चीस गांव उसमें आ जायंगे लकिन उन गांवों के लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मेरा यह सुझाव है कि उनके रहने की पहले व्यवस्था कर दी जाय। बोर्ड आफ रेवेन्यु के नियम के अनुसार पर नाली या पर एकड़ जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह कतई नाकाफी होगा। वे लोग नंगे हो जायंगे, भूखे हो जायंगे। जब उन लोगों की जमीनें चली जायेंगी तो वह वहां रह कर करेंगे भी क्या। इसलिए उनके रहने और मकान बनाने की फौरन व्यवस्था कर देनी चाहिए। उन्हें खेत के बदले खेत मिलना चाहिए और जो कम्पेन्सेशन आप दें वह भी इतना हो कि वह अपने मकान बना सकें और दूसरा इंतजाम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां प्रकृति का प्रकोप भी सालों से चल रहा है। आपने चमोली जिले के बारे में सुन ही लिया होगा। उत्तर काशी में एक मातनी गांव है, वह बह गया। वहां के लोगों को मकान बनाने के लिये स्थान और लोन व अनुदान दिया जाय। ऐसे ही जिन खेतों में स्वाइल कंजरवेशन का काम हुआ था और वह नष्ट हो गये तो उस खर्चे को समाप्त करके नये सिर से वहां स्वाइल कंजरवेशन का काम करवायें। श्रीमन्, जो पहाड़ी जिले हैं उनका अगर आप विकास करना चाहते हैं, हिल डेवलपमेंट बोर्ड के जरिये करना चाहते हैं तो जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर अमल करें। वहां आज एक आवाज यह उठने लगी है कि पहाड़ी जिलों की एक अलग स्टेट हो। अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ी जिलों की अलग स्टेट न बने, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के टुकड़े न हों, तो आप को पहाड़ों के समुचित विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और हिल बोर्ड के कार्यों की देखभाल के लिये एक मिनिस्टर नियुक्त करें जो उस सबके लिये जिम्मेदार हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ी जिलों को अक्सर जो कर्मचारी और अधिकारी भेजे जाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो निकम्मे समझे जाते हैं। वे वहां जाकर कोई काम नहीं करते जिसके कारण लोगों में बड़ा असन्तोष छाया रहता है। न ही एक साल से वहां पर गडोली में एक अस्पताल है, मगर वहां डाक्टर व कम्पाउन्डर अभी तक नहीं भेजा गया है। जो दवायें वहां भेजी गई हैं उनकी इस्तेमाल करने की डेट एक्सपायर हो चुकी होगी। स्कूलों की इमारतों आदि के लिये जो रुपया जाता है वह पड़ा रह जाता है, पी० डब्लू० डी० इमारतों को बनाता ही नहीं। सन् ६७ से जो उलट फेर हो रही है उसके कारण भी कोई कार्य नहीं हो पाता।

मैंने श्रीमन्, विचार बदले, दल बदला, मैं पहले कांग्रेस (संगठन) में था, अब नयी कांग्रेस में आ गया क्योंकि मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि इन्द्रा जी ही अपने प्रगतिशील कार्यों से गरीबी मिटा सकेंगी। जनतांत्रिक समाजवाद ला सकेंगी, और यदि वे भी इस कार्य में असफल रहीं, हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, तो फिर हमारी मान्यतायें संस्कृति और जनतंत्र आग में भस्म हो जावेगी। मेरा निवेदन है कि पहाड़ों से संबंधित स्थायी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाने के लिये मेरे सुझावों को स्वीकार सरकार करे।

*श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासन के नाम पर, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहूं कि आज प्रदेश में किसी प्रकार का शासन रह ही नहीं गया है तो अतिशयोक्ति न होगी। आज जैसा ढीला प्रशासन चल रहा है वैसा कभी देखने में नहीं आया। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। अनुशासन-हीनता और काम में ढिलाई सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। संविद के जमाने में जब माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे, हर बाबू, अधिकारी और चपरासी वगैरह ठीक १० बजे कार्यालय आ जाते थे। मगर आज ११ बजे से पहले कोई अपनी सीट पर नजर नहीं आता। काम का हाल यह है कि अगर आप दफ्तर में किसी बाबू के पास जायेंगे तो वह कह देगा कि अभी फाइल नहीं मिल रही है, दो ढाई माह बाद आइये। जब दो ढाई माह बाद उस आफिस में उसी बाबू के पास जायेंगे तो फिर वह कहेगा, अच्छा अभी देखते हैं, ३–४ घंटे में आइयेगा। यह प्रशासन का हाल है।

जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट हो गया था, आज किस तरह तरक्की कर रहा है। वहां पर कार्यालय में हर कर्मचारी ठीक समय पर पहुंच जाता है। अपने चरित्र के बल पर ही उसने इतनी तरक्की की है। ठीक समय से वापस आएगा, जनता का कोई आदमी पहुंच जायगा तो उसका काम तुरन्त हो जायगा। घंटे दो घंटे के लिए भी देर नहीं होगी। लेकिन आज हमारे यहां क्या हो रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। श्रम और उद्योग विभागों में बड़ा बुरा हाल है। इन विभागों के अधिकारियों के घरों में दफ्तर के चपरासी बेगार करते हैं। संविद शासन काल में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने अपने चपरासी अपने-अपने बंगलों से वापस दफ्तर में भेज दिये थे। सबकी लगनी चाहिये दफ्तरों में, लेकिन लगती थी बंगलों में। जैसे ही चरण सिंह मन्त्री हुए उनके समय में उनको स्वयं उन्होंने अपने बंगले से वापस भेज दिया। लेकिन श्रीमन, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि त्रिपाठी जी के शासन काल में चपरासी फिर वापस बंगलों में चले गये हैं।

उद्योग विभाग में ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिसका उदाहरण शायद ही कहीं ढूंढे मिले। ऐसी-ऐसी फर्मों को रा-मैटीरियल के कोटा और परमिट दिये जाते हैं, जिनका कहीं कुछ पता नहीं। लोन ऐसी फर्मों को दिया गया है जो केवल कागज पर हैं। श्रीमन, इसके अतिरिक्त स्टोर परचेज विभाग में भी बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां से प्राईवेट फर्मों को रेट कंट्रेक्ट दिया जाता है और हालत यह है कि कम कीमत की चीज ऊंची कीमत पर एप्रूव कर दी जाती है। जो चीज अच्छी है और सस्ती है उसको किसी न किसी बहाने से रद्द कर दिया जाता है और ऊंची कीमत की चीजों को रद्दी से रद्दी माल का रेट कांट्रेक्ट दे दिया जाता है। इस सबका आधार कमीशन है, जिसमें ज्यादा कमीशन मिले वह चीज मंजूर होती। इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं है। समाजवाद का नारा लगाया जाता है लेकिन मैं पूछता हूं कि स्टोर परचेज विभाग सारे व्यापारियों के लिए बना है या सिर्फ चन्द पूंजीपतियों के लिए बिना है। आज हालत यह है कि कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति वहां पर अपना राज्य जमाए हुए हैं तथा दूसरों की पहुंच नहीं हो पाती है। ऐसे भ्रष्टाचार में काम करना मुश्किल है और इससे गरीब जनता का नुकसान हो रहा है।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, मैं पूछता हूं कि यह जो बार-बार समाजवाद का नाम ले रहे हैं, क्या वह स्वयं समाजवादी हैं या नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

श्रीमन्, मैं यह बतला रहा था कि समाजवाद के नाम पर कितना घनघोर असमाजवाद पैदा किया जा रहा है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ठेके दिये जा रहे हैं और छोटे-छोटे व्यापारियों का सुना नहीं जाता है। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान उत्तर प्रदेश की सरकार को हो रहा है जिसकी कोई परवाह प्रदेश की सरकार को है।

[श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी]

बिक्री कर विभाग में एक फार्म सी होता है, जिसके बिना बिल्टी छूट नहीं सकती है। जिसको देने में विभाग के आदमी कई कई रुपये रिश्वत ले लिया करते हैं। रुपये न दें तो फार्म न मिले और बिना फार्म के माल छूट नहीं सकता है। यह भी होता है, वहां के बाबू लोग क्या करते हैं वारन्ट आफ नोटिस दे देते हैं, और गिरफ्तारी का नोटिस निकल जाता है जबकि रुपया व्यापारी का जमा रहता है। व्यापारी पर कोई बकाया नहीं, फिर भी गिरफ्तारी का नोटिस निकल जाता है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है कि वहां से ऐसी गलत नोटिसें क्यों और कैसे निकलती हैं। भ्रष्ट और बेईमान व्यापारियों का मनमाना एसेसमेंट हो जाता है और ईमानदार तथा सच्चे व्यापारी को आज मजबूरन यह सोचना पड़ रहा है कि वह अपना व्यापार करे या बंद कर दे।

ईमानदार आदमी की यह हालत हो रही है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बिक्री करके रजिस्टर्ड व्यापारी जब उत्तर प्रदेश में अपना माल मैनुफैक्चर करते हैं और बेचते हैं तब भी सेल्सटैक्स देना पड़ता है। ऐसा कानून बना है। पंजाब, मद्रास, दिल्ली, और महाराष्ट्र को देख लें। वहां यह नियम है कि उस प्रदेश का अगर रजिस्टर्ड व्यापारी है तो दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी को बिना सेल्स टैक्स चार्ज किये हुए माल देगा। यहां उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारी अगर माल बनाता है और व्यापारी को बेचता है तो सेल्स टैक्स चार्ज करता है। इसलिये उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को माल बेचते हैं। इससे करोड़ों रुपये का उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है। श्रीमन्, सामान्य प्रशासन की ढिलाई का एक उदाहरण और दे रहा हूं। कानपुर की नगरपालिका ने आज से १५-२० साल पहले जहां सड़कें निकलनी थीं उन पर जो मकान आते थे उनका अधिग्रहण कर लिया और उनसे वादा किया कि आपको कम कीमत पर मकान या प्लाट बहुत जल्द देंगे। १५-२० साल हो गये, उनका मामला शासन के विचारार्थ पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक विचार हो रहा है। गरीब आदमियों को कोई राहत नहीं दी गई। वह बेचारे किस हालत में रह रहे हैं, इसकी कोई चिन्ता शासन को नहीं है। यह सामान्य प्रशासन का हाल है।

श्रम विभाग कैसे काम कर रहा है उस पर भी गौर करें। १९६४ में हाउसिंग इन्सपेक्टर का चुनाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। लेकिन आज १९७१ चल रहा है उन्हें स्थायी नहीं किया गया दूसरे विभाग के लोगों को उसके अन्तर्गत स्थायी कर दिया जाता है, हाउसिंग इन्सपेक्टर अपने स्थायित्व लिये कराह रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह का सामान्य प्रशासन चल रहा है। श्रमहितकारी केन्द्र तो सारे उत्तर प्रदेश में हैं उनकी तरफ ध्यान दें। सुपरिन्टेन्डेंट तक अपनी सीट पर नहीं मिलेगा सरकार इन श्रम हितकारी केन्द्रों पर अनापशनाप खर्चा कर रही है। इसके द्वारा कोई भी काम श्रम के हित का नहीं होता है। श्रम विभाग मिल मालिकों के इशारे पर काम करता है। तनख्वाह पाता है उत्तर प्रदेश की सरकार से और काम करता है मिल मालिकों के इशारे से मानो तनख्वाह पूंजीपतियों से पा रहा हो। इस तरह से आज व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

श्रीमन्, अस्पतालों की दशा के ऊपर भी गौर करें। ऐसा लगता है कि अस्पताल गरीब आदमियों के लिये नहीं बनाये गये। कानपुर में आमतौर से जो कमाता है और रोज खाता है उसके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ गया तो जब वह अस्पताल के पास जाता है, वह प्राइवेट डाक्टरों का इलाज करवा नहीं सकता, तो डाक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कह देते हैं कि बर मदे में पड़े रहिये। बरामदे में डाक्टर की दवा तो मिलती नहीं भगवान की दुआ मिल जाय तो मिल जाय। श्रीमन्, अस्पतालों की दवा चोरी में बेच दी जाती है और फिर उन्हीं दवाओं की अस्पताल को सप्लाई कर दी जाती है।

अस्पतालों का भोजन मंत्री जी निरीक्षण करें तो अनुभव करेंगे कि जानवर भी उस भोजन को नहीं खाएगा। बीमार आदमी क्या करेगा? जहां तक पुलिस का सवाल है मैं आपको

बतलाऊं कि इतना भ्रष्ट प्रशासन है कि जिसका कोई नाम नहीं। एक शिकायत की गयी कल्यानपुर थाने के थानेदार के खिलाफ रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में एस० एस० पी० के पास तो एस० एस० पी० ने कहा कि कौन रिश्वत नहीं लेता। कैसे चलेगा यह प्रशासन ? नतीजा यह है कि वहां का पुलिस का पूरा मुहकमा रिश्वतखोरी से ग्रस्त है। इसी तरह डिप्टी एस० पी० अग्रवाल के खिलाफ शिकायत की तो कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूसरी तरफ समाजवाद के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं और इन्दिरा गांधी के नाम को घसीटा जा रहा है पहला चरण उनके समाजवाद का था जो वह आया एक अनूठी स्याही के द्वारा और दूसरा समाज वाद का चरण आया रवीन्द्रालय में बैठकर मिसमिरजम देखने के बाद और मिसमिरजम की कल्पना करने के उपरान्त। आज प्रशासन में जिस तरह की ढिलाई चल रही है उसको देख कर यही कहा जा सकता है कि प्रशासन नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है और ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाय जो कुछ करके दिखावे।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अनुदान की ताईद करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

आप शायद लिस्ट देखकर ही बोलने का अवसर देते हैं। जिस गरीब का नाम उसमें नहीं होता है उसको मौका नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। जिस पर नजर पड़ जाती है उसी को समय देता हूं।

श्री राजित राम पांडेय—

आज हिन्दुस्तान में जम्हूरियत कायम है। यह जम्हूरियत महात्मा गांधी की देन है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, पं० जवाहर लाल नेहरू, भगत सिंह आजाद जैसे सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और आजाद ने तो फांसी के तख्ते पर लटक कर स्वराज्य के लिये लड़ाई की। उसके परिणाम स्वरूप देश में एक जम्हूरियत कायम हुई। कल प्रशासन बजट पर हमारे विरोधी पक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह ने तीन घंटे तक तकरीर क्या की ऐसा ज्ञात हुआ है कि एक तवर्रा पढ़ा। २३ सांल तक वह हुकूमत में बराबर बने रहे। वह गांधी जी के साथ रहे, आचार्य नरेन्द्र देव जी के साथ रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ रहे मुख्य मंत्रियों, पन्त जी तथा सम्पूर्णानन्द जी के साथ रहे और मुझे यह आशा थी कि मुझे कुछ नसीहत देंगे। लेकिन उनकी तकरीर से जो सबक मिला वह सबक मैंने लिया। वह सबक यह लिया कि उन्होंने दलबदल किया मैं भी यह सोचा कि चौधरी साहब ने जब दल बदला है तो मुझे भी उनके पद चिन्हों पर चलकर दल बदलना चाहिये और श्रीमन्, मैंने उन्हीं से नसीहत लेकर अपना दल बदला।

कल भी मैं सोच रहा था कि वह कुछ नसीहत देंगे लेकिन वह तो तवर्रा ही पढ़ रहे थे। उसका यह आरोप था मुख्य मंत्री पर कि उन्होंने विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यादेश को खत्म कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसी वाक स्वतंत्रता के लिये डा० राम मनोहर लोहिया आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और उनका यह नारा था कि हर आदमी को वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिये लेकिन उस जम्हूरियत का गला चौधरी साहब ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में घोंटा और उन्होंने वह जुल्म किया उत्तर प्रदेश में जो ब्रिटानिया सरकार के जमाने में भी नहीं हुआ था। लड़कों पर लाठी चलवाई और तमाम पुलिस यूनिवर्सिटी में रखा।

मैं कृष्णानन्द जी को याद दिलाना चाहता हूं, मैं बंशीधर जी को याद दिलाना चाहता

[श्री राजित राम पाण्डेय]

हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कि सन् १९४२ में वे एक लड़ाकू सिपाही रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में यूनिवर्सिटियों में कहीं पुलिस और फौज रखी गई थी...

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या आप को दल बदलने के बारे में डाक्टर लोहिया ही कह गये थे...

श्री राजित राम पांडेय—

आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि बनारस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? अभी मेरे एक भाई खड़े हो गये, मैं कहता हूं कि इनके दल ने क्या किया? हां माननीय बांकेलाल जी ऐसी बात कह दें तो बरदाश्त कर सकता हूं, देवरिया के भाई रामपाल जी कह दें.. (व्यवधान) कल चौधरी साहब तीन घंटे तक एक तबर्रा पढ़ रहे थे। मैं उनको वहीं बताना चाहता था कृष्णानन्द जी को और बंशीधर जी को बतलाना चाहता हूं कि उस समय बनारस में गोली-काण्ड क्यों हुआ? गोलीकान्ड सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की वजह से हुआ और बच्चे मारे गये .....

एक सदस्य—

मान्यवर, मुझे आपत्ति है माननीय सदस्य के यह कहने पर कि चौधरी चरण सिंह की वजह से बनारस में गोलीकान्ड हुआ...

श्री राजित राम पांडेय—

क्योंकि चौधरी साहब अगर विद्यार्थियों पर आर्डिनेंस न लगाते, तो उनको गुस्सा न दिलाते तो वहां पर यह गोलीकान्ड न होता। इनकी जमहूरियत मुकम्मिल रखने के लिए लड़ाई की गई और वहां पर गोलीकान्ड हुआ। इसका सारा इल्जाम चौधरी चरण सिंह पर है। ये बोल नहीं सकते। यह बात काले अक्षरों में लिखी जायेगी। मैं माननीय कमला-पति त्रिपाठी जी को इस बात के लिए दाद देता हूं कि उन्होंने कल चौधरी साहब के लिए कह दिया कि आप अपने तबर्रे को पढ़ते जाइये। मैं उनको इसलिये भी दाद देता हूं कि उन्होंने इस अध्यादेश को समाप्त किया जिसकी की वे चौधरी साहब गाथा गा रहे थे। उनको यह मालूम नहीं कि जिस वक्त वे इस अध्यादेश को लाये थे उस समय कितने आदमी कराह रहे थे। मैंने इस पर उनको वोट नहीं दिया और मैं निकल गया। चौधरी साहब के बारे में क्या कहूं उन्होंने इतने जुल्म ढाये हैं जो कि रावण राज में भी नहीं हुए थे। कितनी औरतों को उन्होंने जेल में भेज दिया। यहां तक कि साढ़े तीन हजार औरतों को जेल में बन्द करवा दिया। खुद मिया फजीहत, दीगरां नसीहत। खिसियानी बिल्ली, खम्भा नोचे। वही हाल चौधरी साहब का है। मैं पंडित कमलापति जी के आदर्श के लिए बधाई देता हूं जो कि चौधरी साहब के तबर्रे पर उन्होंने कल दिखाया और कहा कि ऐसी बात सदन के सामने कहनी तो नहीं चाहिए किन्तु वे कह रहे हैं तो कहने दीजिए, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं.....

श्री मोतीलाल देहलवी—

दतिया कांड पर पांडेय जी बोल रहे थे...

श्री राजितराम पांडेय—

मैं माननीय मोती लाल देहलवी जी को और अपने सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे और इस बात पर इस सदन में जिक्र भी हुआ था कि चौधरी चरण साहब के भाई मानसिंह ने क्या-क्या कुकृत्य किये थे जिनके खिलाफ मेरठ में भ्रष्टाचार था उन मानसिंह को रामपुर मिल का रिसीवर बना दिया गया।

जो रामपुर मिल के रिसीवर तैयार किये, मेरठ में बड़ी शोहरत है और कई लाख रुपये का घोटाला किया। जब माननीय जायसवाल जी ने सवाल किया तो उन पर बिगड़ कर चले गये। मेरठ में पृथ्वीनाथ सेठ हैं जिनके घर में तलाशी हुई और स्मगलिंग का सोना निकला और उनके खिलाफ मुकदमा चला। वह प्रीवी कौंसिल में गया मैं..पढ़ा-लिखा नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट में चार्ज लगाया गया इनकम टैक्स की चोरी करने का। उन पृथ्वीनाथ सेठ को हमारे चौधरी साहब ने राज्य सभा का मेम्बर चुनवा दिया। इतना ही नहीं, जब चौधरी साहब मेरठ जाते हैं तो उन्हीं के घर में खाना खाते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

प्रीवी कौंसिल कहां है, यह बतला दें।

श्री राजितराम पांडेय—

वह बतला दिया। एक चीज और कहता हूं। जब ये मुख्य मन्त्री थे तो २९ लाख रुपया मेरठ और मुजफ्फरनगर से इकट्ठा किया और वह सब पृथ्वीनाथ जी को दे दिया वहां की जनता का। जब जनता ने कहा कि हिसाब दीजिए तो आजतक उसका कोई हिसाब नहीं है, सब घोटाला कर गये और मेरठ और मुजफ्फरनगर में बड़ी चर्चा है और यही कारण था कि बी० के० डी० के बहुत से साथी इंडीकेट में आये हैं कि यह तो बड़ी बेईमान पार्टी है, चौधरी साहब बड़ी बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ दी। यही कारण था कि चौधरी साहब वहां से चुनाव हार गये, वहां की जनता ने कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी की जरूरत है। वही अब इनकी हालत है कि "खिस्यानी बिल्ली खम्भा नोचे" ये खम्भा नोच रहे हैं।

ये बड़े अच्छे इन्तजामकार बनते हैं। जियाराम जो इतना अच्छा प्रशासक था कि उससे बढ़कर ईमानदार हिन्दुस्तान में कोई हो नहीं सकता लेकिन इन्होंने सलेकचन्द का जबरदस्ती कत्ल कराया और कत्ल कराकर उस आई० जी० से कहा कि तुम मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दो। उसने कहा कि ईमानदार हूं, मैं देश के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई तो उसको हटा दिया। उससे बेईमानी कराना चाहते थे, ऐसा जबरदस्त ईमानदार आई० जी० जिसकी शोहरत सारे हिन्दुस्तान में है, सारे उत्तर प्रदेश में है उसको उन्होंने हटा कर एक बेईमान आई० जी० को ले आये। पं० कमलापति ने एक मिसाल रखी, एक तरीका रखा। और मैं बताऊं कि भूमिहरों की बड़ी बात करते हैं। जब सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने.. पांच मिनट और दे दें, हाथ जोड़ता हूं, फिर नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजितराम पांडेय—

सोशलिस्टों ने जब भूमि बटवारे का नारा दिया तो चौधरी साहब तो भूमि का बटवारा करने वाले थे नहीं, भला हरिजनों के उनके जमाने में भूमि कैसे मिलती? फिर सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया। चौधरी साहब ने जेलों में सोशलिस्ट लोगों पर जो अत्याचार किये वैसे अत्याचार तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुए। मुझे भी जेल में २ महीने तक रहना पड़ा और मैं ही जानता हूं कि जेल में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो मैंने तबर्रा पढ़ा, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये। आपका समय हो गया। अब श्री इन्द्रजीत बोलेंगे।

श्री राजितराम पांडेय—

और एक बात बताऊं। उनके जमाने में एक चौधराइन ताईजी कहलाती थी। उनका टेलीफोन चलता था और वह फोन चौधरी साहब मुख्य मन्त्री का समझा जाता था। उनके जमाने में जो भ्रष्टाचार चला, उसकी मिसाल नहीं है। उधर जो लोग बैठे हैं वे दिल दबा रह जाते थे।

एक औरत बबुई, हंडिया थाने में जला दी गई उसके बारे में सी० आई० डी० की इन्होंने इंक्वायरी कराई लेकिन उस मामले में आज तक कुछ पता नहीं चला। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। चौधरी साहब जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। देश की आजादी हमने बड़ी मुसीबतों के साथ पाई लेकिन आज जब हम देश के प्रशासन को देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। गरीब सोचता है कि अपने राज्य में हमें न्याय मिलेगा लेकिन २० साल के प्रशासन के बाद हम देखते हैं कि इससे अधिक और नरक नहीं हो सकता। जनता सरकार से या किसी व्यक्ति से कोई चीज दान के रूप में नहीं मांगती, वह तो केवल न्याय चाहती है। खेद है कि आज तक चाहे किसी दल की भी सरकार रही हो, किसी गुट की सरकार रही हो, जनता को, कोई भी सरकार न्याय नहीं दे सकती।

हरिजनों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर हरिजनों को नौकरी देने के लिए उनके साथ न्याय नहीं बरता जाता, चपरासी, लेखपाल, अमीन आदि की नौकरियां जिला स्तर पर होती हैं, उनके लिये मेरा सुझाव है कि एक कमीशन जिला स्तर पर बनाया जाय जिसका अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज हो, उसमें सभी अधिकारी सदस्य हों, जिलाधीश की ओर से उसमें उसका प्रतिनिधि भी हो और इस कमीशन के द्वारा जिला स्तर की सभी नियुक्तियां की जायं। इसी प्रकार के हरिजनों को सही न्याय मिल सकेगा। यह भी ख्याल रखा जाय कि इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप न कर सके, जिससे जिले के अधिकारी किसी बात के समर्थन में कोई गलत आदमी नियुक्त न कर सकें। जैसा कि कहा जाता है कि हरिजन बहुत कम मिल पाते हैं। अगर जिलास्तर पर कमीशन गठित हो जाय तो काफी हरिजन मिल सकते हैं। गांव-गांव और शहर शहर में काफी प्रचार किया जाय ताकि कांस्टेबिल आदि जैसी जगहों पर हम उनकी पूर्ति कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे, जैसे हमें राजनीतिक स्तर पर हरिजन मिल जाते हैं उसी तरह से प्रशासन के लिए हरिजन नहीं मिल पाते हैं। एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि हमने हरिजनों का रिजर्वेशन २०, २५ या १८ प्रतिशत कर दिया लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है कि हरिजनों की कमी के कारण यह प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया। इसलिये भी यह आवश्यक है कि जिला-स्तर पर एक कमीशन गठित किया जाय।

जब पुलिस की ओर हम देखते हैं तो थानों पर जो स्टाफ पहले था उतना ही अब भी है, वह बढ़ाया नहीं गया जबकि क्राइम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह से हमारा प्रशासन रहा तो हम कभी भी क्राइम्स की रोकथाम नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी थानों पर जो स्टाफ है उसको बढ़ायें। क्राइम बढ़ने का एक और मुख्य कारण यह है कि अदालतों की ओर से न्याय नहीं मिलता है। उनको छोड़ दिया जाता है और अगर कत्ल के मामले में सजा भी दी जाती है तो ६–७ साल में प्रोबेशन बोर्ड की तरफ से छोड़ दिया जाता है। अगर जनता को स्वच्छ प्रशासन देना है तो ३०२ के मामलों में हर जिले में अगर साल में दो, तीन फांसी दी जाय तो अपराधों में बहुत कमी आ जायगी। जसी कि कुछ सदस्यों की मांग है इसकी छूट दे दी जाय अगर ऐसा किया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ५० प्रतिशत कत्ल और डकैतियां रोज बढ़ जायेंगी क्योंकि समय आने वाला है जब गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होगी और उस लड़ाई को न हम रोक सकते हैं, न आप रोक सकते हैं क्योंकि एसा वातावरण पैदा हो गया है। लेकिन आज हालत यह है कि समाजवाद की बात कह कर अगर आगे आ जाते हैं तो फिर यह भूल जाते है कि हमने जनता से क्या वायदे किये थे। हमारी कुर्सी बनी रहे चाहे हम नीचे से नीचे स्तर पर चले जायं।

इसी तरह से आज हम देखते ह कि हमारे राजनीतिक दल, कर्मचारी और हम सब विधायक टी० बी० के मरीज बने गये, कर्मचारियों के ट्रांसफर करवाने में और रुकवाने में। जैसे टी० बी० का मर्ज नहीं जाता है उसी तरह से यह मर्ज भी जाने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्राविन्शल लेविल पर एक आयोग गठित किया जाय और उसके द्वारा ही कर्मचारियों के ट्रांसफर किये जायं। आज वह अपने क्षेत्र के विधायकों पर तरह तरह प्रेशर डालते हैं। कहते हैं कि हमने चुनाव में तुम्हारी इतनी मदद की, तुम हमारे लिये इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते, और वह मजबूर हो कर करता है। कुछ ने तो इसे अपना पेशा बना रखा है जो सारे वातावरण को गन्दा करता है। दो हजार या एक हजार रुपया लेकर कहते हैं कि हम तुम्हारा ट्रांसफर अमुक स्थान से करवा देंगे या रुकवा देंगे। अगर एक आयोग का गठन हो जायगा तो इस तरह का भ्रष्टाचार रुकेगा और समाज को आगे ले जाने में कामयाबी होगी। आज अगर एक ट्रांसफर किसी विधायक ने करवाया तो फिर कर्मचारियों को छूट हो जाती है अपने दस काम करने की। अगर हम एक बी० डी० ओ० के ट्रांसफर के लिये कहते हैं तो उसके आधार पर वे पैसा भी लेते हैं और दसियों काम अपने करते हैं। इस तरीके से अगर आयोग गठित हो जायगा तो उसमें हम सुधार ला पायेंगे।

दूसरी बात हरिजनों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक दलों की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से उनको प्रश्रय दिया गया है। विधान सभा और लोक सभा में या अन्य स्थानों पर भी उनकी पूर्ति की जाती है। जिस प्रकार से गांव के स्तर पर उनको प्रश्रय दिया गया है वह केवल सदस्यता के प्रतिनिधित्व के लिए उनको प्रश्रय दिया गया है। आज मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि प्रधान के पद के लिए उनका कोई प्रश्रय नहीं है। उनमें उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से लोक सभा और विधान सभा में हरिजनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है उसी प्रकार से गांव सभा में भी उनका प्रतिनिधित्व रिजर्व होना चाहिए।

[श्री इंद्रजीत]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि जिलों में हरिजन अधिकारी है उनको हरिजनों के सम्बन्ध में जांच करने या उनकी तकलीफों को सुनने करने के लिये उन अधिकारियों को मजिस्टीरियल पावर दी जाय जिससे वह उन हरिजनों की तकलीफों की बातों को सुन सकें और सुनकर डाइरेक्ट वे कार्यवाही कर सकें। आज वहां पर हरिजन अधिकारी काठ की पुतली बनाकर बैठा दिया गया है। उसके हाथ में न कोई पावर है और न वह हरिजनों की समस्या को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही कर सकता है। नाम मात्र के लिए उनको हरिजन अफसर बनाकर बिठा दिया गया है। अगर हम उनको मजिस्टीरिएल पावर दे देंगे तो वह हरिजनों की समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। इससे हमारा प्रतिशत भी बढेगा और हरिजनों को वे लाभ और सन्तोष भी दे सकेंगे।

इसी तरह मैं बिजली विभाग और रेवेन्यू विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह विभाग इतना ग्रीडी हो गया है कि इसकी तरफ जाने की इच्छा भी नहीं होती है। इसका नाम लेते ही मन के अन्दर एक घृणा पैदा हो जाती है। बिजली विभाग के टैक्निकल कर्मचारी ओवरसियर और इंजीनियर हैं वे सब इसमें चोरी करते हैं जिससे उसका नुकसान काश्तकारों को उठाना पड़ता है। उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय कि इतने हार्स पावर ज्यादा खर्च होगी तो तुमको अपने पास से उसका पैसा देना पड़ेगा। अगर इस बात की जांच की जाय कि जहां पर ज्यादा बिजली खर्च होती है किस तरह से वहां पर ये लोग करते हैं तो वे सब बातें मालूम हो जायेंगी। किसानों को जो यह कनेक्शन का चार्जेज देना पड़ता है उससे वह बच जायंगे और उनको नहीं देना होगा। आज हमारी सरकार की ओर से पैदावार की बात कही जाती है और मेहनत करने की बात कही जाती है परन्तु जब हम देखते हैं आये दिन खाद के दाम और बिजली के दाम बढते चले जाते हैं। पैदावार लेकर जब काश्तकार बेचारा उसको बाजार में बेचने जाता है। तो जिस भाव पर वह वहां पर पर बेचता है उससे उसको बहुत निराशा होती है। इसी तरीके से इस विभाग के लिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी यदि इक समिति बना दें जो इसकी जांच करे तो इससे बहुत लाभ हो सकता है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं विभागों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार की ओर से घोषणा की जाती है परन्तु उनको कोई परसन्टेज नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि क्राइम बढ़ते हैं और अन्य बातें होती हैं। इन बातों को लेकर ही २२३ और ५०६ के झगड़े चलते हैं और इस बुनियाद को लेकर दूसरी रिपोर्ट होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हरिजन अधिकारियों को सरकार के द्वारा जांच करने की पावर देनी चाहिए जिससे वे गरीबों को और राहत दे सकते हैं और इंसाफ दे सकते हैं। इन बातों के कारण ही कत्ल, डकैती और दूसरे जरायम बढ़ रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और न उनको कार्यवाही करने की पावर देती है। उनको पावर दी जाय तो वे कार्यवाही करके प्रशासन अच्छा बनायेंगे। मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि जितनी सख्ती के साथ इस प्रशासन को आप चलायेंगे उतना ही आपकी मर्यादा बढ़ेगी और जितना ही अपने स्वार्थों को लेकर सदस्यों को खुश करने के लिए काम करेंगे उतनी ही गिरावट आयेगी उससे प्रदेश का फायदा नहीं होगा। प्रदेश के हित में जो आप कदम उठायेंगे उसमें हम सरकार को सहयोग देंगे।

दूसरी बात यह है कि यह जो फतेहपुर जिले का ललौली कान्ड हुआ उस का कारण भी यही पार्टी बन्दी था और जातिवाद को लेकर ही वह सारा मसला चला और उसी को लेकर उन लोगों को फंसा दिय गया और औरतों के साथ भी अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और झूठा आरोप कातिल का और डकैती का उन पर लगाया गया और कहा गया कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिये। उन को दबाने के लिए ही जातिवाद के नाम पर

यह सारा कान्ड रचा गया। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इसी कारण से जिले में अशांति का वातावरण और प्रशासन की ओर अश्रद्धा जनता में पैदा हुई। मैं चाहताहूं कि इस दिशा में जानकारी कर के न्याय की ओर सरकार का कदम उठाना चाहिये। मैं माननीय त्रिवेदी जी से कहूंगा कि वह इस मामले को देखें और एक निष्पक्ष जांच इसकी करावें कि किस तरह से गरीब लोगों को डकैती में फंसाया गया। इस का मूल कारण यह है कि हमारे फतेहपुर में अधिकतर पार्टीबन्दी के अलावा ऐयाशी या औरतों के साथ दुर्व्यवहार की एक आम बात हो गई है और रोज तरह तरह के अन्याय होते हैं, यही एक मेन प्वाइंट है जिसके कारण हमारे जिले में क्राइम्स की बढोत्तरी होती जाती है और इसी आधार पर डकैतियां और कत्ल होतें हैं। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का विरोध करता हूं।

*श्री लालसा (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपना व प्रदेश का यह दुर्भाग्य मानता हूं कि सन् ६९ से अब ७१ का आधा वर्ष बीत गया, इस ढाई साल में अब यह चौथी सरकार बनी है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इस का बहुत ही बुरा प्रभाव प्रशासन पर पड़ा है। यह तीन बार जो बीच में यहां की सरकारें बदली हैं इसका एक मुख्य कारण दलबदल ही रहा है, यह क्रम सन् ६७ से चला और उसी समय संविद सरकार का निर्माण यहां पहली बार हुआ, तभी से दलबदल का इतिहास आरम्भ हुआ, उस के मुख्य जन्मदाता हमारे चौधरी चरण सिंह ही थे, वह इसी सदन में हमारे दल कांग्रेस पार्टी से चुनकर आये थे लेकिन केवल १८ दिन के बाद ही न मालूम कौन सी क्रांति उन के दिमाग में आई कि उन्होंने क्रांति दल के नाम से एक दल बनाया और यहां के मुख्य मन्त्री बन गये। चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा लेकिन १८ दिन में सारे उसूल बदल गये और वह मुख्य मन्त्री बन बैठे। उस के बाद उनकी नई सरकार बनी उसके क्या कार्य कलाप रहे उनकी ओर आप का ध्यान आकृष्ट करूगा।

सन् ६७ में सबसे पहले उस सरकार ने अपना १९ सूत्री कार्यक्रम के आधार पर भूमि भवन कर समाप्त किया। मैं जानना चाहता हूं कि भूमि भवन कर से प्रदेश के गरीबों और किसानों का क्या सम्बन्ध था? जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री बने तो सारे प्रदेश में एक खुशी की लहर दौड़ी थी और कुछ लोग तो सड़कों पर नाचते भी दिखाई दिये थे लेकिन हम सभी को बाद में निराशा हुई। दूसरा काम उनके द्वारा यह किया गया कि जो गरीब और हरिजन हैं उन के अनुदानों में भारी कटौती की गई। उस के बाद एक बार फिर चौधरी साहब को हमारे दल के साथ साझा सरकार का मुख्य मन्त्री बनने का मौका मिला उसमें उनका ध्यान चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की तरफ दिलाया गया लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न पर को अपने समय में एक साल के लिए मुल्तवी कर दिया।

मानन्यवर यह "दिनमान" पत्रिका मेरे पास है। इसके पृष्ठ संख्या १५ पर जो सूचना अंकित है, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है "चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी फैसले को स्थगित करने में श्री सेठ अर्थात पृथ्वी नाथ सेठ, ने अहम भूमिका अदा की है। श्री सेठ के कहने पर ही मोदी को २ बड़े लाइसेन्स दिये गये। लखनऊ में तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालसा]

यह भी चर्चा है कि श्री सेठ और श्री हस्कर ने चरण सिंह को इस बात का आश्वासन दिया कि अगर किसी भी वहज से राज्य में मध्यावधि चुनाव हुआ तो उसका सारा व्यय वे बर्दाश्त करेंगे और अपने वायदे से कहीं मुकर न जायें इसकी एवज में गारन्टी के तौर पर उन्होंने ५० लाख रुपया भी जमा कर दिया। चर्चा तो यहां तक है कि अगर चरण सिंह श्री सेठ की किसी बात को मानने में आना कानी करते हैं तो वह चरण सिंह की पत्नी का सहारा लेते हैं।" श्रीमन, यह पत्रिका ३० अगस्त, सन् ७० की है और यह पृष्ठ १५ पर दिया हुआ है। इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्रीमन, हमारे प्रदेश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आज किसानों का १८ करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों के ऊपर बकाया पड़ा है। आज हमारे किसानों के ऊपर बड़ी आपत्ति है, उनका सारा गल्ला खलिहानों में सड़ गया है। बाढ़ एरिया में तो खरीफ की फसल भी खराब हो गई है। चाहे संविद सरकार के जमाने में या उसके बाद जो बीच में ३ बार सरकार बदली हों, उसके समय में और जो हमारी मौजूदा सरकार है उससे भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसके समय में भी हरिजनों का सर्विसेज में आरक्षण के मामले में मखौल उड़ाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १६ जुलाई को मैंने एक प्रश्न किया था। उसमें मैंने पूछा था कि आजमगढ़ जिले के सम्बन्ध में राजस्व संग्रह विभाग की क्या स्थिति है तो मुझे उत्तर मिला कि ३६ कर्मचारियों में से जितने भर्ती किये गये, उनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं भरती किया गया है।

१९६९ में शासन ने एक आदेश निकाला था कि १८ परसेंट का कोटा पूरा करने के लिए सर्विसेज में अर्थात तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में उसे २५ और ४५ प्रतिशत कर दिया जाय लेकिन आजमगढ़ में यह हो रहा है कि जहां पर ३६ व्यक्तियों को भर्ती हुई है, वहां पर एक भी नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कोई आदेश होना चाहिये। मैं ऐसा महसूस करता हूं और मुझे जहां तक जानकारी है पूरे प्रदेश में इस आदेश के परिपालन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, न किसी को एडवर्स एंट्री ही दी गई और न किसी अधिकारी का जवाब ही तलब किया गया। तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस सरकार के आदेश का पालन हो सकेगा। आज बहुत लोगों में असन्तोष और आशंका है कि क्या मामला है कि इस ओर इस सरकार का ध्यान विशेष रूप से नहीं पहुंच रहा है और हमारे अधिकारीगण मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं।

श्रीमन, ११५ (सी) के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं हमारे प्रदेश में जो लाखों भूमिहीन लोग हैं जिनके ऊपर ११५(सी) की रिपोर्ट करके उन पर जुर्माना किया जा रहा है। और हमारे आजमगढ़ में पांच हजार व दस दस हजार व जुर्माना हुआ है। मैंने सुना है कि हमारी सरकार ने शायद यह फैसला लिया है कि पचास गुने से बीस गुना जुर्माना कर दिया है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है। सरकार की मंशा है और जब नियम है, कायदा कानून है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाती। तो भूमिहीनों ने भूमि पर कब्जा कर लिया उन पर रिपोर्ट कर ११५ (सी) का जुर्माना कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे लेखपाल जो बड़े-बड़े लोगों के यहां रहते हैं और जो लोग गांव समाज की तमाम भूमि पर कब्जा किये हुए हैं लेकिन लेखपाल की हिम्मत नहीं कि उन के ऊपर अंगुली उठायें। भूमिहीनों पर तमाम कार्यवाही की गई है ११५ (सी) की। बड़े लोगों ने वर्ग ४ लिखाकर और २२९–बी का दावा करा कर अपने काम करा लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये।

आज भूमिहीनों की हालत दयनीय है। जिनको जिन्दगी का कोई सहारा नहीं है उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह संविद के समय से ही है। हम किसी सरकार के बारे में नहीं कहना चाहते लेकिन पिछड़े लोगों की इस तरह की उपेक्षा होती चली आ रही है। हम आपके माध्यम से इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे आजमगढ़ जिले में चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी जोत अधिनियम के अन्तर्गत जो हरिजनों को सुविधायें प्राप्त हैं और आबादी और घूरे इत्यादि के लिए जो जमीन देने वाली बात है उसमें हो क्या रहा है कि चकबन्दी अधिकारी मौके पर न जाकर हरिजनों को आबादी के बाहर दूरी पर जमीन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की आबादी के विस्तार के लिए उनको आबादी से सटी हुई जमीन दी जायं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसमें जांच कराये।

आजमगढ़ में इस तरह की बहुत अनियमिततायें हो रही हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सड़क है घोसी—मधुबन रोड पचासों वर्ष की। मैंने अगस्त के अन्तिम सप्ताह में सन् ७० में उसके बारे में निवेदन किया था कि वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को और उन्होंने उस सड़क की दुर्दशा के सम्बन्ध में २५ अगस्त, सन् ७० को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा था। वह पत्र मेरे पास मौजूद है। अब तक उसमें कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने खुद महसूस किया है श्रीमन, यातायात के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है कि वह कागज कहीं दबा हुआ है। उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यातायात के दृष्टिकोण से वह दस मील लम्बी सड़क है और वहां तमाम सरकारी बसें चलती हैं। बेल्थरा रोड से आजमगढ़ और बलिया तक यह महत्वपूर्ण सड़क है, और उसकी हालत खराब है, गड्ढे हो गये हैं, कंकड़ नहीं मिल रहा है। अभिधशासी अभियन्ता ने इसे अपनी रिपोर्ट में लिखा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये सब को जो क्षेत्रीय समस्यायें हैं उनको जनहित को ध्यान में रखकर पूरा कराने में सहयोग दें। मान्यवर, यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन के बजट पर विरोध करते हुए माननीय चरण सिंह जी ने प्रशासन को ठीक रखने के लिए जिन चार चीजों की आवश्यकता होती है उनकी ओर संकेत किया था। ये चीजें हैं :—

It should not be corrupt. It should be efficient. It should be impartial and it should be disciplined.

जिस प्रशासन में ये चार बातें नहीं होंगी वह प्रशासन हमारा अच्छा नहीं होगा और प्रदेश के लिए वह कुछ कर नहीं सकता है। आजादी के पहले हमारे आफिसर्स गुलामी की बू में चलते थे। उनके हाथ में जो पावर थी वह गुलामी की पावर थी। अफसरशाही उस समय चला करती थी। आजादी के बाद उनके रवैये में परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन २० साल बाद क्या उनके रवैये में परिवर्तन आया? उनके रवैये में दिन ब दिन गिरावट आती चली जा रही है और आज जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत होती हैं उनसे मालूम होता है कि पहले लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और छोटे-छोटे कर्मचारी ही करप्ट होते थे, लेकिन आज यह स्थिति है, जब हम सतर्कता आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम होगा कि प्रदेश के राजपत्रित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

अधिकारी जिनके ऊपर बड़ा विश्वास है कि ईमानदारी और लगन से कार्य करते होंगे, आज प्रदेश में अगर भ्रष्टाचारिता में सब से ज्यादा कोई है तो यही लोग हैं। श्रीमन्, प्रशासन की तीन इकाइयों में इनका बड़ा महत्व है। प्रदेश स्तर पर सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डायरेक्टर्स आते हैं, जिला स्तर पर जिलाधीश और एस० डी० ओ० आते हैं। डिवीजनल स्तर पर कमिश्नर्स और डी० आई० जी० वगैरह आते हैं। इसी तरह से डायरेक्टर्स और कमिश्नर्स के बारे में जो रिपोर्ट चौधरी साहब ने रखी थी, वह सामने आएगी।

श्रीमन्, हमाने देखा कि आई० जी० के एपाइंटमेन्ट में किस तरह से गोलमाल किया गया। डायरेक्टर आफ मेडीकल किस तरह से लाकर फिर बैठाए गए। इसी तरह से और भी उच्चाधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। गोंडा, फैजाबाद और उन दिनों कमिश्नर श्री अश्विनी कुमार थे। गोन्डा नगरपालिका में १७ लाख हं पया बाकी थी। नगरपालिका को सुपरसीड करने की मांग की गयी। लेकिन चूंकि चेयरमैन उनकी सेवा करत थे इसलिये उनको सुपरसीड नहीं किया गया। उसी के बगल में नवाबगंज की नगरपालिका में १६ में से ९ मेम्बरों ने मांग की, लेकिन नहीं हुआ। जब चेयरमैन ने कहा तो कर दिया गया। अभी चकबन्दी मिश्नर गोंन्डा गए थे। उनसे वहां के वकीलों ने मांग की कि उतरौला में एस० ओ० सी० का कोर्ट बनाया जाय। तो कहा गया कि एस० ओ० इतनी दूर से कैसे जाएगा, उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे। अभी निकट भविष्य में, अब्बास साहब सामने बैठे हैं, गोंडा में कहा गया कि उतरौला में एस० ओ० सी० नहीं जाएगा। लेकिन ,भी जो आदेश गए हैं उसमें कह दिया है कि एस० ओ० सी० उतरौला में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश में क्या ऐसे जिले नहीं हैं जहां दो-दो एस० ओ० सी० हैं। सुल्तानपुर, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद में देख लीजिए। लेकिन उतरौला का क्यों हुआ ऐसा, इसका कारण है। हमें सोचना है कि गजटेड आफीसर्स के बीच में जो इस प्रकार की बात हो रही है उसका कारण क्या है।

आज पोलिटिकल इन्टरफीयरेन्स इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे राजपत्रित अधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। वह भी उसी स्तर से काम करते हैं जिस स्तर से हम लेना चाहते हैं। अगर इनडीकेट के दो एम० एल० एज० या २–४ कार्यकर्त्ता कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तो वैसी ही व्यवस्था हो जाती है। आपके डायरेक्टर, आई० जी०, डी० आई० जी० उसी तरह से काम करते हैं। जिलों में काम करने वाले जिलाधीश हैं। हमारे यहां जिला गोन्डा के जिलाधीश हैं। उनके बंगले पर बहुत से चपरासी काम करते हैं। वे तनख्वाह पाते हैं तहसील से, चकबन्दी से और पी० डब्लू० डी० से, मगर काम करते हैं उनके बंगले पर। जब डिप्टी कमिश्नर इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं तब फिर तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और एस० डी० ओ० कैसे ईमानदार हो सकते हैं। आज जो पोलिटिकल इन्टरफियरेंस है उसको आप देखें। इसी आधार पर लेखपालों के ट्रान्सफर होते हैं, तहसीलदारों के ट्रांसफर होते हैं और कलेक्टरों के होते हैं। पोलिटिकल इन्टरफियरेंस जब से कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार बनी है तब से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ट्रांसफर करने में न जाने कितने हथकन्डे अपनाये जाते हैं। एक मर्तबा ट्रांसफर के आदेश दे दिये जाते हैं और बाद में कैंसिल कर दिये जाते हैं। जब इस तरह से कार्य होगा तब स्वच्छ प्रशासन कैसे होगा?

अब मैं श्री के० हनुमनथईया की रिपोर्ट पढ़ता हूं। श्री हनुमनथईया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चेयरमैन थे और अब वे इन्डीकेट की सरकार में यूनियन मिनिस्टर हैं।

"Administration at the State level is steered by Ministeries who are elected by and are responsible to the people. It is the calibre of the Ministries that determines the character of the Administration. Our study has revealed that in comparison with the Ministries at were working at the

time of achievement of independence there has been a gradual deterioration in the composition and calibre of the Ministries that came into existence thereafter. Most States are now burdened with the over-sized Ministries and some are suffering from the malady of instability. We have recommended that the number of Ministries of all categories should be kept within certain limits. In big States, there may be 20 to 25 members in the Council of Ministers ; in the middle-sized States, the number may be between 14 and 18 and in small States, it may range between 8 and 12. The distribution of subjects should be rational, based on considerations of co-ordination and efficiency. Once a basic scheme of grouping of subjects is introduced, it should not be changed just to provide for an increase in the number of Ministers."

तो इस प्रकार श्री हनुमनथईया साहब ने कहा है कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स होता है। जब पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स होता है तभी लोग नाजायज काम कराते हैं। प्रदेश में ऐसी अनेकों घटनायें होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सिविल सर्जन फर्स्ट-क्लास आफिसर होता है। हमारे यहां सिविल सर्जन ने अस्पताल को ठीक किया और डाक्टरों को भी सुधारने की कोशिश की जो कि वहां पर गड़बड़ किया करते थे। इन्डीकेट की सरकार के कुछ साथियों ने उस सिविल सर्जन का तबादला करवा दिया और वे पहाड़ पर पड़े हुए हैं। मिनिस्टर साहब के पास कुछ लोग आये और उनका तबादला करवा दिया क्योंकि वे उनकी पार्टी के आदमियों की गलत बातों को नहीं मानते थे। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, मगर वे सिविल सर्जन अभी भी पहाड़ पर हैं। यह कहा जाता है कि वे यहां आ कर इस सदन के चक्कर लगा रहे हैं अपने ट्रांसफर को वहां से करवाने के लिए। वे क्यों न चक्कर लगायें ? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप का प्रशासन इसी तरह से चलेगा ? पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स है और आगे ज्यादा आने वाला है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स और इनडिसिप्लिन बहुत अधिक बढ़ गया है। जब इनडिसिप्लिन होगा तब प्रशासन कैसे चलेगा ?

हम देख रहे हैं कि रोज ट्रान्सफर होते हैं। यहां तक है कि किसी-किसी तहसील में दो दो तहसीलदार हैं। एक डीफैक्टो है और एक डीजूरे है। इसका कारण पोलिटिकल इन्टरफीयरेन्स है। आज छोटे-छोटे ट्रान्सफर्स के मामले में और छोटे-छोटे एप्वायटमेन्ट्स में मिनिस्टर्स की सिफारशें जाती हैं। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि सचिवालय में एक सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक आदेश निकाला कि मेडीकल डिपार्टमेन्ट के लोग फेमिली प्लानिंग में भी एप्वायन्ट हो सकते हैं। वह आदेश नहीं होना चाहिये था लेकिन जिन के कारण किया गया। एक डाक्टर का ट्रान्सफर फेमिली प्लानिंग में कर दिया गया। डाक्टर ने बहुत कहा लेकिन जिन के कारण नहीं माना गया। उसने हाई कोर्ट में रिट कर दी। हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जो किया गया है वह गलत है। उसके बाद सेक्रेटरी ने कोशिश की कि चूंकि उसके आदेशों की अवहेलना हुई है, इसलिये सिविल सर्जन को बुलाया और कहा कि यह बिना सरकारी आदेशों के चला गया था और उस को दंडित किया गया। वह तीन साल तक गोंडा अस्पताल में पड़ा रहा। आखिर यह क्यों होता है, इसका एक कारण है कि हमारे प्रदेश में पोलीटिकल इन्टरफियरेन्स बहुत मढ़ गया है।

आज मिनिस्टर के कमरे में कोई भी जा सकता है। न कोई नियम है, न कोई तरीका है, कैसे भी जा सकते हों। मिनिस्टर का दफ्तर बस स्टेशन हो गया है, वेटिंग रूम हो गया है। जो कुछ हो रहा है वह आश्चर्यजनक है। इसका कारण परसनल एफीलियेशन्स हैं। परसनल एफीलियेशन्स के आधार पर ही काम किये जा रहे है। यह ठीक नहीं है। इसी

[श्री त्रिवेणी सहाय]

प्रकार मंत्री के कमरे में जो चाहे चला जाय यह ठीक नहीं है। इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है :

"An unwholesome impact of State politics on administration has been the growth of unhealthy loyalities among civil servants to individual Ministers or factions within the ruling party. Unhealthy personal affiliations of the civil servants to Ministers are mostly motivated by the former's eagerness to advance their career prospects with ministerial support. Many ministers on their side develop a soft corner for those civil servants who would accommodate their wishes for grant of favour to their supporters."

श्री उपाध्यक्ष ---

बहुत हो गया, हिन्दी में कहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय---

परसनल एफीलियेशन्स जो हैं उन्हीं के कारण यह सब हो रहा है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

चाहे इधर के लोग शासन में आवें या उधर के लोग शासन में आवें, कोई इस बात का प्रयास नहीं करता है कि हमारा क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन हो और डिसिपिलिन्ड वर्कर्स हों। हमें करप्शन को दबाना है, उनको रोकना है। लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट ने ये सारी बातें नहीं की हैं। आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखें, अपराध पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल के आंकड़े आप देखें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतवर्ष में सबसे अधिक डकैतियां हुई हैं, सब से अधिक चोरियां हुई हैं और सब से अधिक कत्ल हुए हैं। अगर आप की पुलिस एफिशिएंट होती, अगर आप के पुलिस अधिकारी ईमानदार होते, पुलिस कर्मचारी अच्छे होते तो प्रदेश में यह नौबत कभी भी नहीं आती। आपका प्रशासन ठीक नहीं है, आपका पुलिस प्रशासन अच्छा नहीं है। पहले उसको ठीक करने की कोशिश कीजिये तब उसके लिये अनुदान लेने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं पुलिस अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, मैं आप का बहुत ही आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह तो मैं इसके पहले भी कह चुका हूं और चुनौती के साथ कह चुका हूं कि इस अल्प काल में इस सरकार ने जितना अच्छा प्रशासन किया है वैसा उसके पहले वाली किसी सरकार के इतिहास में नहीं है। मान्यवर, मुझे दुःख है कि इस सम्मानित सदन में, माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर एक न एक परम्परा कायम होती रही है। आपको ज्ञात है कि परम्परा आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कायम की जब वे कांग्रेस से अलग हुए, और उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके द्वारा पाये हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम पदों से त्यागपत्र दे दिया और इसी सदन में वे यह कह कर गये कि चूंकि मुझे यह पद कांग्रेस की बदौलत मिला था, मैं उसको छोड़ रहा हूं और फिर लड़कर अगर आ सका तो इस सदन में आऊंगा और आप की खिदमत करूंगा।

एक परम्परा तो स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी ने डाली कि जिस पार्टी के टिकट पर चुन कर आवें, उस पार्टी से अलग होने पर उसके दिए हुए पद को छोड़ देना चाहिये और ठीक उसके विपरीत चौधरी चरण सिंह जी ने यह परम्परा कायम की कि १४ आदमियों के साथ सरकारी बेंच से उठ कर जब कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुने गये थे, विरोधी बेंच पर जा कर बैठ गये। उन्होंने यह परम्परा कायम की कि चाहे जिस पार्टी के खर्चे पर लड़ो, चाहे जिस पार्टी का सिम्बल इस्तेमाल करो, जब इच्छा हो दलबदल कर दूसरी बेंच पर बैठ जाओ। इस तरह से वे दलबदलुओं के बादशाह कहे गये। अखबारों में भी यह समाचार छपा था कि चौधरी चरण सिंह दलबदलुओं के बादशाह हैं। तो कल फिर चौधरी चरण सिंह जी ने एक और नयी परम्परा डाली जब वे एक पत्र पढ़कर सुनाने लगे। विरोधी दल तो केवल इसलिये होता है कि वह स्वस्थ विरोध करे और इस विचारधारा से विरोध करे कि वह सरकार के सामने एक ठोस सुझाव के रूप में हो लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे निवेदन करना पड़ता है कि चौधरी साहब ने कल एक नयी परम्परा कायम की।

वे मुख्य मन्त्री रह चुके हैं लेकिन सरकार का विरोध करने में उन्होंने लड़का, लड़की और लड़के की बहू की बात कह कर एक तरफ से गालीगलौज की एक नयी परम्परा कायम की कि श्री कमला पति त्रिपाठी ऐसे हैं, उनका लड़का ऐसा है, उनकी बहू ऐसी है, उनके स्तर पर ऐसी बात हुई जो नहीं होनी चाहिये। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो श्री कमलापति जी जो चुपचाप सारी बातों को सुन रहे थे, हमलोगों से कहा कि चौधरी साहब को डिस्टर्ब न करो, जो कुछ भी वे कहते हैं उनको सुनते रहो। तो चौधरी साहब गाली देते रहे और हमारे मुख्य मन्त्री श्री कमलापति जी सन्तोष से सब सुनते रहे। एक गरिमा का उदाहरण उन्होंने रखा कि वे चौधरी साहब की बातों को, गालियों को सुनते रहे, एक उनका आदर्श है और एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का आदर्श है जो उन्होंने सदन के सामने कल रखा। देहातों में एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद। मान्यवर, उसी तरह से सब बुराई तो करें चौधरी साहब और नाम लगाते इस सरकार पर। हमें तो पूरी जनता की मान्यता है। जब सम्मानित सदन ने हमारे नेता को यह मान्यता दी है और वे बहुमत के आधार पर यहां हैं तो आशा की जाती है कि चौधरी साहब इसको बुरा न मानेंगे।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से उनका ध्यान उनके प्रशासन की तरफ दिलाना चाहता हूं। चौधरी साहब ने सरकार के अन्दर रहकर विनाश का काम ही किया, निर्माण का कोई काम नहीं किया। जब वे माल मंत्री थे तो उन्होंने सूबे के सारे पटवारियों को निकाल दिया और उन्हें बेरोजगार बना दिया लेकिन फिर भी कोई ऐसा हल नहीं निकाल पाये कि खेतों का सही इन्दराज हो। पटवारी एक रुपया घूस लेता था तो उसकी जगह इन्होंने दस रुपया घूस लेने वाला लेखपाल बैठाल दिया। मान्यवर, इनकी संविद की सरकार बनी। हमने नाटक में सुना था कि नारद जी ने एक बार भगवान से कहा कि भगवन् बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप औतार लें। भगवान ने का अभी महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ है और इसीलिए अत्याचार का पराकाष्ठा नहीं हुई है। चौधरी साहब ने उस कमी को भी पूरा कर दिया। संविद के जमाने में विधान भवन के सामने, सब को मालूम है, हजारों महिलाओं को ब्लाउज फाड़-फाड़ कर मारा गया और बेरोजगार किया गया। अगर कर्मचारी अपनी मांग लेकर गये तो चौधरी चरण सिंह का यह फतवा है, यह भविष्यवाणी है कि हमारे यहां हड़ताल

[श्री शिवकुमार पाण्डेय]

नाजायज है, मांग करना जानायज है। यह फतवा रहा है चौधरी चरण सिंह का और आज वह प्रशासन बतला रहे हैं कमलापति को।

मान्यवर, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के बाद अगर कोई सौम्य मुख्य मन्त्री इस सूबे को मिला है तो वे हैं कमलापति त्रिपाठी। उनके प्रति इस प्रकार की छीटाकशी करना उन्हें शोभा नहीं देता है। मान्यवर, समाज के कई अंग होते हैं। एक अंग होता है विद्यार्थी, एक अंग होता है महिलाएं, एक अंग होता है किसान, एक अंग होता है मजदूर। मान्यवर, आप देखें कि किसानों के साथ चौधरी साहब ने क्या किया। संविद के जमाने में किसान को जो एक मील की छूट बिजली में मिलती थी खत्म कर दी गयी। किसानों के सीने पर चढ़कर उनसे इतनी लेवी वसूल की गयी जो कि उनके भूसे और पैरे को लगाकर भी नहीं आती थी। मजदूरों के साथ इनका व्यहार सभी को मालूम है। कालागढ में निहत्थे मजदूरों पर गोली चलवायी। विद्यार्थी तो उनको बरदवासियार कहकर डरते थे। जैसे मान्यवर, जब हम बच्चे थे तो हमारी मां डरवाया करती थीं कि भेड़िया आ गया और आज इसी तरह वे अपने बच्चों को संभालती हैं कि चौधरी चरण सिंह आ गये, कहीं गोली न चलवा दें। जहां चौधरी साहब गये वहां पुलिस ने गोली चलायी। हमारे यहां मध्यावधि चुनाव में चौधरी साहब गये। वहां लड़कों ने कहा कि हमारे कुछ सवालों का जवाब दें। इस पर वहां पी० ए० सी० ने मारना शुरू किया और मारा किसको, तहसीलदार को मारा, नायब तहसीलदार को मारा, कानूनगो को मारा, तहसीलदार के हाते में घुस कर मारा, इजलास में घुस कर मारा, कमरें में फाइलों पर खून के धब्बे लगे, अमीनों के पैसे छिन गये। प्रजातंत्र के इतिहास में आपको ऐसा नमूना नहीं मिलेगा। नायब तहसीलदार का हाथ टूट गया, १४ आदमी अस्पताल में पड़े रहे। न उनको शर्म आयी और न उन के दल वालों को।

मान्यवर, इन्होंने इस्लाम अहमद को इसलिए आई० जी० नहीं बनाया कि यह तो आर्य समाजी थे और वह मुसलमान था। मुसलमानों की, ईसाइयों की, या और जो कम तादाद वाले हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सब कौम वालों पर है। लेकिन चूंकि यह आर्यसमाजी थे, मान्यवर, इसलिये यह किसी मुसलमान को उस पद पर नहीं चाहते थे और दूसरी बात यह भी थी कि वीरेन्द्र वर्मा जी के एक भाई का मुकदमा वापस लेने के लिये जोर डाला गया जिसको इसलाम अहमद ने मना कर दिया, इसलिये उनको आई० जी० नहीं बनाया गया।

(व्यवधान)

जातिवाद के नाम पर श्री भगवन्तसिंह को जब आपने ए०पी०सी० बनाया तो उस वक्त यह पता नहीं चलता था कि मुख्य मन्त्री चौधरी चरणसिंह हैं या कि श्री भगवन्तसिंह हैं। फिर जब माननीय चौधरी चरण सिंह सर्वेसर्वा थे तो उन्होंने खुद टिकट लिया, अपनी बीबी को टिकट दिया। माननीय कमलापति जी भी चाहते तो अपने लड़के को अपनी बीबी को टिकट दे सकते थे। जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे तो एक तरफ चौधरी चरणसिंह का टेलीफोन जाता था, तो दूसरी ओर बेगम चौधरी चरण सिंह का टेलीफोन होता था। दूसरों की बीबियों या बहुओं पर कहने से पूर्व पहले अपनी ओर देखना चाहिये, उनकी बीबी खुद उनके कन्ट्रोल में नहीं है। यह इल्जाम मान्यवर, रामनारायण त्रिपाठी जी, जो बी० के० डी० में रह चुके हैं, उन्होंने लगाया था कि चौधरी चरण सिंह ने बहुत बड़ा करप्शन किया है।

श्री राजबहादुर द्विवेदी ने भी, जो उनकी पार्टी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके बारे में यह कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी जैसा भ्रष्टाचारी यू० पी० के अन्दर नहीं है। यही कारण है कि बी० के० डी० के सदस्य एक एक करके चले गये और बी० के० डी० बेनकाब हो गयी। हिन्दू मुस्लिम दंगा करा कर एक सीट संसद के चुनाव में उनको मिली भी, किन्तु बाद को वह भी चली गयी और उनका खाता ही बन्द हो गया। यहां जो चुनाव में इतने भारी बहुमत से पहले

यह जीत कर आते थे उसका कारण क्या था ? ४ आदमी जाट खड़े कर दिये जाते थे, हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, आतंक के बल पर वोट डलवाये जाते थे। एक बी० डी० ओ० जो मेरे अण्डर में कार्य कर चुका था, जब मैं ब्लाक प्रमुख था, तो उसकी ड्यूटी उनके क्षेत्र में इस इलेक्शन के समय लग गयी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या कारण है इनको इतने वोट मिल जाते हैं, तो उसने यह सब बताया। (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट का समय और दे दें। उसने श्रीमन्, बताया कि एक बुढ़िया ने ६२ वोट डाले और कोई उसको नहीं रोक सका। इस इलेक्शन में जब हरिजनों के लिये वोट डालने का प्रबन्ध अलग से कर दिया गया तो आपने देखा जनता ने चौधरी साहब को ठुकरा दिया। अगर उनमें जरा भी हिम्मत होती, मर्यादा होती, तो उनको चाहिये था कि वे तुरन्त यहां से इस्तीफा दे देते। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के सिम्बल पर जीत कर आये और जब दल छोड़ा तो इस्तीफा नहीं दिया। इनको इस्तीफा देकर पुनः चुनाव लड़ कर आना चाहिये था। तब इनके इस्तीफा देने का समय नहीं आया तो अब क्या इस्तीफा दे देंगे ?

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। यह दूसरों का भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन १४ मास इनकी सरकार रही, दुनिया जानती है कि १४ आदमियों को लेकर गये, किन्तु १४ महीनों में इतना रुपया भ्रष्ट तरीकों से इकट्ठा कर लिया कि पूरे देश भर में अपने आदमियों को एलेक्शन लड़ा दिया। फी कैण्डीडेट २-३ हजार रुपया भी खर्च किया हो तो प्रश्न यह है कि यह रुपया कहां से आया ? इन्होंने मिल मालिकों से रुपया लिया था, पूंजीपतियों और बड़े बड़े चीनी मिलमालिकों से रुपया लिया था। उन्हीं के रुपयों से दो-दो मध्यावधि चुनाव लड़ चुके हैं। यह है कि इनके भ्रष्टाचार का नमूना। मैं निवेदन करूंगा कि चौधरी चरण सिंह भ्रष्टाचार की बात न करें, नहीं तो इस कहानी को दोहराना पड़ेगा, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल भी उधर से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, उस सम्बन्ध में उनसे बाहर मेरी बातचीत भी हुई थी। वैसी ही बात आज पान्डेय जी ने कही कि आई० जी० इस्लाम अहमद को इस वजह से उस समय आई० जी नहीं बनाया गया था क्योंकि मेरे भाई पर जो मुकदमा है उस केक को वह वापस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस पिक्चर में इस्लाम अमद कहां आते हैं, उस समय श्री जियाराम आई० जी० थे। श्री चन्द्रभानु जी गुप्त मुख्य मन्त्री थे और वर्तमान मुख्य मन्त्री उस समय उप मुख्य मन्त्री थे। जिस समय चौधरी साहब मुख्य मन्त्री बने उस समय सक्सेना जी थे। लेकिन केस के बारे में उस समय चौधरी साहब ने हाउस में कहा था और बाहर भी कहा था कि वह उस केस को वापस नहीं लेने जा रहे हैं और आज भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो वह कल कह रहे थे कि केस को वापस ले लिया गया है वह निराधार है केस चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके अपने विचार रखें।

जहां पाण्डेय जी ने दूसरी बात कही है कि २-२ हजार रुपया भा० क्रा० दल की ओर से कैन्डीडेट को दिया गया, यह कहां से आया ? इसके बारे में तो आप अपने आप से पूछिये जो एक-एक लाख रुपया आपके उम्मीदवारों को दिया गया था वह कहां से आया था।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर इस सदन में बहस चल रही है। मैं दोनों दिन बड़े गौर से अपने साथियों के विचार सुनता रहा और यह

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

लगा कि सारी बहस के ऊपर चौधरी चरणसिंह साहब पूरी तरह से छाये हुए हैं। सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में उन्होंने जो मूल प्रश्न उठाये थे उनके बारे में बहुत ही कम सोच-विचार हुआ। केवल उनको जवाब देने की कोशिश हुई और वह भी नाकामयाब कोशिश बराबर होती रही। अच्छा होता कि जो मूल प्रश्न उन्होंने उठाये थे, उनके सम्बन्ध में सोच विचार किया जाता। मान्यवर, सामान्य प्रशासन बहुत ही गहन विषय है। बहुत समय से बड़े बड़े विचारकों ने इस संबंध में विचार किया है। बहुत बड़े बड़े प्रशासकों ने अपने अनुभव से इस बात की चेष्टा की है कि किस सिद्धान्त का निरूपण करें कि जिससे प्रशासन कुशल हो, स्वच्छ हो, सक्षम हो और उसमें अनुशासन हो और वह अधिक से अधिक जनता का भला करने में अपने को लगा सके।

मान्यवर, इस समय उन सिद्धान्तों का विवेचन करना तो कठिन होगा। समय भी नहीं और मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी नहीं हूं। न स्वंय मुझे प्रशासन में बहुत दिन तक रहने का कोई अवसर मिला है। लेकिन जो एक मुख्य बात है उससे सभी लोग परिचित हैं और यह कि प्रशासन का एक वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे सारे प्रशासन की मशीनरी अच्छे ढंग से अपने स्थान पर चल सके और उस मशीनरी को अच्छे ढंग से चलाने की सब से बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है जो प्रशासन के शीर्ष पर बैठा होता है। मान्यवर, आज प्रशासन के शीर्ष स्थान पर आदरणीय पंडित कमलापति जी विराजमान हैं। उनको प्रशासन का दीर्घकालीन अनुभव है और वह बहुत बड़े विचारक भी हैं। इस लिये इस बात की अपेक्षा की जानी चाहिए कि प्रशासन गतिमान होगा, अच्छे ढंग से चलेगा, जनता की भलाई करनेमें वह सक्षम होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जो मुझे विवश हो कर कहनी पड़ती है, इतने अनुभवी, इतने विचार शील व्यक्ति के शीर्ष स्थान पर बैठे रहने के बावजूद भी आज जो ढिलाई उसमें दिखायी देती है, आज जो उसका अपयश फैल रहा है, यह आखिर क्यों? अभी हमारे एक साथी कह रहे थे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं, कि आज चपरासी अफसरों के घर पर फिर काम करने लगे हैं, उस पर किसी साहब ने उधर से कहा कि कोई प्रकार की आज्ञा की गयी है। मैं कहना चाहता हू कि कि इसमें आज्ञा जारी करने की बात नहीं है। जिस तरह का माहौल बन जाता है, जिस तरह की हवा चलने लगती है, उस हिसाब से काम होने लगता है। उसमें किसी निर्देश की जरूरत नहीं होती है। आज जो लचरपन आ गया है, एक बात जो उन्होंने कहा, उसमें वह भी होने लगी है।

मान्यवर, बहुत से शासन इस उत्तर प्रदेश में मैंने भी देखे हैं, कुछ को नजदीक से और कुछ को दूर से। लेकिन आज जसा यश फैल रहा है इस शासन का और जैसी बातें हो रही हैं वह कभी सुनने में नहीं आयीं। आखिर कारण क्या है कि आज जन-जन में जहां भी हों, रेस्टरों में हों या बस पर सफर कर रहे हों, लखनऊ में हों या दिल्ली में हों, चारों तरफ एक बात सुनायी देती है। अभी दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के एक जिम्मेदार संसद सदस्य ने मुझ से एक घटना बतायी। संसद के पांच सदस्यों ने मिल कर एक एग्जिक्यिटिव इंजीनियर की बड़ी शिकायत की, उसके भ्रष्टाचार के बारे में कहा और जोर दिया कि उसका कुछ होना चाहिए। उसका तबादला हो गया। कुछ दिनों बाद उन संसद के सदस्यों को पता चला कि तबादला हो गया। वह फिर आये। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई मंत्री जी से। तो कहा गया कि अभी अभी वायरलस से ट्रांस्फर हुआ जाता है लेकिन उन्होंने बताया कि वह वायरलेस पता नहीं कि कहां पहुंचा। अब पता चलता है कि उचित स्थान पर पांच हजार रुपये पहुंच गये और उस वायरलेस के लागू होने का कोई कारण नहीं है। इस तरह की बात मुझे दिल्ली में सुनायी पड़ी एक जिम्मेदार आदमी के मुंह से सुनायी पड़ी, संसद के सदस्य के मुंह से सुनायी पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष—

समाप्त करें। कल जारी रखें।

नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

सूचनाएं जो हैं, नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पांडेय, अमरनाथ दुबे, और कृष्णानन्द राय की आयीं हैं जो इटावा जिले में हरिजनों की जमीन छीने जाने, उनसे रिश्वत लेने तथा उनको पीटे जाने के सम्बन्ध में है। यह नियम ५६ में स्वीकार नहीं हुई है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस पर मुझे यह निवेदन करना है कि ५६ में इसे आप नहीं लेना चाहते हैं तो ५१ के अन्तर्गत ले लें। घटना का एक निश्चित स्थान है। सैकड़ों हरिजनों की भूमि छीनी गयी है और बे-इज्जत किया गया है। पुलिस ज्यादती कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप अल्पसूचित कर लें। अगर उससे आपको संतोष नहीं होगा तो वक्तव्य के लिये देखा जायगा।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

यह सेम्पिल है जिसके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना है और सरकार इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालेगी। ५६ में नहीं आप ले रहे हैं तो फिर ५१ के अन्तर्गत ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

तो कल आप ५१ का नोटिस दे दें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

एक माननीय शम्भूनाथ जी ने पाठ्य पुस्तकों की कमी के बारे में प्रश्न भेजा था विद्यार्थियों की असुविधा के बारे में। इसे ३-८-७१ को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

माननीय कृष्णानन्द राय, सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, अमरनाथ दूबे ने इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर की बाढ़ के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया है। इसे भी बाढ़ से सम्बन्धित जो वक्तव्य ३०-७-७१ को दिया जायगा उसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

पहले का प्रश्न जो स्वीकार किया गया है वह बाढ़ में रिलीफ देने के सम्बन्ध में है। हमने जो सूचना दी है वह यह है कि इलाहाबाद, गाजीपुर तथा बलिया जिलों में फेरी सिस्टम टूट गया है जिसके कारण ५ हजार आदमी इधर और ५ हजार आदमी उधर बैठे हैं। कोई स्टीमर अथवा नाव नहीं चल रही है। कई आदमी डूब गये। लिहाजा फेरी सिस्टम रेस्टोर हो पी० डब्लू० डी० द्वारा और उसके सम्बन्ध में आप वक्तव्य दिलवा दें ताकि फेरी सिस्टम आर्गनाइज हो जाय। यह अनाज के चक्कर में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

राजस्व मन्त्री ने कल कहा था कि वे इलाहाबाद, बलिया आदि कई स्थानों पर जा रहे हैं और निरीक्षण करने के उपरान्त स्वयं इस पर वक्तव्य देंगे। लिहाजा आप निश्चिन्त रहें। ३० तारीख को इस पर वक्तव्य उनका होगा। इसके अलावा जो सवाल हैं उनको ल्पसूचित में कर दीजियेगा। उनको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मेरा भी एक प्रश्न था बदायूं जिले में १२, १२ मर्डर्स के सम्बन्ध में। आपने शायद पूरा उसे पढ़ा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर पहले आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें। वक्तव्य बहुत जमा हो गये हैं इस प्रकार वक्तव्य से पहले आपको अल्प सूचित प्रश्न से इत्तिला मिल जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आप यहां तो आदेश दे देते हैं अल्प सूचित प्रश्न के लिये लेकिन कार्यालय में जब वह जाते हैं तो अल्पसूचित प्रश्न की तरह मंजूर नहीं होते। आप ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां का हवाला आप दे देंगे तो अस्वीकृत नहीं होंगे। यहां का हवाला नहीं देते होंगे?

मेरठ शहर में गढरोड के निकट रोडवेज स्टेशन हेतु ली गयी भूमि को राज्य मंत्री, श्री उमादत्त शर्मा द्वारा कथित रिश्वत लेकर छुड़वाने के प्रयास—तथा एक हजार रुपया भेंट लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये विवश हूं। कुछ दिन पेश्तर मैंने और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने माननीय उमादत्त शर्मा जी के विरुद्ध लिख कर माननीय अध्यक्ष को दिया था और उनसे यह आज्ञा मांगी थी कि वे इस विषय पर सदन में चर्चा उठाने के लिये समय दें। इसी महीने की २३ तारीख को श्री उमादत्त जी शर्मा द्वारा धनौरा के टाउन एरिया के चेयरमैन की मार्फत एक हजार रुपया लिये जाने के सम्बन्ध में मैंने उन पर आरोप लगाया था। अध्यक्ष जी ने कृपा करके इस विषय पर चर्चा उठाने की इजाजत दी। इसके लिये मैं आपका आभार मानता हूं।

माननीय परिवहन मन्त्री और माननीय उमादत्त शर्मा जी के जो वक्तव्य उस दिन पढ़े गये थे उन्होंने मेरे काम को आसान कर दिया। उन दोनों के पत्र पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि श्री उमादत्त शर्मा जी किस कद्र प्रयत्नशील थे उस जमीन को छुड़वाने में। उन्होंने खुद लिखा है २४ अप्रैल को और उन्होंने कोशिश की। २५ मई को जब वे मन्त्री बन गये तो उन्होंने पुनः परिवहन मंत्री जी को लिखा है और आपने को न रोक सके तो ३१ मार्च को फिर उन्होंने परिवहन मंत्री जी को लिखा। मेरी जानकारी में तो यह भी है परिवहन मंत्री जी कि निरन्तर रोडवेज के अधिकारी, जिलाधिकारी और वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ता उसका विरोध करते रहे। मैं नहीं समझता कि किन कारणों परिवहन मन्त्री जी ने, ३१ मई को जो भूमि ली जा चुकी थी जिसका मुआवजा दिया जा चुका था, माननीय उमादत्त शर्मा की सिफारिश पर उस जमीन को छुड़वा दिया। माननीय परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की शिकायतें नहीं मिलीं। किन्तु उन्होंने दूसरे लोगों को यह बताया कि उनके पास शिकायतें आई हैं और शिकायतें उनको मिलती रहीं और तभी वे २७–२८ जून को मेरठ पहुंचे और उन्होंने उस भूमि को देखने की इच्छा भी प्रकट की तथा उसको देखा भी। उस समय वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ता, मेरठ जिले के बहुत से विधायक अन्य जिम्मेदार लोग, पार्टी के अध्यक्ष वगैरह भी उपस्थित थे। उन्होंने भूमि छोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। तो क्या माननीय मंत्री जी ने परिवहन आयुक्त और रोडवेज अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, अथवा श्री उमादत्त शर्मा की बात को सही मानकर आपने भूमि को छोड़ दिया।

आपके माननीय मंत्री जी को यह भी बताया गया था कि ऐसी मौके की जमीन मिलन वाली नहीं है। राज्य सरकार के मंत्री आप भी और राज्य सरकार के मंत्री श्री उमादत्त शर्मा जी भी। जमीन ले ली गई थी। उस स्थान पर जमीन की कीमत १० गुना, १५ गुना और २० गुना बढ़ी हुई बताई जाती है। तो व्यक्ति विशेष के इन्टेरेस्ट में सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपके जरिये से क्यों की गई? क्या यह प्रदेश के हित में है या उस विभाग के हित में है जो कि परिवहन मन्त्री के पास है अथवा उस व्यक्ति विशेष के हित में है? मुझे बड़ा ताज्जुब है, अफसोस है। किन कारणों से यह सब चीजें हो गई? किन कारणों से उस भूमि को छोड़ दिया गया? अगर औचित्य था उसे उस जमीन को छोड़ने का, तो बाद में यह आदेश रद्द क्यों किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस जमीन को छुड़वाने में श्री उमादत्त जी निरन्तर कोशिश करते रहे और मन्त्री बनने से पूर्व और मन्त्री बनने के बाद भी बड़ी सक्रियता से प्रयत्नशील रहे। और जो हमारे नव-नियुक्त मुख्य मन्त्री जी हैं, जिनको कि अभी विभाग की पूरी जानकारी भी नहीं हुई होगी, उनके ऊपर जोर और दबाव दिया गया।

मुझे मेरे मित्र माफ करेंगे, शायद उन्होंने अभी जिम्मेदारी का पूरा अहसास भी न किया हो और उनके कहने पर हमारे माननीय मन्त्री जी ने ऐसा किया। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने ३१ मई को जमीन छोड़ने के आदेश दे दिये थे, परिवहन आयुक्त से रिपोर्ट ले ली थी जनरल मैनेजर, रोडवेज से रिपोर्ट ले ली थी, जिलाधिकारी मेरठ से रिपोर्ट ले ली थी। तो वह जरा सदन में रखने की कृपा करें और पढ़ने की कृपा करें। इससे सब असलियत खुल जायगी कि न जिलाधिकारी चाहते थे कि उसे छोड़ दिया जाय, न रोडवेज के जनरल मैनेजर, न ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चाहते थे और सब कहते थे कि हमें जमीन फिर मिलने वाली नहीं है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सदन सारा १९६९ में चुना गया और सन ६९ में कांग्रेस की सरकार थी। माननीय सी० बी० गुप्ता मुख्य मंत्री थे और कमलापति जी उप-मुख्यमंत्री थे। उस समय में भी उमादत्त जी इस सदन के एक विधायक थे। उन्होंने अपने पत्र म जो मुख्य मंत्री को भेजा है कहा है कि जो भार उनके कंधों पर विधायक की हैसियत से है तो जनहित की दृष्टि में रखते हुए उसका पालन करने के लिए इसकी कोशिश की है। वह जिम्मेदारी उनके कंधे पर सन ६९ से थी जब कि कांग्रेस की सरकार थी। वह यह बता दें कि संविद के काल में कोई भी स्वायत्त शासन का मंत्री रहा हो, पहले कुछ समय तक माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की नयी कांग्रेस और भारतीय क्रान्ति दल की साढ़े सात महीने तक सरकार चली है और स्व० अतीकुर्रहमान और जगन प्रसाद रावत स्वायत्त शासन मंत्री थे, उस समय क्या कोई कोशिश की थी इस सम्बन्ध में, मुझे तो यह भी भ्रम है। श्री लक्ष्मीरमण जी आचार्य के पास ट्रांस्पोर्ट विभाग था, क्या उस जमाने में उन्होंने उनको लिखकर दिया था कि इस जमीन को छोड़ दिया जाय? अगर दिया था तब भी मैं आपके जरिये से कहना चाहूंगा कि वह भी जनहित में नहीं था, रोडवेज के हित में नहीं था, बल्कि केवल एक व्यक्ति के हित में था जिसकी इमदाद करने की उन्होंने कोशिश की। १,१७,००० रुपया उसको मुआवजे का दिया जा चुका था, कब्जा सरकार का हो चुका था।

कहा जाता है कि उस जमीन की कीमत १२-१३ लाख रुपया हो चुकी है। सरकार को नयी जमीन खरीदनी पड़ जाय तो क्या यह सरकार के हित में है, प्रदेश की जनता के हित में है या एक आदमी के हित में है? क्या वह ऐसी ही पब्लिक ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्री ने अपने वक्तव्य में नहीं बताया कि किस तिथि में रिट की गई लेकिन यह सही है कि ३० अप्रैल को उसका स्टे मिला। जमीन का एक्वीजीशन ११ नवम्बर, १९७० को हो चुका था, कब्जा मिल चुका था। किस तारीख में उसने याचिका दाखिल की यह नहीं

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बताया गया है। लोग-बाग तो यह भी कहते हैं कि नयी सरकार आने पर माननीय उमादत्त शर्मा ने भूमि के मालिक की मदद करने का वादा किया था कि इस जमीन को सरकार से छुड़ा लेंगे और उसमें वह कामयाब भी हुए, यह उनके पत्रों से साफ जाहिर है। इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूं।

जहां तक दूसरा मामला, मैंने १ हजार रुपये का माननीय मुख्य मंत्री जी के रूबरू, उनके सामने २३ जुलाई को उठाया था और इस सदन में यह एलान किया था कि जो १ हजार रुपया माननीय उमादत्त जी वहां से लेकर आये हैं--धनौरा से श्री राधेलाल जी के माध्यम से जहां वह खाना खा रहे थे--वह आज तक जमा नहीं किया और यह भी कहा था कि न पी० सी० सी० में जमा किया है और न नागरिक परिषद् में। मुख्य मंत्री जी उपस्थित थे, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के दूसरे मेम्बर, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित थे। मैंने संबंधित कुछ व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में जानकारी भी की थी कि यह रुपया जमा किया है या नहीं? मुझे उत्तर मिला कि नहीं किया गया। और मान्यवर, २१ जुलाई को कांग्रेस पार्टी के एक भूतपूर्व एम० एल० ए० ने उमादत्त जी से पूछा कि यह रुपया आपने जमा किया या नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वह रुपया तो मेरा था, जमा क्यों करूं? अब मंत्री जी निजी रुपया इकट्ठा करके लाते हैं? यह उचित नहीं था, इसलिये इस प्रश्न को उठाना पड़ा। उस समय आपने उमादत्त जी को स्पष्टीकरण देने का टाइम दिया।

मेरे पास उनका एक प्रोग्राम मौजूद है। २३ तारीख की शाम को ४ बजे वे रामपुर गये। नैनीताल में उनका एक फार्म है "शक्ति फार्म" उसकी बाबत भी अखबार मेरे पास मौजूद हैं। वे यहां से गये। प्रोग्राम पर २० तारीख पड़ी है, लेकिन जाते हैं २३ तारीख को। हमने रामपुर भेज कर पता लगवाया तो मालूम हुआ कि जिला अधिकारी को कोई छपा हुआ पत्र २० जुलाई को नहीं भेजा गया था। जिला अधिकारी को टेलीफोन के जरिये भी २० जुलाई को प्रोग्राम की सूचना नहीं दी गयी। २३ तारीख को जिलाधिकारी को प्रोग्राम की सूचना २० ता० में नहीं दी गयी और वहां का निरीक्षण भवन भी रिजर्व कराया गया और फार्म पर सरकारी गाड़ी में गये और अगले दिन लौट कर आये।

जहां तक रुपया जमा करने की बात है, माननीय मंत्री जी ने कहला दिया कि उन्होंने १३ तारीख को रुपया जमा करा दिया है। कोई यह कहता है कि १४ तारीख में जमा कराया गया है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा, श्रीमती बाजपेयी से प्रार्थना कर रहा था कि श्रीमती इन्द्रा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो क्या ऐसे ही आदमियों को रखने के लिये तोड़ी? मैंने उनसे यह भी कहा कि आप खुद और अपनी पार्टी के लिये यह देखें कि यह रुपया कांग्रेस के कार्यालय में किस तारीख को जमा हुआ, १३ तारीख को हुआ है या १४ तारीख को हुआ है। मुसन्ने में तारीख देख ली जाय, बैंक में देख लिया जाय कि किस तारीख को वह रुपया जमा हुआ है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वे हाउस में बता दें कि बैंक में वह रुपया किस तारीख को जमा हुआ, १३ तारीख को या १४ तारीख को जमा हुआ या नहीं हुआ? इसकी सूचना कृपया वे सदन को दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह चन्द बातें आपकी आज्ञा से उठाना चाहता हूं। मुझे अत्यन्त खेद है और दुःख है यह कहते हुए कि इन दिनों जनता को बड़ी भारी आशा थी, नयी कांग्रेस से और कांग्रेस के नेतृत्व से, किन्तु अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार उनके मंत्रियों के जरिये चलता रहा तो यह भ्रष्टाचार तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है और अगर मंत्री लोग ही उसे बढ़ायेंगे तो भगवान ही जाने वह कहां जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इस प्रदेश के अच्छे प्रशासन के लिये खतरा है अतः वे उमादत्त जी से कहें कि वे आपको अपना त्यागपत्र दे दें। मैं उमादत्त जी से भी जनहित में

त्यागपत्र देने की मांग करता हूं। उमादत्त जी की इन शिकायतों पर निष्पक्षता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन के माननीय सभी सदस्य, जिनका मेरे ही भांति भ्रष्टाचार से लड़ने का इरादा है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। हम सब लोगों को बुराई के साथ लड़ना गांधी जी ने सिखाया है। अगर यह बुराई दूर न की गयी तो वह डेमोक्रेसी को कमजोर करेगी, आपके प्रशासन को बदनाम करेगी, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः विनम्रतापूर्वक, उनके हित में, जनता के हित में, प्रशासन के हित में यह निवेदन करूंगा कि वे माननीय उमादत्त जी से त्यागपत्र ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम की स्थिति यह है कि सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और संबद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी। माननीय उमादत्त शर्मा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आपने माननीय मंत्री जी को बुला लिया लेकिन इसमें यह है कि जिस सदस्य ने सूचना दी हो। तो यहां तो ८ सदस्यों ने सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो रखता है वही तो माना जाता है।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें तो ८ आदमियों ने लिख कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन ८ में से एक ने रखा।

श्री बंशीधर पांडेय--

वीरेन्द्र वर्मा, माधव प्रसाद त्रिपाठी, अनन्तराम जायसवाल, राम करन सिंह, सुरेन्द्र विक्रम, कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पांडेय और कृष्णानन्द राय इतने लोगों ने चर्चा को आरम्भ करने के लिये सूचना दी है। नियम में जहां "सदस्य" है उसका मतलब है जिन लोगों ने सूचना दी है। तो यहां ८ लोगों ने सूचना दी है। वह बोलें।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन ८ की तरफ से एक मूव करता है। यह मान लिया गया है। और इसमें आप का लाभ क्या है?

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो आपने यह दफा ५२ में चर्चा की बात इस वक्त मंजूर कर के अवसर दिया है तो माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने अपनी बात अच्छी कही और उसी से सम्बद्ध जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है और सब उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। वर्मा जी के कहने के बाद श्री उमादत्त जी को आपने जवाब देने के लिये खड़ा कर दिया है। अगर वह वर्मा जी का सुझाव मान कर इस्तीफा देने की घोषणा करते हैं तब तो उनको मौका दीजिये। और अगर नहीं,

[श्री राम करन सिंह]

तो मेरा निवेदन है कि जितने लोग हैं उनकी बात आप सुन लें उसके बाद उमादत्त जी को जवाब देने क लिय कहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम ५४ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है :—

"सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुर:स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।"

यह सूचना हमें कई लोगों की तरफ से दी गयी और इसी आशा से कि सभी लोग अपना-अपना दृष्टिकोण इस विषय पर रख सकें। फिर यह भी इसमें है कि किसी अन्य सदस्य को भी आप अनुमति दे सकेंगे जो चर्चा में हिस्सा लेना चाहें। तो उसी के तहत हम लोगों को भी चर्चा में भाग लेने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपका यह भाष्य सही माना जाय तो "जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे" यह बहुबचन नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसे मामलों में सिंगुलर का मतलब प्लूरल होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये १५–२० सदस्यों ने नोटिस दी हो और उसमें से एक मूव करता है....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सब ने नोटिस दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

"जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।" अगर आप इस बात को मानते है कि आप सब बोल लें और फिर कोई भी मंत्री इसका जवाब दे देगा। फिर सम्बद्ध मंत्री बोलें तो क्या आप इस प्रक्रिया से सहमत हैं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सदस्य लिखा है और मंत्री लिखा है और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस विषय पर सभी सदस्य समय चाहते हैं तो जितने सदस्य बोलना चाहते हैं उनको अवसर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त आप यह भी देख लें कि जिसने डिबेट इनिशियेट की तो सम्बद्ध मंत्री के बाद उनको भी अन्त में अवसर मिलेगा लेकिन हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

समय मिलेगा।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

चूंकि हाउस में फैक्ट्स आ चुके हैं और वीरेन्द्र वर्मा जी के भाषण में वह जाहिर हो चुके हैं तो चूंकि ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं तो आप इस बात की व्यवस्था दे दें कि जो बातें कही गई हैं और राय आ चुकी हैं उनका रिपीटीशन नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मेरा दृष्टिकोण है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, यह मेरठ का मसला है और मैं वहां का रहने वाला हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

समय रहेगा तो मिलेगा।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

मैं वीरेन्द्र वर्मा जी से इस विषय पर कुछ जानकारी करना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं, माननीय वीरेन्द्र वर्मा जब खड़े थे तो उस समय आप जानकारी हासिल कर सकते थे।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री उमादत्त शर्मा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर जो यह आरोप लगाया गया है वीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा मैं उन सब बातों का उत्तर पहले यहां पर दे चुका हूं कि यह असत्य, निराधार और तथ्यविहीन हैं। मेरठ एक ऐसा नगर है जहां पर देश और प्रदेश के प्रमुख पत्र वहां जाते हैं और उन समाचार पत्रों के प्रतिनिधि वहां रहते हैं। एक गौरी शंकर राय जी जो बलिया के रहने वाले हैं जब वह वहां से चल कर मेरठ पहुंचे और उनको यह मालूम हुआ। जाते-जाते उस जगह उनको लोग मिले। मैं भी गया और परिवहन मंत्री भी गये वह मुझसे अलग रहे। वह मुझसे पहले २६ तारीख को वहां गये। लेकिन इनको लोग मिले और उन्होंने चर्चा किया कि हमने एक लाख रुपया रिश्वत का ले लिया। हमारे मित्र भारतीय क्रान्तिदल के माननीय सदस्य यहां पर हैं, दूसरी पार्टी के माननीय सदस्य भी यहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने इससे एक सप्ताह पहले या इससे एक सप्ताह बाद न तो किसी समाचार पत्र में ऐसी खबर सुनी और न पढ़ी और न छपी।

एक आदमी बलिया से चल कर वहां पहुंचा तो उसको कानों कान पता हो गया कि एक लाख रुपया रिश्वत ली गई, घबराओ मत यारों सुनो। मेरा निवेदन है कि दिल थाम कर मेरी बात अब तुम भी सुनो यारों, मेरी ४५ साल की पोलिटिकल लाइफ है और यह तब शुरू हुई उस वक्त शायद वीरेन्द्र वर्मा थे भी नहीं और मैंने कम से कम उनसे कहीं ज्यादा यातनायें सही होंगी, मेरा उनसे ज्यादा सार्वजनिक जीवन में त्याग होगा लेकिन ४५ साल के मेरे जन-जीवन पर आज तक कोई कलंक नहीं लगा। जब से मैं एम० एल० ए० बना...

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो प्रश्न इस वक्त चर्चा का है उसका क्या सम्बन्ध इससे है कि इन्होंने क्या यातनायें सही है या क्या त्याग किया है। त्याग किय

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

होगा तभी तो यह यहां चुन कर आये लेकिन वह सम्बद्ध प्रश्न पर ही अपना उत्तर दें और असम्बद्ध बातों पर सदन का कीमती समय न लें और अपने आर्गूमेंट्स उत्तर में रखें। उनके जन-जीवन पर जो ब्लाट लगा है केवल वह उसी की सफाई दें, यह व्यवस्था आप की होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में कहें।

श्री उमादत्त शर्मा--

मैं इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष इससे पूर्व एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत कर चुका हूं और एक सार्वजनिक, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह अधिकार है और मौलिक अधिकार है कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यदि मुझसे कोई भी गरीब आदमी सहायता के लिये आकर कहता है तो मैं उसकी सहायता करता हूं, अब तक की है और आगे भी करता रहूंगा। सरकार के हित को भी मैंने बराबर दृष्टि में रखा है, आपको मालूम होना चाहिये कि तहसील में भूमि न ली जाय और कोई दूसरी भूमि हो तो वह ले ली जाय, मेरे पास नक्शा मौजूद है, जिस भूमि का सरकार को ४ रुपया देना पड़ रहा है वही बंजर भूमि ८ आने में ही मिल जाती और कुछ हजार में ही वह उपलब्ध हो जाती और १ लाख से भी ज्यादा रकम देना पड़ रही है वह बच जाती। यह नक्शा मेरे पास है। मेरे मित्र एक बात जरा शान्त होकर सुन लें। मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोगों का भी २०-३० साल का राजनैतिक जीवन है, जब राजनतिक जीवन में प्रवेश होता है किसी व्यक्ति का ...(व्यवधान) आप सुन लें मेरा भी स्वभाव ऐसा है, मुझे भी मेरी मां ने कुछ शेर का पंजा-वंजा घिस कर शायद खिलाया था।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनकी बात का आधार क्या है। उनका आधार माननीय गौरी शंकर राय की झूठी सूचना है, उनसे मेरठ के मेरे दो चार प्रतिद्वन्द्वी, कुछ चन्द व्यक्ति जिनका कोई सामाजिक स्तर नहीं है, उनके कहने से उन्होंने यह बात कही। यह तो ताज्जुब की बात है कि किसी विद्यालय से सम्बन्ध रखने के बाद भी दस बीस साल में पढ़ने पढ़ाने के बाद आज तक उनको इतना सामाजिक ज्ञान भी नहीं हुआ कि क्या सामाजिक स्तर होता है और यह व्यवहार तो एक प्रारम्भिक कक्षा के विद्यार्थी का सा भी नहीं है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी मैं कहता हूं कि राजनीति के सारे खेल खेलो लेकिन किसी के जन-जीवन को लांछित करने की ऐसी कोशिश न करो और अगर कहना चाहिये तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चौराहे पर कोई व्यक्ति इनको सुनाये कान में और यह कहे कि आप की बहू, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां का फलां-फलां आदमी से सम्बन्ध है तो यह क्या कहेंगे या क्या मान लेंगे कि मेरी मां, मेरी बेटी, और मेरी बहू आदि का चाल चलन खराब है। आप नहीं करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मुख्य मन्त्री जी आप अपना स्टैन्डर्ड देखिये ?

श्री उमादत्त शर्मा--

चूंकि इसमें आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न इन्वाल्व है, क्या करेंगे ? तो मेरे मित्र को किसी आदमी के जन जीवन के आधार को सुनना है और कोई ठोस प्रमाण नहीं है, सिर्फ काल्पनिक आधार है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, यों हुआ होगा, मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके पास कोई बात कहने को नहीं है। मेरी इस बात के ऊपर, माननीय सदस्य, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, जैसे माननीय जायसवाल, माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय कल्पनाथ सिंह और माननीय कृष्णानन्द राय और जिनको मैं

अपना साथी मानता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि उनका जीवन त्याग का रहा है, और उनके जीवन का आदर करता हूं, उन्होंने कुछ भी कहने से पूर्व यदि मुझे बुला लिया होता तो वास्तविक स्थिति मालूम हो जाती कि वह क्या है । यदि मैं उनको संतुष्ट न कर पाता तो इस सदन में, मेरी अनुपस्थिति में, मुझे देख लिया होता कि मैं मौजूद हूं या नहीं, मैं इसका निराकरण करता ।

कहा गया मैं चला गया, मैं छुप गया, मैं आप को बताता हूं कि मैंने आज तक किसी मनुष्य के आचरण में छिद्रान्वेषण नहीं किया है । मैं समाजवाद में विश्वास करता हूं और मनुष्यत्व और समाजवाद का एक यह भी अंग है कि किसी को कलंकित न किया जाय, किसी को बुरा न कहा जाय । मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह मानवीय आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है कि मुझे लांछित करने की कोशिश की गई है । मान्यवर, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई गुप्त पत्र डाले कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी आ रहे हैं और मैं आ रहा हूं तो मुझे तो रिसीव करने २०,००० आदमी आयेंगे लेकिन, अगर माननीय वीरेन्द्र वर्मा को पांच हजार आदमी भी स्टेशन पर रिसीव करने आ जाय तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । ऐसा मेरा सार्वजनिक जीवन है, उसको आपने कलंकित करने की कृपा की है । मैंने तो अपने जीवन में किसी भी आदमी को कलंकित करने की बात नहीं की है । अपशब्द नहीं कहे हैं और जानबूझ कर नहीं कहे क्योंकि मेरा यह कर्म नहीं है । माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से एक बात कहता हूं । मैं आक्षेप नहीं लगाता । मैं आपको बेईमान कहने को तैयार नहीं हूं । मैं आप को सदन का एक भद्र सदस्य मानता हूं । लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि उसके पीछे क्या तथ्य है, आप अपनी सामग्री ले लीजिये.....

(व्यवधान)

मान्यवर, वर्मा जी पहली मिनिस्ट्री में सिंचाई मन्त्री थे.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह जवाब दिया जा रहा है या आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरे खिलाफ तो आप नियम ५१ में कर सकते थे.....

श्री उमादत्त शर्मा--

श्रीमन्, अगर इसको यह सिद्ध कर देंगे तो मैं राजनैतिक जीवन से सन्यास ले लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ये लिखकर दें ।

श्री उमादत्त शर्मा---

मैं अभी लिख कर देता हूं । मैं इनसे यह कहूंगा कि मेरा इस्तीफा तत्काल मंजूर हो । अगर मेरी यह बात साबित कर दें और इनसे मैं कहूंगा कि इनका भी इस्तीफा लें पर इन्हें क्षमा कर दें इसके साथ कि भविष्य में ये जन-जीवन को कलंकित करने की बात नहीं कहेंगे । अब फैक्ट्स की बात मैं कहता हूं । इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने २४ अप्रैल को, ३१ मई को, २३ मई की बराबर जो गरीब लोग आते रहे उन गरीब लोगों को लेकर मैं माननीय मंत्री जी के पास पहुचा और मैंने कहा कि साहब इस तरीके की जमीन है । अधिग्रहण क्यों कर रहे हों । फायदा होगा दो चार लाख का । आप अधिग्रहण क्यों कर रहे हो जबकि दूसरी जमीन नजदीक में मिलने वाली है । माननीय मन्त्री ने कहा कि जमीन ठीक नहीं है, चलो देखा जायेगा, निरीक्षण

[श्री उमादत्त शर्मा]

कर लेंगे। निरीक्षण करने के दरमियान में एक और डेपुटेशन आ गया। फिर भी माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि मैं वहां का बाशिन्दा हूं। मैं वहां के जीवन को जानता हूं। आप कृपा करो इस पर। आप इसे कर दो। उन्होंने उस पर आदेश पारित किये और लिखा कि राज्य मंत्री के अनुसार कार्यवाही की जाय। लेकिन विभाग तैयार नहीं था। वह कठिनाई मुझे मालूम नहीं थी। विभाग ने कुछ आब्जेक्शन किया होगा। मैं समझता हूं सरकार की कठिनाई को। तो आप वहां गये, निरीक्षण किया। मैंने भी निरीक्षण किया। अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

आज भी पक्ष प्रस्तुत करता हूं लेकिन मैंने फिर उसके बाद अगर छोड़ दिया था तो मैंने फिर आग्रह किया कि क्यों छोड़ दिया। तब मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने फिर जोर नहीं दिया मुख्य मन्त्री को। यही बात है, क्योंकि मैंने बताया कि सब काल्पनिक आधार हैं इनके मान्यवर, इस बात को मैंने नहीं कहा। इनकी सिफारिश मैंने ही नहीं की। यह सन् ६४ से ही कार्यवाही शुरू है अधिग्रहण की और मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री शाहनवाज खां, मौर्य, विकल साहब, मंजूर अहमद साहब, एम० एल० ए० और दूसरे कितने ही साथियों ने यह रिक्वेस्ट की है कि जमीन छोड़ दी जाय। रामजी लाल सहायक जब परिवहन मन्त्री थे तो एक बार उन्होंने भी इसको किया और फिर निरीक्षण करने के बाद छोड़ दिया। तो क्या यह कहना गुनाह है? क्या अधिग्रहण हुई भूमि छूटी नहीं है?

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोरगुल होने लगा)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, रामजी लाल सहायक का भी नाम लिया गया है तो उनसे भी स्पष्टीकरण दिला दें।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी बोल रहे थे तो सब लोगों ने शान्तिपूर्वक सुना लेकिन जब मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो शोर मचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। किसी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा देना और फिर उनकी बात न सुनना, हुल्लड़ में उड़ा देना, यह बहुत अनुचित है। इसलिए आप लोग कृपापूर्वक शान्ति से सुनें। नहीं तो इसके मानी यह हैं कि आप का पक्ष कमजोर है और आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप से यह कहूंगा कि शान्तिपूर्वक उनकी बात सुनें।

श्री उमादत्त शर्मा—

मान्यवर, दूसरा आरोप जो लगाया है वह रिश्वत का नहीं है, बल्कि यह कहा है कि एक हजार रुपया ले आए और अपने पास रखा। क्या पता मैंने सूद खा लिया हो? यह रुपया मुझे यह कह कर दिया गया था कि यह आप के ऊपर है। मैंने उसको दो-चार दिन रखा था। फिर कहते हैं कि मैंने राजेन्द्र जी से कहा। मैंने कहा कि मेरे पास उसकी १४ तारीख को रसीद आ गयी। अगर दो-तीन दिन अपने पास रख लिया तो क्या गुनाह हो गया? इन्होंने इसमें रिश्वत का आरोप नहीं लगाया यह बड़ी कृपा की। मैं यह कहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी की गवर्नमेन्ट में जब वीरेन्द्र वर्मा जी सिंचाई मन्त्री थे—यह मेरे पास रिटिन

डाक्यूमेन्ट्स हैं, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि १४ इंजीनियर्स, गजटेड पोस्ट के आदमियों को एक महीने के अन्दर रिवर्ट कर दिया जाय, सस्पेंड कर दिया जाय और कम्प्लसरी रिटायरमेन्ट कर दिया जाय और विदाउट एनी काज, विदाउट एनी नोटिस। और उसके बाद ठीक एक महीने के बाद सब बहाल कर दिये जायं। यह क्या है ? (व्यवधान) यह आपके जमाने का

(व्यवधान)

ही है। मैं आप को कलंकित नहीं करना चाहता। आप जन-जीवन को कलंकित करते हैं। मैंने यह नहीं किया।

(व्यवधान)

अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको दे दूंगा। लेकिन आप यह प्रण कर लें कि फिर ऐसी शर्मनाक हरकत नहीं करेंगे।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)

जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनको भी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको तो देंगे ही, औरों को भी समय दे देंगे।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब व्यक्तिगत प्रहार होते हैं तो उससे बड़ी पीड़ा होती है, मगर व्यक्तिगत प्रहार के कुछ कारण होते हैं। व्यक्तिगत प्रहार का ख्याल न करके यह जरूरी है कि जो सच्ची बात हो और जो तथ्य हों वे सदन के सामने रखे जायें।

आज का सार्वजनिक जीवन कितना दूषित हो गया है, हमीं लोगों के कारण या औरों के कारण और इसलिये यह बात हमें मजबूर करती है कि इसको सही शीशे पर रखें ताकि दुनिया इसको देख सके। केवल मन्त्रियों का जीवन आदर्शपूर्ण, उज्ज्वल और निष्कलंक होना चाहिए, यह बात नहीं है, बल्कि होना यह चाहिए जैसा कि एक दिन पूर्व मैंने कहा था कि जितने हमारे नीचे के अधिकारी हैं, वे उनसे प्रेरणा लें, अनुगमन करें और अनुपालन करें। इसी आधार पर आज उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर मजबूर हो गया हूं और आज प्रथम बार मैंने इस चर्चा में भाग लिया है।

हमारे मन्त्री जी, जिन पर आरोप लगाये गये हैं, ने कुछ बातें कहीं हैं। मैं तो केवल उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपसे आग्रह करूंगा कि आप निष्कर्ष निकालें और सारी पब्लिक निष्कर्ष निकालें और यह सदन में निष्कर्ष निकाले।

कुछ बातें बड़ी विचारणीय हैं। जमीन की अध्याप्ति की कार्यवाही २८-२-१९६७ को प्रारम्भ हुयी थी और मुआवजा २३-१०-१९७० को घोषित हुआ था और उसकी रकम १,१७८६७ रु० थी। इसके पश्चात् कब्जा दे दिया गया। जो वकील लोग यहां पर बैठे हैं जानते होंगे कि land vests in the Government free from all encumberances अब देखना यह है कि जब लैण्ड सरकार में निहित हो गयी तब फिर यह कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसका माननीय सदस्य जवाब दें। हम विधायक हैं और अपने कर्तव्य के पालनार्थ इसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

सदन के सामने रखना है। श्री शाहनवाज खां और फलां-फलां आदमियों ने इस पर प्रयास किया था तो क्या कारण है कि इन्होंने भी प्रयास किया। मैं आप को कहता हूं कि यह सारा ट्रानजेक्शन फिशी है। हम अकेले उनको ही चार्ज नहीं करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी चार्ज करते हैं जिन्होंने इविक्ट किया और जो इस कार्य के कराने में सहयोगी हुए, यद्यपि पब्लिक के डर से वे पीछे हट गये। मैं नहीं कहता हूं कि घूस ली गयी। हमारे शर्मा जी ने रुपया लिया या नहीं लिया, मैंने आंखों नहीं देखा है। इस जमीन के इर्द-गिर्द मेडीकल कालेज के लिए जमीन अक्वायर हो अयी, यूनिवर्सिटी के लिए अक्वायर हो गयी और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के लिए अक्वायर हो गयी और यह भी कहा गया है कि यह जमीन कृषि योग्य है, यह उर्वरक भूमि है। एक दूसरे एम० एल० ए० उसी क्षेत्र के हैं और उन्होंने यह प्रश्न नहीं उठाया, वह एम० एल० ए० भी सरकार में होंगे गालिबन तब जब कि संविद की सरकार थी। इन्होंने क्यों इस प्रश्न को उठाया। मैं तो यह निष्कर्ष निकालता हूं कि इन्होंने सोचा होगा कि मैं सरकार में हूं और मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बातचीत कर ली है और तालमेल बैठा ली है। इसीलिए एप्लीकेशन ली वर्ना सन् १९६७ से यह मामला चलता रहा और कुछ हीं हुआ। प्रथम बार ही वे पावर में आए। पावर में आते ही वह एप्लीकेशन क्यों ली गयी, इसके पहले क्यों नहीं ली ?

मान्यवर, जब सेक्शन ४, ५ व ६ की नोटिफिकेशन होती है तो आब्जेक्शन इनवाइट किये जाते हैं और उजरदारियां मंगायी जाती हैं। उन उजरदारियों का निणय होता है। अगर उस वक्त उन लोगों ने उजरदारियां की थीं तो खारिज हो गयी होंगी और फिर से वह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। कानून की दृष्टि से भी यह जमीन कैसे रिलीज हो सकती थी। हां, रिलीज हो सकती थी एक कारण से और वह है प्रबल शक्ति। अगर कोई सरकार में रहने वाला सदस्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो भी वह रिलीज हो सकती थी। इस-लिए मैं कहता हूं कि यह सारा ट्रांजेक्शन फिशी है।

एक बात और है मान्यवर, कानून के अनुसार मुआवजा घोषित हो गया और आब्जेक्शन्स इनवाइट कर लिये गये। मुआवजा घोषित हुआ १ लाख रुपया। तब वे नहीं बोले, बोले तब जब वे सरकार में आये और जब विधायक साहब मन्त्री हुए। इससे हम क्या मतलब निकालें ?

सदन आज यहां बैठ कर भले ही रक्षा में कुछ कह ले लेकिन और कोई मतलब नहीं निकल सकता सिवाय इसके कि मामला फिशी था। रिट आ गई। तो रिट आ गई इसको रोकने के लिये अप्रैल में। हम वकालत करते हैं वह लोग इसके अर्थ समझते हैं। यह रिट तब आई जब यह सरकार पावर में आई। इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है। वर्ना जब रिट की स्टेज पार हो गई, जब विज्ञप्ति हो गई और पजेशन हो गया तो रिट लाने का क्या सवाल था इसका क्या आधार था। इसलिये यह मामला फिशी था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बाहर चार्ज लगाया गया जैसे कि कोई चौराहे पर जा रहा है उस पर कुछ कह दे। उन्होंने इसके सम्बन्ध में उदाहरण भी दिया और बहुत गन्दा उदाहरण दिया। लेकिन जब चौराहे पर कोई बात कही जाती है और जिम्मेदार कानों में पहुंचती है तब तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। और वह आगे बढ़ती है। मैं श्री गौरी शंकर राय की बात नहीं मानता हूं, मैं दूसरी बात पूछता हूं, यह गवर्नमेन्ट है और यह गवर्नमेन्ट के सदस्य हैं, मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं। मैंने ऐसी सरकार अपने १४ वर्ष के लेजिस्लेचर के लाइफ में नहीं देखी कि अप्रल में सरकार न चार्ज लिया, उसी दिन से धुंआधार करप्शन है।

मैं ६० लाख की बात नहीं करता हूं जिसने दुनियां को चकित कर दिया। नागरवाला के केस की बात नहीं करता हूं। इन दो वक्तव्यों में यह बताया गया है कि यह निश्चित

मामला गड़बड़ है। अब दूसरे मामले को मैं कहता हूं। मैं दोनों व्यक्तियों को चार्ज करता हूं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी और स्वायत्त शासन मंत्री को भी। जो फैक्टस हैं उन पर मैं ऐसा करता हूं। जमीन के सरकार में वेस्ट करने के बाद हुक्म दे दिया गया कि जमीन वापस कर दी जाय। यह किस आधार पर हुआ। क्या आपने अपने अधिकारियों की रिपोर्ट ली और उस पर विचार किया? एल० आर० से क्यों नहीं पूछा गया कि जमीन वेस्ट करने के बाद क्या विधि है उसको वापस करने की। क्यों इतनी जल्दी यह रिलीज की गई। क्या ऐसी भी कोई विधि है जिसमें इतनी जल्दी काम हो सके। इन्होंने कानून के विरुद्ध यह बात की है। आपने कहा है कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से राज्य मंत्री ने संस्तुति की कि इस भूमि को छोड़ दिया जाय और वापस कर दिया जाय। ३१-५-७१ को आदेश दिये गये कि राज्य मंत्री के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही हो। उन्होंने जो कुछ लिख दिया उसके अनुसार आदेश हो गये। कोई जवाब इसके बारे में इनके पास नहीं है।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कह दिया कि दूसरी जमीन खोजो। उन्होंने सुझाव दिया कि दूसरी जमीन खोजो और उसी के आधार पर लिख दिया गया। आप पहले अपने अधिकारियों को बुलाकर पूछ लेते तब यह करते लेकिन आपको दिखाना था कि उन की बात मान ली और इसी कारण वह आदेश पास कर दिये गये। माननीय मुख्य मंत्री जी को मुझसे ज्यादा अनुभव है मंत्रिमंडल में रहने का और सरकार में रहने का क्या कहें यदि आप आदेश देते हैं कि जमीन निरीक्षण के लिये हमारे मुख्य मंत्री जायं, उप मुख्य मंत्री जायं या हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जायं। मैं समझता हूं कि यह ऐसा ऐक्शन हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं। गाजियाबाद में किसानों की हजारों एकड़ जमीन ले ली गई और वे रोते रह गये। नियम बना दीजिये कि कृषि वाली जमीन नहीं ली जायेगी मेडिकल कालेज के लिये या और किसी पब्लिक परपजेज के लिये। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि जहां हजारों एकड़ कृषि की जमीन ली गयी वहां तो किसी ने कुछ नहीं कहा और उन ४ व्यक्तियों ने तब अपनी जमीन की वापसी के लिये एप्लाई किया जबकि उस जमीन की कीमत बीसगुनी हो गयी? मैं समझता हूं कि यह सारा ट्रांजेक्शन फिशी है। पहली बार ही अगर कह दिया गया होता कि यह अनुचित है तो उन ४ व्यक्तियों को उत्साह नहीं मिलता जिनकी जमीन है और जिसकी वापसी के लिये उन्होंने एप्लाई किया।

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं जवाब ढूंढ नहीं पाया। फिर दोहराता हूं जो कि मैंने पहले कहा कि सम्बन्धित एम० एल० ए० या दूसरे एम० एल० एज० के पास वे व्यक्ति पहले क्यों नहीं पहुंचे और उनसे उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हमारी जमीन छोड़ाई जाय? इन सारे बंडल आफ फैक्ट्स को शीशे में रख दें और एक निष्पक्ष व्यक्ति को दे दें और फिर आप उसको निष्पक्ष बैठ कर तौलें तो मैं समझता हूं कि उससे यही निष्कर्ष निकलेगा कि इसमें कोई न कोई चाल अवश्य है। कितने रुपये की बात थी, मैं नहीं जानता लेकिन बहुत गन्दी चाल इसमें है जिसके आधार पर जो नौबत आज आयी है वह न आती। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का यह कहना कि जमीन रिलीज की जाय, यह कहते हुए मेरा क्या तमाम व्यक्तियों का सर शर्म से झुक जाता है जो कि मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जमीन रिलीज की जाय। और कैसे रिलीज की जाय, श्रीमन्, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि रुपया देकर लिया या कैसे लिया, रुपया तो लिया नहीं क्योंकि जमीन उठ कर तो कहीं गयी नहीं क्योंकि जमीन वापस कर दी गयी लेकिन जिस तरह से बात की गयी, मैं समझता हूं कि मंत्रीपद के लिये अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह जुर्म सही है। मैं अपने राज्य मन्त्री और ट्रांसपोट मंत्री जी से पूछता हूं कि जब माननीय गौरी शंकर राय ने इस बात को कहा तो उनके लिये कहा गया कि वे १६ आने झूठ बोले हैं।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

एक जज ने एक केस का डिसीजन देते हुए कहा कि जब हम अन्धकार में रहते हैं तो भगवान हमारा साथ देता है। उसी तरह से अगर आप श्री गौरी शंकर राय के लिये कोई रास्त छोड़ देते और असलियत जब पकड़ में आ जाती तो सारा राज खुल जाता। जिस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि जमीन छोड़ दीजिये उसी वक्त उनको चाहिये था कि वे अपने विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मंगा लेते। अगर उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मंगायी तो फिर कैसे उन्होंने इस तरह का निर्णय ले लिया।

यह कहा गया कि श्री बलराम सिंह ने रुपया लिया है, अखबारों में भी निकला और उनके सामने सब लोगों ने कहा कि इतना रुपया लिया है, मैं रुपये में नहीं जाता लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि श्री गौरी शंकर राय के कहने के बाद यह जमीन फिर क्यों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दी गयी? यहां पर बैठने वाले चाहे विरोधी दल में बैठते हों, चाहे सरकारी दल में बैठते हों, समाज के क्रीम हैं और इस तरह की कोई बात होती है तो बदनामी सभी की होती है। मैं नहीं चाहता कि त्रिपाठी जी की सरकार गिरे, उनकी सरकार चले। लेकिन जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि उनकी सरकार चले जिससे देश और प्रदेश का फायदा हो उसी प्रकार से उनका भी कर्तव्य है कि वे इस बात को सोचें कि अगर कोई मुनासिब क्रिटिसाइज करता है जो किसी दल भावना से न हो कर प्रदेश के भले के लिये हो और वे इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि वह सही क्रिटिसिज्म है तो उस बात को मानना चाहिये और वही परिणाम निकालना चाहिये जो हमने निकाला हो।

मान्यवर, इन सब बातों को कहते हुए मेरी एक प्रार्थना है मुख्य मन्त्री जी से और मैंने उनसे कहा था कि कोई ऐसी बाडी होनी चाहिए जो मन्त्रियों के व्यवहार, या मन्त्रियों पर घूसखोरी का कोई आरोप लगे या हम अपोजीशन लीडस पर लगे, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करे और जो मुनासिब चीज हो उसे सामने रखे। मान्यवर, इस तरह के और भी कांड हमारे सामने हैं। अगर डेमोक्रेसी का लेविल हाई रखना है तो यह होना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे ऊपर कलंक लगाया तो पद त्याग कर दें। मान्यवर, हम तो दकियानूसी हैं। हमें सीता जी का किस्सा याद है। रामचन्द्र जी जानते थे कि सीता सती है, जगत जननी है, उन पर कोई लांछन नहीं लग सकता लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए श्री राम ने सीता को जंगल में भेज दिया इसलिए कि उनकी परीक्षा हो जाय। मान्यवर, यहां तक हमारी पुस्तकों में है। उससे निष्कर्ष में सहायता लें। आज जब उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी लड़खड़ा रही है विशेष रूप से करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण लड़खड़ा रही है तो इनको चाहिए कि आगे आयें और कहें कि अगर कुछ नहीं निकलेगा तो हम देखेंगे। या दुबारा दे दें। इसलिए मैंने दोनों को चार्ज किया है इन आरोपों से।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

नोटिस देने वाले अभी बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उधर से उत्तर देना चाहते हैं तो क्या उनको समय नहीं मिलेगा।

श्री शेरअली खां (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में कुछ ऐसा वातावरण हो गया है कि हमारे सीजन्ड पारलियामेंटेरियन जो बहुत अर्से से यहां हैं छोटी-छोटी और घरेलू बातों पर उत्तर आये हैं, और जो कुछ कहा जा रहा है वह सिवाय अल्फाज के हवाई किले बनाने के और कुछ नहीं है। मैं त्रिपाठी जी से उम्मीद करता था कि एडवोकेट होने के नाते कोई ऐसा प्राइमा फेसी और सब्सटेंशियल सबूत पेश करेंगे जिससे यह मालूम होगा कि इस अपराध में कुछ जान है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, एक सूचना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके बारे में एक सूचना चाहिये कि वे बर्खास्त शुदा पुलिस अफसर हैं।

श्री शेरअली खां--

बर्खास्त आप हुए होंगे। मैं तो ५८ वर्ष में पूरी पेंशन लेकर आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ऐसी शौतनों जैसी लड़ाई पैदा हो जाती है और मैं यह उम्मीद करता था कि यहां के सीजन्ड पारलियामेन्टेरियन इस हद तक पहुंच जायेंगे कि हाउस का स्टेटस कायम रखने की भी कोशिश न करेंगे। मैं माननीय त्रिपाठी जी के इस सुझाव का दिल से स्वागत करता हूं कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय कि हीयरसे या सुनी सुनाई बातों पर न जाकर अगर कोई प्राइमा फेसी केस बनता हो तभी हाउस में आरोप लगाये जायं और इस तरह की कीचड़ उछाली जाय वरना हीयरसे पर बहुत सी चीजें उड़ जाती हैं और रियुमर की तरह फैल जाती हैं। उससे न सदन का और न ही सदस्यों का फायदा होगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की इसलिए दाद देता हूं कि इस दरमियान में इतने सब्र से काम लेना काबिले कद्र है और अपोजीनश के सिलसिले में यह शेर याद आता है:

उनको आता है प्यार पर गुस्सा
इनको गुस्से पर प्यार आता है।

मेरठ का सदस्य होने के नाते मैं कोई अल्फाजी किला नहीं बनाऊंगा लेकिन जो वाकयात इस जमीन की बाबत मालूम हैं उन्हें यहां रखना चाहूंगा। मेरठ में गढ़मुक्तेश्वर सड़क पर बस का अड्डा बनाने का एक खयाल सन् ६३ में रोडवेज विभाग के दिमाग में आया और गांधी आश्रम के सामने ६ बीघा की एक जमीन जो रामकरन जी की थी उसको एक्वायर किया गया और उस जमीन पर बस स्टैंड बनना शुरू भी हो गया। उसके बाद जो मालिकान जमीन थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि इसके पास आबादी बहुत है, पास में गांधी आश्रम है तथा वहां पर बस स्टैंड बनाना ठीक नहीं होगा। उस समय माननीय विचित्र नारायण शर्मा मन्त्री थे, उन्होंने भी उनकी मदद की। तो कन्सट्रक्शन शुरू होने के बावजूद उस जमीन को रिलीज कर दिया गया सन् ६४ में। जो प्रोटेस्ट किया था उसमें मालिकान ने आल्टरनेटिव जगह भी सजेस्ट की थी जो ४ मुसलमान घोसियों की थी। रोडवेज के जनरल मैनेजर ने अपने टेक्नीकल एक्सपर्ट्स से राय ली कि यह जमीन ली जाय या नहीं। उन्होंने यह राय दी कि यह जमीन एक्वायर करने लायक नहीं है। जनरल मैनेजर ने भी इसको सपोर्ट किया और सरकार को लिखकर भी भेज दिया। यह सब कागजात फाइल में मौजूद हैं।

(व्यवधान)

उसके बाद सन् ६४ से सन् ६६ तक खमोशी रही, बाद को सन् ६६ में न जाने कौन-सी नई बात पैदा हो गई कि उन गरीब घोसियों की जमीन का नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद एक्वायर करने की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गयीं। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यह कहा कि उसके पास मन्दिर है शहर की बहुत आबादी है, सामने इन्टरमीडिएट कालेज है, इसलिये इसको न लिया जाय। वहां पास में चुंगी भी है गढ़मुक्तेश्वर रोड पर। फिर मोटर ट्रान्सपोर्ट की वहां एजेंसी भी है जिसके कारण वहां कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो उस समय श्री चन्द्र गोपाल ने जो मेरठ में उस समय लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर थे जमीन का मुआयना किया और इस जमीन की कीमत १८ रुपये स्क्वायर गज एसेस की। उन्होंने जनरल मनेजर को लिखा कि अगर आप १८ रुपये गज पर जमीन लेने को तैयार हों तो

[शेर अली खां]

ले लें वरना उसको रिलीज कर दिया जाय। उन्होंने बाकायदा ईवीडेंस आदि लेकर वह कीमत असेस की थी। मगर उस फैसले को जनरल मैनेजर ने एप्रूव नहीं किया और पता नहीं कैसे लैंड एक्वीजीशन आफिसर का तबादला हो गया। दूसरे ने पता नहीं कैसे उस जमीन की कीमत ४ रुपये ८५ पैसे की एस्क्वायर गज असेस की।

जिस जमीन के लिए पहले उसके प्रडेसेसर ने १८ रुपये गज तय किया था, उसी को कम करके ४ रु० ८५ पैसे उनके द्वारा कर दिया गया। आप सोचें यह कितना जुल्म था उन गरीब मुसलमानों के साथ कि १८ रुपये वाली जमीन को ४ रु० ८५ पैसे गज कर दिया गया। मजे की बात यह भी है कि जिसके बारे में पहले जनरल मनेजर वगैरह ने मान लिया था कि यह जमीन बस अड्डे के लिए अन्स्यूटेबल है, उसी को फिर मंजूर करने की जिद्द पता नहीं उनके फिर मन में कैसे आई। उसको मानने के बाद, इसको एक्वायर करने की कार्यवाही शुरू की जाने लगी जिस पर एक पार्टी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहां उसने असेसमेंट के बारे में अपील कर दी और यह कहा कि यह असेसमेंट कम है और एक ही मामले में दो एवार्डस नहीं दिये जा सकते हैं एक ही फाइल पर। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में भी रिट दाखिल किया और उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले स्टे-आर्डर आ गया कि उसका न तो कोई इस्तेमाल किया जाय विभाग की तरफ से और न कोई कंस्ट्रक्शन किया जाय।

इसके साथ-साथ में यह भी आपको नोटिस में लाऊंगा, इसके दरम्यान अक्तूबर, ७० में एक-हाई पावर कमेटी बनी, जिसकी बैठक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेरठ के घर पर हुई जिसके डी० एम० थे, रोडवेज के जनरल मैनेजर थे और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे, जिसके सामने यह मामला भी रखा गया था, उसमें यह तय हुआ था कि छोटे-छोटे जितने बस अड्डे यहां पर पड़ते हैं उन सबको दिल्ली रोड पर सेन्ट्रलाईज कर लिया जाय। यानी कि एक सेंट्रलाईज्ड बस अड्डा बनाया जाय। उसमें यह भी था कि गढ़मुक्तेश्वर--सवाना--मेरठ के जो अड्डे हैं, वे भी उसमें आ जायेंगे। तो यह सब चीजें पास हो गई थीं। इसलिए कि यह जो बागपत का अड्डा है, वह हमारे वीरेन्द्र वर्मा जी की पार्टी के एक बहुत इम्पार्टेंट आदमी श्री पृथ्वीनाथ सेठ की प्रापर्टी है, वह अड्डा भी वहां चला जायगा, जिससे उनकी जमीन खाली हो जायगी। लिहाजा इसको लेने की कोशिश की जा रही थी कि सेठ जी की यह जमीन खाली हो जाय तो उनको १०---२० लाख का लाभ पहुंच जाय।

श्रीमन्, इस स्कीम को जानते हुए भी जनरल मैनेजर, रोडवेज, हाउसिंग कमिश्नर ने गवर्नमेंट को कोई सूचना नहीं दी कि हमारी यह स्कीम पास हो चुकी है और बहुत टेम्प्रेरी इस जमीन को लिया जाना मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का एक नोटीफिकेशन भी है, जिसमें यह है कि एग्रीकल्चर लैन्ड को जहां तक हो सके एक्वायर न किया जाए और यदि एक्वायर किया जाय तो उसके करीब में ८ मील के दायरे में जो बंजर लैन्ड अवेलेबेल हो तो उसी को प्रिफर किया जाय। जब हमारी पार्टी ने रिप्रेजेंट किया तो उसमें नक्शे के साथ यह दिखाया कि इस जमीन के बाद ५---६ फर्लांग पर १२ बीघा बंजर लैन्ड है, जिसे गवर्नमेंट मुश्किल से ७---८ आने में एक्वायर कर सकती है। इसलिए वीरेन्द्र वर्मा का यह कहना कि इसमें गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, मैं कहता हूं इसमें भी नुकसान था, जबकि चन्द आनों में जमीन मिल रही थी। पता नहीं क्यों जनरल मैनेजर और दूसरे लोग जिद्द कर रहे थे कि उन्हीं की जमीन को लिया जाय। जब यह प्रश्न आया तो श्री उमादत्त शर्मा ने जैसा कहा है एम० एल० एज० वगैरह ने इसके बारे में कहा मंजूर अहमद ने कहा, शाहनवाज खां ने कहा, मौर्या साहब ने कहा और इनकी मदद करते रहे।

लोक सभा का इलेक्शन सन् ७१ में हुआ तो इन्दिरा गांधी ने माइनारिटीज और पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक नारा लगाया और ये तमाम जातियां उनके साथ कन्धे से कन्धा

मिलाकर खड़ी हो गई। उसी के अनुसार उमादत्त शर्मा की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई कि इन लोगों ने जो हमारा इतना साथ दिया है तो उनके साथ कुछ किया जाय। मालदारों की जमीन को, विचित्र नारायण शर्मा के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता जो गांधी आश्रम के लिए किसी जमाने में जमीन रिलीज कराई गई थी।

माननीय वर्मा जी ने यह भी कहा कि वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल कालेज की जमीन भी अवायर की गई है। शायद आप नहीं जानते। हम लोग मेरठ के निवासी हैं, हम जानते हैं, वहां पर गरीबों की अजीब सी दास्तान है। जब टाउन प्लानर के जरिये से दो चार साल पहले यह मालूम हो गया कि यहां पर जमीन पर मेडिकल कालेज बनेगा, तो गरीब किसानों की जमीनों को सस्ते दाम पर सेठों ने खरीद लिया और जब मेडिकल कालेज बना तो गवर्नमेंट से अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा लिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

व्यवस्था का प्रश्न है। समय इसमें दो घंटे का है, या तो समय बढ़ा दिया जाय..

(व्यवधान)

आप कौन हैं? मैं उपाध्यक्ष जी से पूछ रहा हूं। या तो आप समय बढ़ा दें...

श्री उपाध्यक्ष—

इसको चलने दीजिये। यह कैसे समझ ले रहे हैं? हो सकता है समय के अन्दर हो जाय। नहीं होगा तो विचार करेंगे।

श्री शेर अली खां—

यह जो वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि उन जमीनों के मुताल्लिक किसी ने आब्जेक्शन नहीं किया, उनको पूरा-पूरा दाम मिले। गरीब किसानों की कौन मदद करता है? यह तो हमारी पार्टी है जो गरीब किसानों की सहायता करती है, उनका केस ले कर खड़ी हो जाती है और यह इंदिरा जी का नारा है। ऐसे औकात में जब सुबह से शाम तक हमेशा पब्लिक के हित में सारे मन्त्री सारे एम० एल० ए० कोई न कोई सिफारिश पेश करते रहते हैं, पोस्टिंग के सिलसिले में, ट्रांस्फर के सिलसिले में तो क्या सब के लिए यह कहा जायगा कि उनका उसमें कोई न कोई अल्टीरियर मोटिव है। यह सारा मामला आपस की फूट का नतीजा है जिसको मैं लाना नहीं चाहता, जिसका नतीजा हुआ कि बाहर वाले को बुला कर, गौरीशंकर राय को बुला कर सारा मामला उठाया गया। इसमें महज कीचड़ उछालने के और लफ्फाजी किले बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

शर्मा जी के मन्त्री हो जाने के बाद बहुत से लोगों को वहां सदमा भी है, परेशानी भी है, यह कैसे मन्त्री हो गये। आखिर में मैं माननीय महीलाल जी के कहने की वजह से एक शेर से खत्म करूंगा :—

बैठे रहना भी आफत है चमन में लेकिन,
उसकी मौत है जो माइले-पर वाज हुआ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब उन्हीं की सरकार थी तो उस वक्त सवाल नहीं उठाया था?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही नाजुक विषय पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। इल्जाम है एक साथी सदस्य के ऊपर। पहले सवाल के जरिये से उसके बाद इस चर्चा के जरिये से, इस विषय पर इस सदन में जिक्र आया। मैं शुरू में ही साफ कर दूं कि जितने ठंडे दिल से इस विषय पर विचार होना चाहिए उतने ठंडे दिल से लोग विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें गरमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें मैं फिर निवेदन करूंगा बार-बार कि इसमें गरमी की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी नतीजे पर यह सदन पहुंच जाय या माननीय मुख्य मन्त्री जी पहुंच जायं, सदन के सदस्य अगर इसमें सहायक हों तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात और शुरू में साफ कर दूं यह सही नहीं होगा कहना कि किसी सदस्य को खास दिलचस्पी थी कि इस मामले को सदन में लाया जाय। अगर दिलचस्पी किसी को हो सकती थी तो सिर्फ आपके ही दल के कुछ सम्मानित सदस्य हैं—कुछ आपके संगठन के ओहदेदार अथवा नेता जिनके नाम गौरी शंकर राय जी की दरख्वास्त में मौजूद हैं जो मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने दी और वे नाम हैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अब्दुल हलीम खां, एल० एल० ए०, आशा राम इन्दु, युवक नेता धीरेन्द्र सिंह त्यागी, वेद स्वरूप तथा सुरेन्द्र पाल त्यागी वगैरह-वगैरह। अगर इस तरफ बैठने वाले किसी सदस्य के पास कोई इत्तिला आई तो मेरा कहना है कि वह भी इन्हीं लोगों के जरिये से आई। उनकी कोई गल्ती अगर है तो सिर्फ इतनी कि उन्होंने प्रश्न कर दिये, इस विषय पर चर्चा मांग ली। तो मैं कहूंगा कि किसी को इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिये, नीयत पर भी शक नहीं करना चाहिये कि महज हम आपको बदनाम करना चाहते हैं और चर्चा करके कीचड़ उछालना चाहते हैं बल्कि हमेशा के लिये यह चर्चा बन्द हो जाय इसलिये यह चर्चा जरूरी है।

मैं एक चीज सम्बन्धित मन्त्री जी से और दूसरे बोलने वालों से कहूंगा कि आप गौर से देखेंगे तो यह पायेंगे कि गौरी शंकर राय जी का मुख्य मन्त्री जी के नाम जो प्रार्थना-पत्र है और जो राज्य मन्त्री जी का व परिवहन मन्त्री जी का वक्तव्य है जो २६ तारीख को सदन में प्रश्नोत्तर में पढ़ा गया था अगर गौर से एक साथ तीनों को पढ़ें तो मुख्य रूप से जो इल्जाम है वह यह है कि मेरठ शहर में गढ़रोड चुंगी के निकट रोडवेज स्टेशन बनाने के लिए जो जमीन अधिगृहीत की गयी उसमें अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और रोडवेज को उस पर कब्जा मिल चुका था। यह डेफिनिट एलीगेशन है। दूसरा एलेगेशन यह है कि जमीन के मालिक चाहते थे कि वह छूट जाय और इसलिये चाहते थे क्योंकि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तीसरा एलीगेशन आपके बारे में कि इतना रुपया लिया गया यह कह कर कि परिवहन मन्त्री जी से जमीन को मुक्त कराने में उसे खर्च करना पड़ेगा। पहला आरोप जहां तक है उसको शतप्रतिशत आपने स्वीकार किया। दूसरा आरोप जो है उसको आंशिक रूप में आपने स्वीकार किया।

जहां तक तीसरे आरोप का सम्बन्ध है मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं वह गम्भीरतम आरोप था उसका उत्तर न आपने अपने वक्तव्य में दिया और न किसी प्रकार से प्रकाश उस पर डाला। अब जब कोई सरकार की तरफ से बोले तो उस पर मेरा निवेदन है कि प्रकाश जरूर पड़ना चाहिये और वह यह है क्या इस जमीन के दाम बढ़ गये जैसा कि कहा गया है कि १ की जगह २० गुने दाम हो गये हैं और क्या इसी वजह से जमीन के मालिक उसे छुड़ाने के लिये उत्सुक थे। यह बहुत जरूरी सवाल है जिसका उत्तर घर से आना चाहिये और अब तक वह नहीं आया है। अब यह जो बात कही गई पैसे के लालच में ऐसा किया गया तो मैं चाहता हूं कि यह बात झूठी हो। किसी सम्मानित सदस्य

के विरुद्ध अगर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा हो तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है। कोई भला आदमी यह नहीं चाहेगा और अपने अन्तर से मैं यह चाहता हूं कि वह बात गलत हो। आपने यह भी कहा कि आपकी जो प्रेरणा शक्ति है वह दूसरी है यानी जो प्रेरणा आपको मिली वह दूसरे कारणों से मिली, इस कारण से नहीं।

आपने यह बताया कि यह जमीन जरखेज है खेती के लायक है। दूसरी बात यह है कि यदि इस जमीन को ले लिया गया तो जो इसके मालिक हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी। यह आपने कहा। बहुत अच्छी बात है। किन्तु आप देखेंगे कि इसमें भी बराबर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप जब मन्त्री हो गये २१ या २२ मई, को तब से और ३१ मई के बीच आप कबूल करते हैं कि आप मेरठ गये। आप यह भी कहते हैं कि वहां जाकर आपको एक शिष्ट-मंडल भी मिला जिसने आपको बस स्टैन्ड के बारे में भी बताया और बताया कि उससे मिली हुई एक पाठशाला है और बच्चों के खेलने के लिए उसका एक क्रीड़ास्थल भी है। तो यह चीज आपके उस बयान में, आपके रिप्रेजेंटेशन में पहले नहीं थी। यह बात तो अब आप नई इसमें लाये हैं।

(व्यवधान)

मैं तो उन्हीं चीजों को निर्दिष्ट कर रहा हूं जो आपने कहा है।

श्री शेर अली खां—

रिप्रेजेंटेशन में है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे बोलने दें और कहीं पर गल्ती हो तो बाद में आप मुझे टोक दें। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि उसमें भी बराबर इम्प्रूवमेंट होता रहा है। किसी एक चीज पर शुरू से कायम नहीं हैं बल्कि उसको बढ़ाते रहे हैं। यह चीज बाद में बढ़ी कि वहां पर एक शिक्षा संस्था है उसका क्रीड़ा-स्थल है। तो जब इस तरह से रोज-रोज किसी चीज में इम्प्रूवमेंट बराबर होता है तो उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाद में लोगों को शिकायत होने लगती है। यह साधारण नियम है। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, वे मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे और कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि चाहे यह सदन हो या सदन के बाहर हो हम जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, सब जनहित के नाम पर ही काम करते हैं। चाहे वह कोई भी काम हो।

पूरा सदन इसका गवाह है आप भी यही कहते हैं कि जनता और जनहित में यह काम हुआ है। लेकिन अगर उसको बारीकी से देखा जाय तो क्या यह जो किया गया है, उससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि वह काम सचमुच जनता और जनहित में हुआ है तो मैं कहूंगा कि ऐसी ध्वनि इससे नहीं निकलती है। आप स्वयं देख लीजिये जैसा कि माननीय शेर अली साहब ने भी जिक्र किया है। यह जमीन लम्बे सड़क पर है। गढ़मुक्तेश्वर रोड से यह मिली हुई है और वहां पर एक नई कालोनी भी बसी हुई है, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की जमीन है और आगे चलकर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज वगैरह हैं तथा दक्षिण में एक बैंक कालोनी है और बराबर आबादी यहां पर बढ़ रही है। मुझे बताया गया कि जो कीमत इसकी अदा की गई है साढ़े पांच रुपया फी स्क्वायर फिट दी गई और साधारणतया अब इसके दाम कई गुने ज्यादा हैं इसलिये जन हित में यह जमीन लौटाई जा रही थी, यह बात अपनी जगह पर मुनासिब नहीं मालूम होती है। फिर आखिर जनहित का ध्यान आपको कब आया?

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

यहां पर बहस की गई कि अधिग्रहण की कार्यवाही १९६४ में शुरू हुई १ और सन् १९७० तक खत्म हो गयी। माननीय परिवहन मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिसके बारे में माधव प्रसाद जी ने निर्दिष्ट भी किया है, कुछ तथ्य दिये हैं। वह यह है कि फरवरी, १९६७ में इसका नोटिफिकेशन शुरू होता है। २३-१०-७० को निर्णय हो जाता है कि कितना प्रतिकर मिलना चाहिये-१,१६,८६७ रुपया। ११-११-७० को कब्जा मिल जाता है। पहले की बात छोड़ दें। और यह जनता का प्यार था, हमदर्दी थी या दर्द था जो यह उभार पर सन् ७१ में ही क्यों आता है और कहां से आता है, पहले ठंडा क्यों पड़ा रहा? इसका जवाब जब तक कि सन्तोषजनक ढंग से नहीं देंगे तब तक आप के आचरण के बारे में बराबर शक बना रहेगा। आचरण संदिग्ध है, अथवा नहीं, इस पर ध्यान दें। कार्यवाही अधिग्रहण के बाद शुरू होती है अप्रैल, १९७१ में तब तक यह दर्द जिसके तहत आपने काम किया वह ठंडा पड़ा रहा है। अप्रैल, १९७१ में उससे तकलीफ होने लगी है और जब आप मंत्री बन जाते हैं तब वह दर्द पूरे तौर से काम करने लगता है।

प्रत्येक माननीय सदस्य को पूरा अख्तियार है कि इस तरह के सवालों को जिनमें किसी के साथ ज्यादती हो-छोटी ज्यादती ही क्यों न हो-उसकी आवाज उठाये उस पर सबको अख्तियार है बोलने का, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप १९६९ से मेम्बर हैं-अगर उसके पहले रहे हों तो हमारी जानकारी नहीं। लेकिन सन् ६९ से तो हैं ही। कभी प्रश्न के रूप में, कभी इस पर चर्चा मांग करके, कभी मुख्य मंत्री को आवेदन-पत्र देकर कभी उन किसानों का प्रदर्शन करा कर किसी रूप में भी इसमें कुछ कार्यवाही हुई आपकी ओर से या नहीं? जो भी वक्तव्य दिये गये हैं मंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से उनमें यही आया है कि सर्वप्रथम २४ अप्रैल को आपने कार्यवाही की पहले नहीं। तो आपका जो पवित्र अधिकार है इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी या आप जो भी बोलें-उनकी तरफ से यह जवाब आना चाहिये। लेकिन खाली आरोप-प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है।

हमें खुशी होगी अगर यह लांछन मिटे, लेकिन उसका मतलब यह भी है कि जो इक्रिमिन्टनेटिंग सरकमस्टांसेज हैं उन पर सदन को सटिस्फैक्शन होना चाहिये कि वह झूठे हैं, अनर्गल है, ब बुनियाद हैं, असत्य हैं यह पूरा इत्मिनान होना चाहिये पर अभी जो सरकार पूरे जोर के साथ कहती है उस पर सदन का समाधान नहीं हुआ है। तो ये चीजें इसमें विशेषरूप से हैं। और यह कितना मुनासिब कदम था आपका यह तो परिवहन मंत्रीके कंडक्ट ने खुद ही जाहिर कर दिया परिवहन मंत्री जी ने एक फैसला ले लिया था आपकी संस्तुति पर, अगर वह उस पर कायम रहे तो यह समझ में आता कि कोई मुनासिब चीज आपने की थी, सरकार को उस पर संतोष हुआ और परिवहन मंत्री जी ने जो कुछ फैसला लिया वह जानबूझ कर, समझ कर अटल रूप से कायम है। लेकिन यह दृढ़ता परिवहन मंत्री जी ने नहीं दिखाई। उनमें दृढ़ता नहीं, चंचलता मालूम होती है।

मौके पर जाते हैं आप। जरा गौर करें परिवहन मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसमें यह है कि लखनऊ लौटने पर और आयुक्त की रिपोर्ट पर और विचार के बाद आदेश किया. . .यह उसका सारांश है परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किया गया, पहले एक तरह का आदेश, फिर दूसरी तरह का। तो यह सदन जानना चाहेगा कि आपने दूसरा आदेश किस तारीख को किया? क्योंकि गौरीशंकर राय ने यह मामला उठाया है ६ जुलाई को। आपने सारी तारीखें तो दी हैं लेकिन उस तारीख का जिक्र नहीं किया जो सचमुच अहम थी इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है कि किस तारीख को पहला आदेश वापस लिया। जैसा कि माधव बाबू ने कहा कि इसमें कुछ सच भी मालूम पड़ता है, तो उसमें कुछ सच जरूर था इसलिये तो आपने अपने पहले का फैसला बदल दिया और दुबारा दूसरा फैसला लिया।

एक्वीजीशन का जो अन्तिम फैसला था, जो अपीलेबिल भी नहीं था और जिसके खिलाफ जमीन के मालिक ने रिट दायर की थी, उस रिट का भी फैसला हुए बगैर, उसके फैसले का इन्तजार किये बिना, आपने एक फैसला ले लिया, जब कि आप रोजाना सवालों के जवाब में कहा करते हैं कि इसमें कोई फैसला इसलिये नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यह अदालत के विचाराधीन है। फिर यह असाधारण स्थिति में फैसला क्यों लिया गया। इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों की। यह बिल्कुल साफ तौर से इशारा करता है, जैसा कि माथुर बाबू ने कहा कि यह फिशी मामला जरूर है, जरूर संदिग्ध है। इसमें आपने इतनी जल्दी कर दी जो नहीं करनी चाहिये थी। आपतो माशा अल्लाह पढ़े-लिखे हैं, वकील भी रहे हैं, आपको तो जल्दी में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। जब तक अदालत से अन्तिम फैसला नहीं हुआ था, उसके पहले ही आपने एक फैसला ले लिया और फिर दूसरा फैसला ले लिया। इस तरह से रोज अगर फैसले बदले जायेंगे तो इस सरकार की इज्जत न इस सदन में रह जायगी और न बाहर ही रह जायगी।

मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि जो इनक्रिमिनेटिंग सरकमस्टेन्सेज थे, उन पर कोई रोशनी नहीं डाली गयी। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री स्वयं इससे संतुष्ट नहीं होंगे। इस बुरे सदन की संतुष्टि के लिये माननीय मुख्य मंत्री मेरे एक निवेदन को मान लें। उनको यह पूरा अख्तियार है, इन्क्वायरी कमीशन ऐक्ट के तहत, कि वे इस बारे में एक कमीशन नियुक्त कर दें, जो पूरे इस मामले की जांच करे और इस बीच दोनों माननीय मंत्री, मंत्रि-परिषद् के सदस्य न रहें। यह एक आनरेबिल कोर्स है। इसको अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मंजूर न करें तो माननीय सदस्यों को भी उसी ऐक्ट के तहत यह अख्तियार है कि सदन अपने एक प्रस्ताव के जरिये से यह संस्तुति कर दे कि ऐसे मामले में एक कमीशन बैठा दिया जाय, तो फिर सरकार के सामने कोई विकल्प ही न रह जायगा। आपको वह "मस्ट" रूप में मानना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके पहले कि सदन अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करे, आप ही अपने संतोष के लिये ऐसा कर दें।

मैं एक बात और माननीय मुख्य मंत्री से चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री आपको इस माननीय मुख्य मंत्री की गद्दी पर ज्यादा दिन तक नहीं देखना चाहतीं। इसमें हंसी की बात नहीं है। यह बात मैं अपने मन की कह रहा हूं और ऐसा ही दूसरे लोग भी समझ रहे होंगे, लेकिन सब कह नहीं पाते हैं। (किसी के कुछ कहने पर) जो दीवार के ऊपर इबारत लिखी होती है उसको पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं। मान्यवर, यह इसलिये मैं कह रहा हूं कि वर्तमान सत्र में इसके पहले भी न मालूम भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप न मालूम किस-किस पर लगाये गये या रोज लगते हैं लेकिन वह खबरों में महत्व नहीं पाते प्रधान मंत्री के खुद के और उनके समर्थन वाले अखबार भ्रष्टाचार के आरोप को महत्व देते हैं जो आपकी जाति-विशेष से संबंध रखती है। उन चीजों को खूब हवा दी जाती है। नेशनल हैराल्ड, मुक्त धारा, ब्लिट्ज, ये सारे अखबार जहां एक तरफ प्रधान मंत्री का पुरजोर समर्थन करते हैं वहीं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपका जिक्र आ जाय तो तिल का ताड़ बना कर पेश करते हैं। लुखाड़िया का मामला आपके सामने है। प्रधान मंत्री नेता नहीं, नौकर चाहती हैं। संगठन में भी और मुख्य मंत्री के पद पर भी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में सशक्त होकर उठें और यह साबित कर दें कि आप ऐसे आरोपों की निष्पक्ष होकर जांच करा सकते हैं। उसमें इस प्रदेश का भी भला होगा, माननीय सदन की भी गरिमा बढ़ेगी और जिस कुर्सी को आप सुशोभित करते हैं उसकी भी गरिमा बढ़ेगी।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई रोज से इस चर्चा को अखबार के जरिये और सदन में सदस्यों के जरिये सुन रहा हूं। बड़ा अफसोस और दुःख है कि आज हम इतने नीचे स्तर पर

[श्री मंजूर अहमद]

आ गये हैं कि किसी भी माननीय सदस्य की मुखालिफत करनी हो तो उसके बारे में हमें जो बात नहीं है वह भी उछालना बहुत जरूरी हो गया है। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इस कांड के पीछे राज क्या है। इतना बड़ा कांड बना कैसे। यह सिंडीकेट, बी० के० डी० या संसोपा वालों ने नहीं बनाया। मैं बड़े अदब से मुख्य मंत्री जी को भी बतलाना चाहता हूं और माननीय सदस्यों और प्रदेश की जनता को भी बतलाना चाहता हूं। आज मेरठ में दो गुट हैं। एक गुट के बगैर सोचे-समझे इस देश में यह परम्परा चल रही है, इसी की वजह से सारी पार्टियों की यह हालत बन गयी है कि उन्हें देशभक्तों की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो गुटबन्दी में माहिर हों। सन् ६० में हमारे ही इलाके के रहने वाले भूतपूर्व मंत्री एक आदमी को लाये थे। चौधरी चरण सिंह और सी० बी० गुप्ता की गुटबन्दी में एक ऐसे रद्दी आदमी को पोलिटिक्स में लाये। हमारे ही गांव के एक आदमी श्री सलाउद्दीन हुसैन को चौधरी चरण सिंह लाये। सी० कैलाश जी को जरूरत पड़ी एक आदमी की और उन्होंने अपने गुट में एक बहुत ही रद्दी आदमी, अब्दुल हलीम, जो हमारे ही साथ हैं और हमारे गांव के रहने वाले हैं, जिनको मैं जानता हूं, उनको ले आये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या यह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं?

(व्यवधान)

श्री रामद्वारी शास्त्री—

अपने बारे में भी बतलाइये।

श्री मंजूर अहमद—

मैं अपने बारे में बतलाऊंगा, माननीय जायसवाल जी के बारे में भी बतलाऊंगा कि कई महीने अस्पताल में कैसे लेटे रहे। आपके बारे में बतलाऊंगा कि आप बम्बई कैसे गये।

* * *

ये प्रजातन्त्र के पुजारी हाउस में मेरी बात नहीं सुनते, मुझे हाउस में ही नहीं बोलने देते तो साधारण जनता को कैसे बोलने देते होंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह कह रहा था कि इस कांड के पीछे क्या राज रहा है। मैं उस राज को माननीय सदस्यों को और माननीय वीरेन्द्र वर्मा को और दूसरे माननीय साथियों को बतलाना चाहता हूं कि सन् ६७ में एक सवाल किया था जब कि बनारसीदास जी और कैलाश प्रकाश के साथ अब्दुल हलीम चले गये थे। उसके बाद ६७ में ही जब चौधरी साहब की हकूमत बनी तो ये चौधरी साहब के साथ चले गये। उसके बाद फिर इनकी हकूमत बनी तो ये इनके साथ आ गये। मैंने कुछ अधिकारियों के खिलाफ यह रिपोर्ट दी थी कि ५ लाख रुपया अब्दुल हलीम साहब ने और उनके कुछ साथियों ने वहां पर कोआपरेटिव का गबन किया है जिसकी चर्चा विधान परिषद् में अभी कुछ दिन पहले चला था (व्यवधान) इस कांड के पीछे यही सब से बड़ा कारण था जो मैंने बताया।

नोट—[***] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को मा० अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्तराम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सखावत हुसैन इस समय सिंडीकेट में आये और अब्दुल हलीम इन्डीकेट में। अब्दुल हलीम के खिलाफ दरख्वास्त हुई जिनको उनके खिलाफ नाराजगी थी उन्होंने दरख्वास्त दी। वे कांग्रेस में हैं। यह कैसे हुआ यह भी बतलाता हूं। रामस्वरूप वैद्य हमारे मुकाबले में ६९ के चुनाव में खड़े हुये थे और बी० के० डी० के टिकट पर खड़े थे। उनके बारे में भी जब आपको मालूम होगा तो आपको जानकारी होगी। चूंकि रामस्वरूप वैद्य और रनवीर सिंह चौधरी साहब और वीरेन्द्र वर्मा की पार्टी के थे तो इन्होंने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में ७० में अपनी पार्टी से निकाल दिया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वही रनवीर सिंह और राम स्वरूप वैद्य जिनके ऊपर चौधरी साहब ने इलजाम लगाया था वही लोग उमादत्त जी के दूसरे गुट में आ गये। उमादत्त जी के साथ जनता थी और जनता ने उनका स्वागत किया तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। (व्यवधान)

मैं इस बात को बतला रहा हूं कि इस कांड के पीछे राज क्या है। अगर मेरी बात कोई गलत निकल जाय तो जो चाहे वह सजा मुझे दे सकते हैं। तो इन लोगों ने इतना प्रयत्न किया कि पीछे से कोई इस तरह का कांड बनायें जिससे वह बदनाम हो जाय। मैं आपके जरिये से माननीय वीरेन्द्र वर्माजी से पूछना चाहता हूं और आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी फाइल को मंगाकर देख लिया जाय और इस सदन के पटल पर मंगाकर देखा जाय कि जब यह अड्डे बनाने का झगड़ा चला वह कहां से शुरू हुआ। पहले कहां पर उस बस अड्डे को बनाने का तय किया गया और वहां से हटा तो फिर कहां पर तजवीज किया गया। फिर उस जमीन को किस तरह से रिलीज किया गया। उस जमीन वालों ने किस तरह से कोशिश की और फिर कहां पर अड्डा बनाया गया। इस जमीन को १९६३ में गढ़ मुक्तेश्वर रोड पर एक्वायर किया गया। इस जमीन को कैसे लिया गया यह भी मैं बतलाना चाहता हूं।

मैं इस बात को नहीं जानता कि उमादत्त जी की बात बीच में किस तरह से आ गई और मुजफ्फरनगर के आदमी तो वहां पर नहीं पहुंचे मगर राय साहब वहां पर पहुंच गये। मैं आपको बतलाऊं कि न जाने कितनी बार मैंने उस जमीन को देखा है उस जमीन से आधा फर्लांग की दूरी पर एक सरकारी बंजर जमीन पड़ी हुई है। उसी के पास पृथ्वीनाथ सेठ की जमीन है और मुहम्मद इसलाम की जमीन भी है। सेठ जी की जमीन को नहीं लिया गया लेकिन इन गरीब मुसलमानों की जमीन को लेने की चर्चा चली कि वहां पर अड्डा बने सरकार के हाथ में वह जमीन पचासों वर्ष से प्राइवेट मीटर के मालिकों से चन्द रुपयों के किराये पर थी जो आज करोड़ों रुपए की है। उसको उन्होंने अपनी सस्ती से डी०एम० के जरिये से खाली करा लिया। उसमें इन्होंने कितनी घूस ली होगी यह आप समझ सकते हैं। यह करोड़ों रुपए की जमीन है जो ७० के आखिर में और ७१ के शुरू में खाली कराई है। इन जमीनों के बारे में उस वक्त भी एक बहुत बड़ा कांड बना था। श्री धुरन्धर सिंह त्यागी मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं वह सन् ६७ में पी०एस० पी० में थे ६८ में संसोपा में, ६९ में सिन्डीकेट में, ७० में बी०के०डी० में और अब ७१ में फिर इन्डीकेट में आ गये हैं।

मैं भी सन् ४८ से सोशलिस्ट हूं और आज भी बराबर सोशलिस्ट हूं। आज चाहे गुप्ता जी हों, या इन्दिरा जी हो कोई भी हो कौन पूंजीपतियों और फिरकापरस्तों के शिकन्जे में नहीं है और मुझे बहुत दुख है कि मेरे साथी जो कल तक लोहिया जी के चेले थे वह भी जनसंघ की गोद में चले गये और उन से दोस्ती करने लगे और मोटरों में बैठकर ढाई-ढाई माह तक अस्पताल में सेवा कराते रहे। यह देश की जनता को चुनौती है और उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कौन सा मुख्य मंत्री ऐसा है कि जिस ने देश को नहीं लूटा ?

मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मंत्री है जिस ने देश का नुकसान नहीं किया है और वह मुख्य मंत्री है जिस ने इस देश और प्रदेश की इज्जत को बढ़ाया है और देश को

[श्री मंजूर अहमद]

लिये अपने फर्ज को अदा किया है। सिन्डीकेट, जनसंघ, बी० के० डी० जो सूबे की और देश की पार्टियां हैं या कम्युनिस्ट हैं मैं दावे के साथ कहूंगा और मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं कि उनके मंत्रियों और विधायकों ने क्या अपने कर्तव्य का पालन किया है। आप अपने शहतीर को बाल और दूसरे के बाल को शहतीर बनाना चाहते हैं। आप ने कितना बड़ा पाप किया है और आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं औरों से भी और खासतौर से अपने संसोपा के साथियों से कहूंगा कि लोहिया जी के चेले होकर आज वह जनसंघ की गोद में बैठे हैं। [***] उन्होंने इस तरह से लोहिया जी के समाजवाद को गिरवीं रख दिया....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को सूचित किये देता हूं कि मैं श्री मंजूर अहमद के खिलाफ गलत बातों के कहने के लिये प्रिविलेज का सवाल लाऊंगा। [***]

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में ... अभी कल परसों की बात है ...

श्री उपाध्यक्ष—]

आप अभी समाप्त कर रहे हैं?

श्री मंजूर अहमद—

आज यह सूबा कराह रहा है सूबे की गरीब जनता कराह रही है और आपके पाप आपको कभी नहीं बख्शेंगे। आज देश की नाजुक हालत है, आज हमारी स्थिति क्या है यह कोई नहीं देखता। हमारे साथी अपनी बात कहते हैं कि हमने लाठी खाई है, हमने डंडे खाये हैं और लोहिया जी के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले समाजवादी मूवमेंट (movement) के नाम पर धूल झोंक रहे हैं और पूंजीपतियों की गोद में बैठकर सिन्डीकेट की वकालत करते और जन संघ के साथ फिरकापरस्ती की बातें करते हैं ...

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल— [***]

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था...

श्री त्रिवेणी राय—

श्रीमन्, क्या एक माननीय सदस्य का दूसरे को [***] (व्यवधान)

[***] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेष धिक्कार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाले दिया गया।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय जायसवाल जी ने दूसरे माननीय सदस्य को [***] तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संसदीय है।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का एक ही प्रश्न एक समय लिया जाता है। मैंने माननीय बंशीधर को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति दे दी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कितना गंभीर मामला है, उनके मंत्री परिषद् के एक सदस्य के प्रति है। उस तरफ से बयान हुआ फिर इसी तरफ से हुआ। यदि शासन की पार्टी की ओर से माननीय सदस्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वे चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं सारे प्रश्न पर तो मैं निवेदन कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले सदन का समय आधे घंटे बढ़ाता हूं इस चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर पांडेय—

जिन सदस्यों ने इस प्रश्न को सदन में प्रस्तुत किया है, पहले उन्हें बोलने का अवसर होना चाहिए, फिर मंत्री जी उत्तर देंगे। फिर हमें भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जायगी। फिर फाइनल रिप्लाई मंत्री जी का होगा। अगर दूसरे सदस्य भी इस बीच में बोलना चाहेंगे, अगर समय रहा तो बोल सकेंगे। यह आप के विवेक पर निर्भर करता है। पहले जितने लोग बचे हुये हैं और जो अभी नहीं बोल पाये हैं, उनको बोलने की इजाजत दें। फिर यदि समय बचे और कोई सदस्य बोलना चाहें तो मंत्री जी के बोलने के पूर्व आप उससे चर्चा करवा दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सदन में संसोपा दल के नेता माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने, हो सकता है कुछ गुस्से में आकर, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो इस माननीय सदन में नहीं होने चाहिए, अतः मेरी प्रार्थना है कि या तो वे इनको वापस ले लें, अन्यथा आप इनको सदन की कार्यवाही से निकलवा दें।

नोट—[***] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को मा० अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आप कुर्सी पर बैठे हैं। तमाम विषय से संगत या असंगत बातों को देखें। जिस आदमी को विषय की संगत या असंगत बात का ज्ञान न हो [* * *] उसके लिये मैं मांग करता हूं कि इस सारे विषय पर जो सदन में मंजूर अहमद के बयान में चीजें आई हैं सदन की उस पर एक कमेटी बैठाई जाय। मैं मांग करता हूं कि उस की जांच की रिपोर्ट सदन में आये और उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाय। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको चलने नहीं दूंगा।

[* * *]

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

आपकी बातों से, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कल की घटना की पुनरावृत्ति होगी।

(अनेक सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रतिवेदक नहीं लिखेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला मेरी मेरठ कान्स्टीट्यूएन्सी का है जिसमें मैं सुन कर आया हूं। मैं आशा करूंगा कि आप मुझे जरूर टाइम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

समय मिलेगा सो।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्टेन्स दे दूंगा अगर मैं कोई बात गलत कहूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आपने हमारे पक्ष के किसी आदमी को बोलने नहीं दिया यह आपका पक्षपात है।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि हमारे दल के चार सदस्यों के नाम दिये हुए हैं। हमारा दल विरोधी दलों में से प्रमुख दल है। आपकी व्यवस्था पर कौन सा शब्द कहूं। अव्यवस्था किस के कारण धंदा हो रही है। आपने फालतू बातों पर डेढ़ घंटा गुलवा दिया। आपकी व्यवस्था गलत जा रही है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामकरन सिंह को बुलाने पर)

नोट—[***] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को मा० अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर ध्यान दें कि आदरणीय मोरार जी देसाई तो सफाई देने के लिये यहां नहीं आयेंगे। कल चरण सिंह जी पत्र पढ़ने लगे तो इस चेयर से आपने यह कहा कि जो सदस्य या व्यक्ति नहीं आ सकते हैं उसका जिक्र नहीं होना चाहिये और आपने मंजूर साहब को इस बात के लिये इजाजत दी कि वे आदरणीय मोरार जी देसाई तक का नाम ले जायें। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी परम्परा डाल रहे हैं तो डालें। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री से कि वे कान खोलकर सुन लें कि अगर जो व्यवस्था एक दल के लिये होती है, एक नेता के लिये होती है वह सभी दल, सब सदस्यों और सब नेताओं और व्यक्तियों के लिये होनी चाहिये। एक कानून उधर के लिये और इधर के लिये दूसरा, तो इंसाफ किसका नाम होगा, यह आप सोचें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसके निर्णय के पहले ही आपने और माननीय सदस्यों को बोलने का आज्ञा दे दी। मैंने यह प्रश्न उठाया था कि माननीय जायसवाल जी ने क्रोध में आकर कुछ ऐसे शब्द कहे जो इस आदरणीय सदन के लिए ठीक नहीं हैं, इसलिये उनको निकाल दिया जाय, या.....

श्री मंत्रीश्वर पांडेय—

मंजूर अहमद ने अपनी हैसियत के विपरीत कार्य किया है। [***]

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

आपने [***] देश के बड़े-बड़े नेताओं को गाली दिलवायीं....

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तेजना और गर्मी इतनी है। अगर किसी के लिए कोई आक्षेप की बात है तो वह लिखित देंगे तो विधिवत् उस पर कार्यवाही होगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी भी कार्यवाही को निकालने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन अगर कहीं विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न बनता हो तो माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री जी।

नोट:—[***] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को मा० अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपने बुलाया है। मुख्य मंत्री जी नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्रीमन्, आपने मुझे बुलाया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रियासत जी ने पहले उठाया था।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंजूर अहमद तो कमलापति जी को खिलाना चाहता है...

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात मैं कह रहा हूं सब सुन नहीं रहे हैं। जो रियासत हुसैन साहब ने सवाल उठाया था उसका जवाब मैंने दे दिया और दूसरा भी दिया। अब कृष्णानन्द राय जी आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइए ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आज दिन भर हमने देखा और सुबह भी हमने पाइंट आउट किया था। जब हम लोग खड़े होते हैं या विरोधी दल के नेता खड़े होते हैं तो श्रीमन्, उधर से ५-७ आदमी खड़े हो जाते हैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए। मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी गाल पर हाथ लगा कर इन चीजों को बड़ी शान्तिपूर्वक सुनते रहते हैं कि इनके शिष्य लोग या इनके पीछे बैठने वाले लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें क्षति किस की हो रही है ? आज पब्लिक बार के सामने इनकी मन्त्रिपरिषद् का एक सदस्य मुलिजम बन कर खड़ा हुआ है और एक ही नहीं बल्कि दो-दो सदस्य मुलिजम बन कर खड़े हुए हैं। अगर आप हमको कनविन्स नहीं कर सकेंगे कि ये निर्दोष हैं और हल्ला मचाकर हाउस को एडजर्न करा कर चले जायेंगे तो पब्लिक कहेगी कि ये दोषी हैं। जब आपके दो मंत्री फंसे हुए हैं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि आप अव्यवस्था उत्पन्न न करें और शान्तिपूर्ण ढंग से इधर के लोगों की बात को सुनें। बातें सुनने के बाद मुख्य मंत्री जी या संबंधित सदस्य जवाब दे देते तो इससे पब्लिक कानफिडेन्स पैदा होता कि वास्तविकता क्या है और इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसको आप व्यवस्था समझें, कि हमारी पार्टी के ४-४ सदस्य हैं जिनका नाम सूचना देने वालों में है और वे बोलना चाहते हैं। आपने २ घन्टे का समय दिया। हम लोग चिल्लाये कि हमारी पार्टी के लोगों को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा या नहीं, मगर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। श्रीमन्, मैं आपका आदर करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर कल सदन में पुनः प्रश्न उठाऊंगा और जब तक हमको अवसर नहीं दिया जायेगा तब तक सदन को नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तो समय साढ़े सात बजे तक है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम नहीं बोल लेंगे।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

नियम ५२ में स्पष्ट है.....

श्री उपाध्यक्ष—

जितना समय आप ले रहे हैं—यह आपका समय है। श्री राम करण सिंह—आप संक्षेप म कहिय ।

श्री कृष्णानन्द राय—

नियम ५२ में यह चीज स्पष्ट है। आप गुस्सा न हों, न आप हमें निकाल पायेंगे और न हम आपको निकाल पायेंगे। नियम ५२ में स्पष्ट है कि दो पार्टियां होती हैं—एक सूचना देने वाली और दूसरी संबंधित मंत्री। आप इसको पढ़ लें, आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं समय ले रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

नियम ५४ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है। एक तो वह सदस्य जिसने सूचना दी हो संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और दूसरे वह कि मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि यह मान्य परम्परा है कि सिन्गलर को प्लूरल के माने में लिया जाता है कानून में। यह सही है कि श्री राम करण सिंह सूचना देने वालों में हैं। श्री मंजूर साहब बोले और श्री शेर अली साहब बोले। श्री मन्जूर महमद ने [×××] मान्यवर, मुझे डर लगता है कि कहीं आप कुर्सी न छोड़ जायें। आप सूचना देने वालों को समय दें, नहीं तो कल भी यही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आधा घन्टा का समय है।

श्री कृष्णानन्द राय—

जब तक सब नहीं बोल लेंगे तब तक कल भी सदन में यही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल आधा घन्टा का समय है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न और उस पर फैसला देना आपका काम है लेकिन मेरी यह विनती है कि आप सिर्फ इस बहस को आधा घंटे तक के लिये ही न रखें, जब तक सदस्यगण बोलना चाहते हैं तब तक के लिये इसको बढ़ा दें। यह बात सही है कि जिन लोगों ने सूचना दी है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिये और उन लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये

नोट—[×××] यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्त राम जायसवाल व श्री रियासत हुसन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिनको कि इस मामले के बारे में जानकारी हो जैसे मेरठ वगैरह के लोग हैं और जब तक यह लोग चाहते हैं तब तक यह सदन चलता रहे। जहां तक कृष्णानन्द जी का मेरे गाल पर हाथ रखकर चलने की बात है तो सभी लोग..... (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग नहीं बोल सकते तो सदन नहीं चलेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

माननीय कृष्णानन्द जी क्रोध में हैं। यदि वह मुख्य मंत्री जी को नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी नहीं बोलेंगे। आप नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं सुनायेंगे। मैं, सभी को बोलने का मौका मिले, इसके लिये बिनती कर रहा हूं। इसके लिये सारे सदन की मांग है तो जब तक यह मामला खत्म न हो जाय, सदन चलने दिया जाय।

दूसरी बात आपने कही कि गाल पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो प्रत्येक सदस्य कहीं न कहीं हाथ रखकर बैठा हुआ है। पांडे जी माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं, कल्पनाथ सिंह जी बाल सुलझा रहे थे, मैंने भी गाल पर हाथ रखकर बैठ कर कोई जुर्म नहीं किया। जायसवाल जी लम्बे हाथ फैलाकर बैठे हैं। कहीं न कहीं हाथ रखकर सभी बैठे हैं। जहां तक व्यवस्था के प्रश्न उठाने की बात की गई है तो सभी लोग उठाते हैं। इधर के लोग भी उठाते हैं और उधर के भी उठाते हैं। मैं तो इधर वालों को रोका करता हूं। मैं अपने इधर के बैठने वाले मित्रों से कहूंगा कि उन में ज्यादा धैर्य होना चाहिये और जब उपाध्यक्ष जी इजाजत दें तभी बोलें, बिना इजाजत न बोलें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका आभार मानता हूं। दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण माननीय सदन म उत्पन्न हो गया जो इस सदन की गरिमा के खिलाफ जाता है। यह बड़ा गम्भीर मामला है और दो मन्त्रियों से इसका सम्बन्ध है इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखकर विषय से बाहर जाने का कष्ट न करें। विषय के ऊपर शान्त वातावरण में विचार करें। हो सकता है गलती हमसे हुई हो लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी और उन दो मन्त्रियों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो सही बात समझी है वही इस सदन में पेश की है। समझाने में गलती हो सकती है तो उनके तथ्यों के बारे में आप प्रकाश डालें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कुर्सी पर हैं, सभी सदस्यों के विचार आपके सामने आते हैं, जो माननीय व्यक्ति सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी अनेकों बार चर्चायें होती रहती हैं। उनकी भी टोपियां उछाली जाती हैं। तो माननीय सदस्य जो इस प्रकार व्यवधान करके यहां के वातावरण को दूषित करते हैं उन्हें रोकें, वह शान्ति बनाये रक्खें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पढ़ देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको पढ़ दूं। अभी एक सवाल आया कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, जिस तरह की अनर्गल बातें कही गयीं, जिस प्रकार के टुच्चे आरोप लगाये गये उनकी जांच के लिये इस पूरे मामले को आप यहां की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें वरना इस तरह से [***] लोग न मालूम क्या-क्या हमेशा बोलते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कहना जरूरी नहीं है कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जो प्रश्न आज है उसके विषय में कहें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसके लिये लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं ऐसा नहीं करता।

इसमें लिखा है कि अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे। "यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मन्त्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घंटे से अधिक न हो।"

चूंकि सदन के नेता ने हमें सुझाव दिया है, परामर्श दिया है कि इस पर समय बढ़ा दिया जाय, तो आज साढ़े ७ बजे तक और कल २ घंटे तक इस पर चर्चा होगी।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल माननीय मन्त्री जी के खिलाफ सदन में उठाया गया है और जिस पर चर्चा हो रही है, यह एक गम्भीर मसला इस विधान सभा के इतिहास में है। मान्यवर, जब यह प्रश्न खड़ा किया गया और इधर के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये, तो सम्भवतः मुझे इस बात का भरोसा हुआ कि उधर से जो मेरठ के ही सम्मानित सदस्य हैं, शेर अली साहब, और भाई मंजूर अहमद साहब, उनके तथ्यों की तरफ कोई प्रकाश डालेंगे। लेकिन मान्यवर, प्रश्न है जिसकी तरफ लोगों का इशारा हुआ केवल एक ही था कि एक जमीन बस स्टेशन के लिये एक्वायर की गई, उसकी सारी प्रक्रिया करने में ६ वर्ष का समय लगा और ६ वर्ष के समय में कोई इस तरह की बात पैदा नहीं हुई।

नोट--[***]यह अंश दिनांक १६ सितम्बर, १९७१ को माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्तराम जायसवाल व श्री रियासत हुसैन आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम करन सिंह—

माननीय उमादत्त जी अपने बयान में, जो स्पष्टीकरण के लिये खड़े हुए तो मैं इस बात की उम्मीद करता था कि मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते कि यह गम्भीर आरोप उनके खिलाफ आया है। उनको चाहिये था कि वे इस बात को स्वीकार करके कहते कि इसका हमारे सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध है, इसलिये इस मामले को किसी भी कमीशन या किसी ऐसे लोगों को दे दिया जाय जिससे बात साफ हो जाती। फिर उसके बाद जांच के पश्चात् जो बात होती वह सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने और नीचे गिराने का मामला होता है, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। लेकिन उस तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आक्षेप की बात कहीं कि श्री गौरीशंकर राय बलिया से मेरठ पहुंच गये। और उन्होंने यह कहा कि इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या उमादत्त शर्मा जी गौरी शंकर के पत्र लिखने पर इस बात को नहीं मानते तो सारे हिन्दुस्तान के सभी पत्रों में, अखबारों में, वह बात छपती तब मानते। उनके मानने का क्या आधार होता? वे कहते हैं कि पब्लिसिटी नहीं हुई। प्रचार नहीं हुआ। मान्यवर, प्रचार होता तब वह मानते। अगर किसी व्यक्ति ने लिखा तो मानने के लिए तैयार नहीं। इसमें एक बड़ा अहम सवाल पैदा कर दिया। उमादत्त जी सम्भवतः मेरे ख्याल से नये विधायक हैं, सन् १९६९ में आये हैं। सभी साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन जो शंका है और जिसकी तरफ लोगों ने इशारा किया और जिससे एक संदिग्ध वातावरण उत्पन्न हुआ उसका निश्चित रूप से कोई कारण है। कारण है कि एक जमीन जिसकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही, शेर अली साहब ने कही और मंजूर अहमद साहब ने कही। जब कीमत बढ़ गई तो स्वाभाविक है और यह ह्यूमन नेचर है कि हमारी जमीन अगर सस्ते रेट पर बिक गई हो और किसी कारण वह जमीन वापस होकर महंगे दामों पर बेचने का अवसर मिले तो हम उस अपरचूनिटी का फायदा उठाना चाहेंगे। यह ह्यूमन साइकोलाजी है। यह इशारा किया कि उस जमीन की कीमत बढ़ गई और वह कम रेट पर न बिक कर ज्यादा रेट पर बिकनी चाहिये थी। लेकिन उसके लिए कोई साइड लेनी पड़ेगी कि आया, वह कृषि योग्य जमीन है, उर्वरक जमीन है। जब हम अपने आर्गूमेंट को ठीक ढंग से रखेंगे तभी उस पर जीतेंगे।

मान्यवर अप्रैल में गवर्नमेन्ट बननी है और उसके बाद जुलाई तक यानी केवल चार महीनों में ये सारी बातें होती हैं। २१-५-७१ को माननीय मंत्री जी शपथ लेते हैं और केवल पांच सात दिन के अन्दर आदेश हो जाता है कि जमीन रिलीज कर दी जाय। यही नहीं जब जांच परताल होने की बात हुई और माननीय परिवहन मंत्री मौके पर गये तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उमादत्त जी को चाहिए था कि वह मौके पर न जाते। लेकिन जब परिवहन मंत्री जांच के लिए जाते हैं तो उमादत्त जी भी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। एक शंका थी और उसकी जांच के लिये परिवहन मंत्री जी जाते हैं तो आप (उमादत्त जी) हट जाते और परिवहन मंत्री अपनी जांच करके आते तो कोई बात निकलती। उन्होंने जांच की और वह बात गलत साबित हो गयी। फिर दूसरा आदेश हो गया। मैं आपसे और पंडित जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात गलत हुई, गलत की गयी और उस गलती का सुधार भी किया गया। सुधार कब किया गया जब किसी व्यक्ति ने शिकायत की। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पन्द्रह बीस दिन या महीने के अन्दर जो गलती करायी गयी, सुधार किया गया, जांच परताल की गयी, क्या इसमें कोई संदिग्ध वातावरण नहीं दिखाई पड़ता।

मेरे ख़याल से मान्यवर, उससे शंका उत्पन्न होती है और वह शंका कि जिसके ऊपर यह आदरणीय सदन आज विचार कर रहा है। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, लेकिन

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हमें एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। उधर के बैठने वाले कल इधर बैठ सकते हैं, इधर वाले कल उधर भी बैठ सकते हैं। किन्तु अगर प्राइमाफेसी केस बन जाय, एक माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप हो जैसा कि हमारे भाई मंजूर अहमद साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात को कहा, ५ लाख का किस्सा बताया, मुझे मालूम नहीं क्या है .....

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मिश्रा,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ जुलाई, १९७१।

विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

विधान सभा के दूसरे सत्र १९७१ के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री रजित राम पान्डेय के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर का अनुलग्नक।

प्रश्न संख्या ३ में वर्णित ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था विषयक सूचना

उक्त गांवों में से दयालपुर, कुनौरा, देवा, कुसारी, उमरी, धनसीपुर, विट्ठलपुर उर्फ बराभदपुर एवम् मूसलपुर ग्राम में शासन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं में सम्मिलित है जिनमें कि नलकूप से जल दिये जाने की व्यवस्था है। इन योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष में नलकूपों के बनाये जाने की आशा है।

बहुपुर, मोहम्मदाबाद, भगौतीपुर एवं चका ग्रामों को पेय जल सुविधा प्रदान करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जिला परिषद् के प्रस्ताव के आधार पर योजनायें बनाई जा रही हैं। योजनाओं के बन जाने के पश्चात् उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

जहां तक बाहरपुर, हरिहरपुर, खुदौका पुर, नाहरपुर, जराही एवम् मनोहरपुर गांवों का सम्बन्ध है, अभी तक इनके लिए योजनायें नहीं बनाई जा रही हैं क्योंकि योजना बनाने के लिये प्रस्ताव जिला परिषद् से प्राप्त नहीं हुए हैं।

राम लखन,
सिंचाई मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३९ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९७१) के ३रे बुधवार को श्री सुखपाल पाण्डेय एवं श्री राम करन सिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में वर्णित सूचना।

(क) इस पुल का निर्माण ७ अगस्त, १९६४ से प्रारम्भ हुआ था।

(ख) इस पुल का निर्माण (पहुंच मार्ग तथा नदी के सुरक्षा कार्यों सहित) ५९,००,००० रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था।

(ग) अब तक ४१,२५,६९३ रुपये व्यय हुआ है। पुल का आगणन संशोधित किया जा रहा है। संशोधित आगणन स्वीकृत होने के पश्चात ही ज्ञात हो सकगा कि कितना धन और व्यय होना है।

(घ) लगभग ४५ प्रतिशत कार्य हो चुका है शेष कार्य अभी बाकी है।

(ङ) बांड की शर्तों के अनुसार यह कार्य ३१ मार्च, १९६८ तक समाप्त होना था।

(च) कुओं की गलाई करते समय हार्ड स्टेटा निकलना तथा ठेकेदार के प्रबन्ध में ढिलाई के कारण कार्य पूरा न हो सका।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

विधान सभा में २रे सत्र १९७१ के ३रे बुधवार के लिये निर्धारित श्री रामलाल राही के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जिलों के लिये राजकीय नलकूपों के आवंटन का आधार:—

(१) विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधा की आवश्यकता के अनुसार ।

(२) जहां नलकूपों का अभिनय अच्छा है तथा चलित घंटे अधिक हैं वहां अधिक नलकूप प्रस्तावित किये जाते हैं ।

(३) तराई तथा अन्य क्षेत्रों में जहां वर्तमान राजकीय नलकूपों के चलित घंटे कम हैं, वहां कम नलकूप प्रस्तावित किये जाते हैं ।

(४) उन जिलों में जहां अन्वेषणात्मक बोरिंग प्रस्तावित हैं और जहां पहले से नलकूप नहीं है और जहां उपयोग होने की संभावना है, वहां भी नलकूप प्रस्तावित किये जाते हैं ।

विधान सभा के दूसरे सत्र १९७१ के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री राम लाल राही के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष १९६९–७० तथा १९७०–७१ में आवंटित तथा बनाये गये राजकीय नलकूपों की जिलेवार संख्या ।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	वर्ष १९६९–७० में नलकूपों की संख्या जो निर्माण हेतु स्वीकृत हुए तथा बने		वर्ष १९७०–७१ में नलकूपों की संख्या जो निर्माण हेतु स्वीकृत हुए तथा बने	
		स्वीकृत नलकूपों की संख्या	बने हुए नलकूपों की संख्या	स्वीकृत नलकूपों की संख्या	बने हुए नलकूपों की संख्या
	पहाड़ी क्षेत्र—				
१	नैनीताल ..	९	..	४	..
२	देहरादून ..	६	३	६	४
	पश्चिमी क्षेत्र				
३	सहारनपुर ..	२०	२२	४०	४०
४	मुजफ्फरनगर ..	१८	२०	३०	३०
५	मेरठ ..	१२	१४	१८	३८
६	बुलन्दशहर ..	१०	२१	१५	१८
७	अलीगढ़ ..	२३	३०	२५	२८
८	आगरा ..	१५	१५	२५	२५
९	एटा ..	१५	२२	२५	२६
१०	मैनपुरी ..	१५	१२	१५	१५
११	फर्रुखाबाद ..	२५	२५	२५	२५

१२ इटावा	..	१५	५	२०	२०
१३ बिजनौर	..	८	८	१५	१५
१४ मुरादाबाद	..	१५	२२	२५	२५
१५ बरेली	..	५	६	५	५
१६ शाहजहांपुर	..	६	१०	१०	१०
१७ बदायूं	..	१५	२८	२५	१८
१८ रामपुर	..	८	१४	१०	१०
१९ पीलीभीत	..	..	..	..	..
२० मथुरा	..	१०	३	५	५
मध्य क्षेत्र					
२१ कानपुर	..	१०	४	१२	१४
२२ सीतापुर	..	५	५	१०	१०
२३ खीरी	..	१०	१४	१०	१४
३४ हरदोई	..	५	९	५	५
२५ लखनऊ	..	५	५	१०	१२
२६ बाराबंकी	..	५	३	५	५
२७ फतेहपुर	..	९	१	१०	८
२८ रायबरेली	..	..	..	..	..
बुन्देलखंड क्षेत्र					
२९ बांदा	..	..	२	३	१
३० हमीरपुर	..	..	..	३	२
३१ जालौन	..	..	..	३	..
पूर्वी क्षेत्र					
३२ वाराणसी	..	६०	६६	६०	६२
३३ मिर्जापुर	..	१०	१२	१६	१२
३४ जौनपुर	..	३०	३१	३५	३०
३५ गाजीपुर	..	३०	३०	३५	३४
३६ बलिया	..	१२	१२	३५	३१
३७ गोरखपुर	..	१०	१३	५	१२
३८ देवरिया	..	२	२	१०	१०
३९ बस्ती	..	४	४	१०	१२
४० आजमगढ़	..	२८	२८	३०	३०
४१ गोन्डा	..	११	९	१०	५
४२ फैजाबाद	..	१३	१३	१५	१८
४३ सुल्तानपुर	..	२०	१९	२५	२३
४४ इलाहाबाद	..	६०	६०	६०	६२
४५ प्रतापगढ़	..	६	९	१०	५
४६ बहराइच	..	५	३	५	५
४७ पूर्वी नहर वाले नलकूप		..	..	२०	..
योग	..	६००	६३६	७९५	७७९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७१ के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री महरम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में उल्लिखित सूची

वर्ष १९७०–७१ के तीन नलकूप निम्नलिखित ग्रामों में प्रस्तावित हैं:––

क्रम-संख्या	नाम खन्ड	नाम ग्राम, जहां नलकूप लगाया जाना निश्चित हुआ
१	कायमगंज	रानीपुर
२	मोहम्मदाबाद	सिनौरा ईश्वरी
३	मोहम्मदाबाद	सिनौरा पूदी ।

२––वर्ष १९७१–७२ के लिए जिला स्थान चयन समिति ने फर्रुखाबाद जिले में नव निर्मित नलकूपों के लिये निम्नलिखित १७ ग्रामों को चुना है यद्यपि लक्ष्य केवल १५ नलकूपों के निर्माण का ही है :––

क्रम-संख्या	नाम ब्लाक	नाम ग्राम, जहां कूप बनाया जाना निश्चित हुआ है
१	कायमगंज	खलवारा
२	तदेव	अटसैनी
३	तदेव	अचरा तकीपुर
४	तदेव	कखईया रखा खालिक दादपुर
५	तदेव	नवगांव
६	मोहम्मदाबाद	गनपतपुर धन
७	तदेव	रायपुर धीरपुर
८	तदेव	संकिस बसन्तपुर
९	कमालगंज	चौसपुर
१०	कमालगंज	उगरापुर
११	कमालगंज	मकरन्द नगर बसाह
१२	कन्नोज	बशीरापुर भाट
१३	तदेव	सतौरा
१४	तदेव	अलीनगर
१५	तदेव	मतौली
१६	तालग्राम	अदमापुर
१७	छिबरामऊ	बहवनपुर बहवलपुर ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ड०'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५१ पर)

MARORA DAM

Supplemental Memorandum

MR. A. P. WATAL, I.S.C.,
CHIEF ENGINEER, P.W.D., IB.,
DEVELOPMENT, U. P.,
LUCKNOW.

DEAR MR. WATAL,

My Memorandum on Marora Dam prepared in early February, 1947, Outlined a large programme of additional exploratory work, and additional economic studies. These programmes have been completed sufficiently so that definite conclusions regarding Marora Dam can be formulated. In this supplemental Memorandum it will be my purpose to state final conclusions regarding the project in the form of answers to questions that have been propounded by you and Mr. Mitra. In each case I shall quote the question and then give my answer.

Questions by A. P. WATAL :

Question (A) "Whether, after examination of the results of sub-surface explorations carried out so far, you consider it feasible, from the engineering point of view, for this crush zone and other minor faults at the site to be treared satisfactorily to enable a dam of 600 ft. to 650 ft. high above river bed level to be safely constructed on the sites."

Answer ; I am confident that it is feasible from the engineering stand point to treat satisfactorily the major fault zone and other minor bedding faults at the proposed upstream dam site in manner that will assure construction of a safe dam upto 575 feet or 600 ft. high above low river level. This opinion is made on the basis of my inspections of the site during 1945 and again in January 1947 and on the current geological data disclosed by exploratory tunnels and core holes.

Question (B) "If you consider the construction of the Dam feasible from the engineering point of view that maximum height of the dam would you recommend for the site and what in your opinion would be its initial cost including power plants, Bayas-ghat Dam and other appirtenant works and what approximately would be the annual maintenance charges. This information is required to determine if th dam would be a feasible propodsition economically.

Answer : Comparative costs and economic studies for different heights and layouts of dam and appurtenant works were recommended in my Memorandum dated 4th February, 1947. These studies have been carried out xxx by the personnel of the project circle West, Irrigation Works, U.P. in these studies the estimates of initial cost have been worked out on the lines of those prepared for the lower exis by the International Engineering Co. of U. S. A. and with identical units rates.

On the basis of these studies it is recommended that the dam at Marora be constructed to give a gross lift of the water surface of 575 ft.above low water level or to a road elevation of 2215 and a maximum or full reservoir elevation 2195. A dam with lower full reservoir level increases thecost of generation of firm power and a dam of higher full reservoir level beyond elevation 2220 also

increases the cost of firm power generation. For full reservoirs level between elevation, 2195 and 2220, the cost of generation is practically constant. As the latter will generate about 4½ per cent additional power, a dam upto 600 ft. gross lift of water surface above tail water level may be seriously Considered if the increase in initial cost is no deterrent. A chact comprising the financial position of different heights of Morara Dam and with different layouts studies is attached (Exhibit).

Present preliminary estimation prepared by the Project organisation of the Government of the United Provinces, India, indicates that the storage and power capacities and the approximate initial or first cost of the completed Nayar River Project, including other Marora Dam and Power Plant Bayas Ghat and Power Plant and appertinant works, will be as follows :

(1) With normal reservoir surface at elevation 2195 ft. the gross storage will be 1,080,000 acres feet of which 8,00,000 acre-feet are considered to be live storage. This storage combined with : (1) the natural discharge of the rivec (2) an assumed mean effective head of 450 ft. (3) conjunction with Bayas-ghat Dam and (4) co-ordination with other run of the river schemes will develop 2,04,400 Kw. of firm power and 173 million Kw hours of secondary power. The total installed capacity including spare unit in each power plant will be, 2,63,000 Kw. additional gravity irrigation of 2,94,000 acres average will accrue annually on the Ganges canals from the dry weather discharge of the Nayar River Project.

(2) The total cost of the project has been estimated in U.S. dollars as follows :

Field cost	U.S.	57,03,4.000
Land and right of way	,,	1,690,000
Investigation and Engineering ..	,,	2,000,000
Interest during construction ..	,,	5,762,000
(Establishment including leave, Pension and accounts)	,,	2,500,000
Tools and Miscellaneous	,,	4,000,000
Total ..	,,	72,986,000

(3) The total cost of the Nayar River Project is estimated at U.S. $72,986,000. The unit cost for the total installation of 262, 000 Kw. is estimated at U. S. $278.00 Kw.

(4) On the basis of the fully loaded hydroelectric plants a 3 per cent net return on the capital expenditure and power rate at U. S. $0.00266 per K.Wh. for firm and at U. S. $0.00076 perk. Wh. for secondary power. Gross annual revenue from power and irrigation will average U.S.S $2,976,000. Annual revenue deductions will include the following :

(*a*) Operation and maintenance on general and special feature of the project including new irrigation channels amounting to U. S. $466,500.

(*b*) a replacement reserve of U. S. $53,000.

(*c*) a mortization on the basis of 80 years gross repayment period on a 3 per cent sinking fund without interest amounting to U. S.

$266.900 or a total deduction of U.S. $746.40. This leaves a net annual revenue of U. S. 2,229,600 which works out at 3 percent on the total initial cost of U. S. $326,000 including cost of irrigation channels.

The above calculation are based on the assum ption that no profits are to be made from the project after payment of interest at 3 per cent on the initial cost. The selling rates for firm power on this assumption is only 2.66 mile per killo watt hour at the high tension delivery side of the power station. This rate is extremely low as compared to selling rates prevailing in this country at present and also compares very favourably with some of the cheapest hydro electric plants in the U. S. A. In my opinion the selling rate for firm power can be increased to 4 miles per killo watt hour without affecting the industrial development of the country. With this increase, the gross annual revenue from the scheme will be U.S. $4,002, 700 and the net revenue after payment of interest and a mortization charges will be U. S. $2,026,700 which works out at 2.66 per cent on the capital cost.

Question (*C*) "Do you consider the sub-surface exploration programme prepared by Dr. Nickell sufficient for the prupose of preparation of the final design of dam or would you recommend any addition or modifications from the point of view of engineering design requirements."

Answer: It is considered that the exploration programme as of this date, including the supplemental tunnels and drill holes agreed upon between Dr. Nickell, Mr. Mitra and myself, and described in my memorandum of early February, 1947 will be sufficient for preparation of final general designs of the Nayar River Project.

Question (*d*) : "Which site do you consider to be the most suitable for the construction of the Marora Dam and what laybout of the dam and apprertinant works would you recommend."

Answer :The upper site is considered to be the most suitable for the construction of the project in this connection an extract from a geological report by Mr. S. P. Nautiyal on the exploratory work done at Murora will be of interest.(Exhibits B) the layout described in study No. 9 of my Memorandum of early February 1947 is recommended. This layout is described as follows :

(1) Hydraulic height of dam 575 ft., full reservoir elevation 2195 elevation of road 2215' ;

(2) One diversion tunnel of 34 ft. diameter on the right side of the river with straight alignement downstream from the exist of dam.

Top elevation of upstream coffer dam to be 1775 to pass a constant discharge of 60,000 cusecs or routed pack flood of 90,000 cusecs through tunnel.

(3) One combination chute and tunnel spillway utilising down stream portion of diversion tunnel and controlled by two radial gates 40' X 36' in size.

(4) One combination chute and tunnel spillway, constructed independently, starting at downstream towe of dam and controlled by two radial a gates 40' X 36' in size.

(5) A power plant at downstream toe of dam supplied through penstocks installed in the dam.

(6) Outlet works at downstream toe of dam supplied through trans-racks and gates installed at upstream face of dam and through pen-stocks installed in the dam.

The layout recommended is shown in the plans attached to this note (Exhibit C).

Question (e) : "What method and procedure would you recommend for the treatment of the main crush zone to make it suitable as foundation for a dam of the height recommended by you."

Answer : The fault zone material must be excavated to sound rock on the two sides and for a vertical depth of 1½ times the average width between the sound rocks sides throughout the full projected theor etical thickness of dam. Also deep shafts must be excavated with the fault zone opposite the projeded theoretical upstream and downstream shaft below the bottom of general fault zone excavation. These general and cut off excavation must be back filled with concret that form the base of dam along the fault zone area.

It will be ovious that the excavation and concrete back-filling of the fault zone must be done progressively to avoid disturbance of abutment rock that must serve as foundation support for the abutment portion of dam.In other works only a relatively small excavation of the fault zone material should be open at any time and as the excavation progresses laterally the concrete placing should closely.It necessary the shaft excavation and concrete back-filling can be done progressively from top downward, the excavated materials and concrete being handled by hoists operating in inclined shafts formed in the concrete.The usual perccolation of factors (distances) assumed for such fault zone cutoffs are four times the maximum differential head between high reservoir level and the low river level where fault zone materialis pure clay gouge and 2½ times the maximum differential head where fault zone material is pure clay gouge and 2½ times the maximum differential head where fault zone material is principally crushed or sheeted rocks.

It is assumed that the excavated materials for the whole Maroa Dam project will be wasted in the reservoir basin upstream from the dam. With this in mind it appears likely that the fault zone excavation and concrete back filling will progress in a downstream direction. The first operation will be to remove overburden materials above the fault zone sufficiently to make the work safe against falling debris. The next step probably will be to bench off the rock ridge between the fault zone and river channel and prepare this bench as a handling road for concreting operations in the fault zone and for other construction haulage and operations.

It is probable (though not certain) that an open-cut ramp can be excavated and maintained leading from river level down to the bottom of horizontal fault zone excavation at projected upstream face of dam. If this proves feasible the first section on block of faul zone concrete can be placed leaving a large temporary access tunnel for disposal of progressively excavated material and for bringing concrete into the fault zone excavation if desired. There afterthe tunnel will be continued through each succeeding concrete block until all fault zone and shaft excavation are completed and until concrete backfill is placed. Thereafter the tunnel can be backfilled leaving a small permanent access gallery for observation grouting and drainage purposes.

The above paragraph described one method of handling the excavation and concerting operations in the fault zone. Other methods are available as for example the handling of the excatation and concreting operations from the rock bench between the fault zone and the river channel.

Question (*f*): "Do you consider the estimte of capital cost prepared and working expenses and the lay out plans prepared by the Inter national Engineering Co. Inc. U.S.A. to be sufficiently accurate for project purposes. The cost studies prepared in this Circle for the Marora dam at the "Upper Axis" have been prepared on similar lines and with identical unit rates for the different items of work. In the circumstances would you recommend the acceptance of these studies as sufficiently accurate for project purposes subject of course to the quantity computations and the arithmetical calculations being accurate."

Answer : I consider the estimate of capital cost and working expenses and the layout plans prepared by the International Engineering Co. Ins. U.S.A. to be sufficiently accurate for project purposes on the layout studies. Also I consider that the estimates and layout prepared by the Circle along similar lines for Marora Dam at the "Upper Site" sufficiently accurate for project purposes. It is recommended that these estimates and the layout on which the estimates were made be accepted as sufficiently accurate for project purposes.

Acknowledgements—I acknowledge with pleasure the courtesies and helpful suggestions of the following Engineers, of Project Circle, West :

1. Mr. A. C. Mittra, Superintending Engineer.
2. Mr. S. K. Jain Executive Engineer, Planning and Design.
3. Mr. Seoni, Assistant Engineer.

Respectfully submitted,
(Sd.) J. L. SAVAGE,
Consulting Engineer.

TABLE No. 3

NAYR DAM PROJECT UNITED PROVINCES

PABUI, Statement showing how the power generated on Various hydroelectric schemes either under construction or proposed in United Provinces, is firmed up by Nayar Dam Project.

A. 575 ft. high Nayar Dam (F.S.L. 2195)

Sl, no,	Name of the scheme	Minimum discharge 1st November to 19th May	Minimum discharge 20th May to 31th October	Net Head	Peak power capacity	
					1st November to 19th May	20th May to 30th October
1	Jamuna State I (Tons Tunnel)	1500	4,000	280'	30,000kw	80,000kw
2	Jamuna State II L(Power Channel above Tajewala)	3000	6,000	95'	20,000kw	40,000kw
3	Pindar	800	1,600	1050'	60,000kw	120,000kw
4	Sarda	..	..	..	27,600kw	41,400kw
5	Existing Ganges Canal Grid	..	..	..	26,000kw	26,000kw
	Total ..	..	..	..	163,600kw	307,400kw
6	Marora Dam	1900 Average	Nil.	460' Average	175,000kw	..
7	Byasghat Dam	1900 Average	No power installation	..	..	..
	GRAND TOTAL	..	..	..	338,60kw	307,400kw

Note No. (1) The difference of peak power capacity during the two periods covers the extra seasonal load during the dry weather (1st November to 19th May), amounting to approximately 32,000 kw. peak.

(2) Being a storage scheme, peak power capacity on Nayar) has been provided at 175,000 kw to enable to run it as peak load station at 66 2/3 per cent loadfactor while all other power stations will run 100 per cent load factor during the period 1st Nov ember to 19th May,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

TABLE No. 4

NAYAR DAM PROJECT UNITED PROVINCES

B. 650 ft. high dam (F. S. L. 2272)

Tabulor statement showing how the power generated on various hydro-electric schemes either under construction are proposed in the United Provinces, up by Nayar Dam Project,

Sl, no.	Name of the Scheme	Minimum discharge 1st November to 19th May	Minimum discharge 20th May to 31st October	Minimum net Head	Peak power capacity	
					1st November to 19th May	20th May to 31st October
1	Yamuna State I (Tons Tunnel)	1500	4,000	280'	30,000 kw	80,000 kw
2	Yamuna State II (Power Station above Tajewala)	3000	6,000	95'	20,000 kw	40,000 kw
3	Pindar	800	1,600	1,050	60,000 kw	120,000 kw
4	Sarda	..	..	..	27,600 kw	41,400 kw
5	Existing Ganges Canal Grid	..	..	..	26,000 kw	26,000 kw
	Total ..	..	..	..	163,600 kw	307,400 kw
6	Marora Dam	2050 Average	550 Average	490'	187,500 kw	28,000 kw
7	Byasghat Dam	2050 Average	550 Average	145' weather and 135 in monsoon.	..	
	GRAND TOTAL	..	..	..	372,100 kw	340,400 kw

Note: (1) The difference of peak power capacity during the two periods covers the extra seasonal load during the dry weather (1st November to 19th May) amounting to approximately 32,000 KW peak.

(2) Being a storage scheme peak power capacity on Nayar has been provided at 187,55K to enable to run it as Peak at 66 1/2 per cent. load factor while all other power stations will run at 100 per cent. load factor during the period 1st November to 19th May.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १८३ एल०ए०—१९७२—५४५ ।